पंचम माला, खंड 38, अंक 40 शुक्रवार, 19 अप्रैल, 1974/29 चैत्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVIII, No. 40 Friday, April 19, 1974/Chaitra 29, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र
Tenth Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XXXVIII contains Nos. 31 to 40

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद हैं।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 40—शुक्रवार, 19 अप्रैल, 1974/29 चैत्र, 1896 (शक)

No. 40—*Friday*, *April* 19, 1974/*Chaitra* 29, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
750	गोरखपुर को विमान सेवा शुरू किए जाने का प्रस्ताव	Proposal to put Gorakhpur on Air Map . . .	1–2
751	छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins.	2–6
753	विदेशों में इंजीनियरी वस्तुओं की मांग	Demand of Engineering Goods Abroad	6–7
754	साम्यवादी देशों के साथ व्यापार समझौते	Trade Pacts with Communist Countries . . .	7–10
757	स्टैण्डर्ड कपड़े का उत्पादन और वितरण	Production and Distribution of Standard Cloth . . .	10–12
758	लघु उद्योग निगम में राज्य व्यापार निगम का साम्य पूंजी निवेश	Equity Participation of STC in Small Scale Industries Corporations . . .	12–13
760	1974 के दौरान जूट मिल्स में हड़ताल	Strike in Jute Mills during 1974	13–14
764	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों का सामान ले जाने के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति	Appointment of Contractors in International Airports for carrying Luggage of Passengers	14–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
752	बम्बई बंदरगाह पर जहाजों द्वारा रुई की गांठों का न उठाया जाना	Non-lifting of Bales by Shippers at Bombay Dock .	15–16
755	कोलम्बो बैठक में भारत का भाग लेना	India's Participation in Colombo Meet . . .	16
756	मकान किराये की रसीद पेश करने में सरकारी कर्मचारियों की कठीनाई	Difficulties faced by Govt. Employees in regard to Production of House Rent Receipts	16
759	विदेशी कम्पनियों द्वारा सम्पत्तियों को लुके छिपे बिक्री	Disposal of Properties in Clandestine manner by Foreign Companies . . .	16–17

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1 —16 LSS/74

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
761	कपड़े के वस्त्रों का निर्यात	Export of Textile Goods .	17
762	भारतीय रुई मंडियों में जापान का प्रवेश	Entrv of Japan in India's Cotton Market . . .	17
763	राज्यों के पूरे न किये गये घाटे और उसका देश के अथव्यवस्था पर प्रभाव	Uncovered Deficits of States and its effects on the Economv of the country . . .	17–18
765	राजस्थान में फर्मों के नाम एक लाख रुपयों से अधिक आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax above Rs. 1 lakh against Firms in Rajasthan	18
766	यूनियन बैंक आफ इंडिया की लाखों को काम (हाफ ए मिलियन जॉब स्कीम) की योजना	Half a Million Job Scheme of Union Bank of India .	18
767	ऊनी चिथड़ों के आयात के लिए लुधियाना के होजरी के निर्यातकर्ताओं को काली सूची में दर्ज किया जाना	Blacklisting of Hosiery Exporters of Ludhiana for Import of Woollen Rags . . .	18–19
768	रूस से सूरजमुखी के तेल का आयात	Import of Sunflower seed oil from Russia . . .	19
769	कोका कोला निर्यात निगम	Coca Cola Export Corporation	19
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
7303	गत तीन वर्षों में करेन्सी नोटों का मुद्रण	Printing of Currency notes during the last three years	19–20
7304	बस्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय उगाने की योजना	Scheme to grow Tea in Hill Areas of Bastar . . .	20
7305	आसाम में इंडियन एयरलाइन्स के कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees in offices of Indian Airlines in Assam	20
7306	आदिवासी क्षेत्रों में काफी बागान	Coffee Plantation in Tribal Areas	21
7307	दक्षिणी येमेन के साथ संयुक्त औद्योगिक उद्यम लगाने संबंधी समझौता	Agreement for Industrial Joint-venture with South Yemen	21
7308	चाय बागान द्वारा उत्पादन शुल्क का दुर्विनियोजन	Misappropriation of Excise Duty by Tea Estates .	21–22
7309	माडर्न बाजार, वसन्त विहार, नई दिल्ली में आयातीत वस्तुओं की बिक्री	Sale of Imported Goods in Modern Bazar, Vasant Vihar, New Delhi . . .	22
7310	आगरा में आयकर अधिकारियों द्वारा छापा मार कर काला धन बरामद किया जाना	Black Money unearthed as a result of Raid bv Income Tax Officers in Agra . .	22–23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7311	अमरीका से आयातित वस्तुएं	Items Imported from U.S.A.	23
7312	औद्योगिक विकास के लिए रूस सरकार से ऋण और अनुदान	Loans and Grants received from U.S.S.R for Industrial Development . . .	23
7313	मध्य प्रदेश में लघु बचत योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि	Deposits received unuer Small Savings Scheme in Madhya Pradesh . . .	23–24
7314	तौलिये और चादरें आदि जैसे कुछ मदों के उत्पादन के लिए विद्युत करघों का आरक्षण	Reservation of Powerlooms for certain items like Towels and Bedsheets etc. . . .	24
7315	मध्य प्रदेश में बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Weavers Service Centre in Madhya Pradesh .	25
7316	गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में जापान के साथ आयात/निर्यात व्यापार	Import/Export Trade with Japan in Private and Public sector	25
7317	बंगाल देशी रूई के निर्यात की अधिकतम सीमा	Ceiling on Export of Bengal Deshi Cotton . . .	25
7318	अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्यात	Export of Essential Commodities	26
7319	अनधिकृत विद्युतचालित करघों को नियमित करने संबंधी योजना	Scheme for Regularisation of Unauthorised Powerlooms .	26
7320	हथकरघा उद्योग के बारे में स्थापित सोमनाथन समिति	Setting up of Somanathan Committee on Handloom Industry	26
7321	वर्ष 1973-74 और 1974-75 में बिहार में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Bihar during 1973-74 and 1974-75 . . .	27
7322	बिहार में किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली	Recovery of Loans given by Nationalised Banks to Farmers in Bihar . . .	27
7323	अलाभकर रबड़ बागानों का क्षेत्र	Area of Uneconomic Rubber Plantation . . .	28
7324	इंडियन एयरलाइंस में विमान परिचारिकाओं के नये ग्रुप का चयन	Selection of new group of Air Hostesses in Indian Airlines	28
7325	विदेश व्यापार में माध्यमिकीकरण की नीति (कैनेलाइजेशन पालिसी) के कार्यकरण का पुनरिक्षण	Review of working of canalisation policy in Foreign Trade	28–29
7326	हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना	Boosting export of Handicrafts	29

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7327	हीरों के लिये निर्यात निगम	Export corporation for Diamonds	29
7328	राष्ट्रीयकृत बैंको और जीवन बीमा निगम में समयोपरि का भुगतान	Overtime allowance paid in LIC	29–30
7329	पटसन की वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात	Manufacture and export of jute goods	30–31
7330	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में मार्च, 1974 से वृद्धि	Increase in D.A. of Central Government employees from March, 1974 . . .	31
7331	जाली नोटों के परिचालन के संबंध में भारत हैवी इलक्ट्रिकल्स, भोपाल के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी	Arrest of an Employees of Bharat Heavy Electricals, Bhopal on charge of Circulating Counterfeit Currency Notes .	31–32
7332	डंकन ब्रदर्स द्वारा वित्तीय कदाचार	Financial Malpractices by Duncan Brothers . . .	32
7333	पश्चिम बंगाल में अर्द्ध-शोधित चमड़ा, खालों और चमड़ का उत्पादन	Production of Semi Tanned Leather Hides and Skin in West Bengal . . .	32–33
7334	भारतीय लेखकों के विदेशों में प्रकाशित प्रकाशन से आय	Earnings from Indian Writers Publications brought out in Foreign Countries .	33
7335	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर में कदाचार	Mismanagement of Laxmi Rattan Cotton Mills, Kanpur .	33
7336	निर्यात दायित्व वाली विदेशी फर्में	Foreign firms which have been subjected to export obligations	33–34
7337	रसायन के निर्यात पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव	Impact of shortage of Raw Material on Export of Chemicals	34
7338	अमरीका की फर्मों द्वारा रेयन टायर यार्न के लिए लकड़ी की लुगदी की सप्लाई	Supply of Wood pulp for Rayon Tyre Yarn from U.S. Firms	34
7339	दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन	Representations received from Delhi Aayakar Sanyukt Karmachari Sangh . . .	35
7340	12-बोर कारतूसों के आयात पर प्रतिबंध	Ban on Import of 12-Bore Cartridges . . .	35–36
7341	आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences	36–37
7342	कीमतों में वृद्धि को रोकने का कार्य करने वाली सरकारी एजसियों का पुनगठन	Reorganisation of Government Agencies assigned with the Jobs of Checking rise in Prices	37

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7343	पुनरीक्षित वेतनमानों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने के मामले में हुई प्रगति	Progress of Fixation of Pay of Government Employees under Revised Pay Scales . .	37–38
7344	कूच बिहार शरणार्थी सेवा का आयकर के लिए निर्धारण	Assessment of Cooch Behar Refugee Service for Income Tax	38
7345	आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Import Licences .	38–39
7346	चाय की प्रति किलो उत्पादन लागत	Cost of Production of Tea Per Kilo	39
7348	गोमांस के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Export of Beef . . .	39
7349	चाय का मूल्य	Price of Tea . . .	39
7350	रसायनों, साबुन और प्रसाधन सामग्री के निर्यात में कमी	Decline in Export of Chemicals, Soaps and Cosmetics . .	40
7351	पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व	Revenue accruing from Excise Leavy on Petrol and Diesel	40
7352	वेतन नियतन के लिए 15 रुपये की मंजूरी न करने के कारण पुनरीक्षित वेतनमान में कर्मचारियों को कम उपलब्धि	Less emoluments to Employees in Revised scales due to Non-grant of Rs. 15 for Fixation of Pay . . .	41
7353	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समीप सहायक उद्योग	Ancillary Industries around Public Sector Undertakings .	41–42
7354	विश्व बैंक से लघु उद्योग की सहायता	Assistance to Small Scale Industries from World Bank .	42
7355	पांचवीं योजना के दौरान कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry during the Fifth Plan	43
7356	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम के उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers through MMTC . . .	43–44
7357	भारत से खाद्यान्न की तस्करी को रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to check smuggling of Foodgrains out of India .	44–45
7358	लिखाई और छपाई के कागज के निर्यात पर रोक	Ban on export of Writings and printing Paper . . .	45
7360	जूतों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन	Foreign Exchange earnings from Export of Shoes .	45–46
7361	पाकिस्तानी तस्करों से तस्करी के माल का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Goods from Pakistan Smugglers .	46–49

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7362	फिनलैंड द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई	Supply of Newsprint by Finland	47
7363	कपड़ा उद्योग पर से लाइसेंस का हटाया जाना	De-licencing of Textile Industry	47–48
7364	पांचवीं योजना में सूती कपड़ा का विस्तार	Expansion of Cotton Textile Industry in Fifth Plan .	48
7365	आल इंडिया ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट ऑफ वेट्स एंड मैझरस, पटना	All India Training Institute of Weights and Measures, Patna	48–49
7366	बिना तराशे हीरों के आयात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम से अनुरोध.	Request from MMTC for Import of rough Diamonds . .	49
7367	1 जनवरी 1973 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को तृतिय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के लाभ	Benefits of Third Pay Commission's Report to Employees Retired before 1st January, 1973	49–50
7368	कोयला खानों के आधुनिकीकरण के लिये विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loans for Modernisation of Coal Mines .	50
7369	सरकारी क्षेत्र के उद्योग के विद्युत की कमी तथा हड़ताल के कारण हुई हानि	Loss due to shortage of Power and Strike in Public Sector Industries . . .	50
7370	भट्टी इस्पात कारखानों में इस्पात उत्पादों पर बढ़ी हुई 'लेवी'	Increased levy on Steel products of Furnace Steel Plants	51
7371	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से उर्वरकों की सप्लाई के लिये रूस के साथ करार	Agreement with USSR for Supply of Fertilisers by MMTC	51–52
7372	सेब के लिये विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	Credit from IDA for Marketing facilities of Apples . .	52
7373	चाय का उत्पादन	Tea Output . . .	52
7374	रूई की वसूली	Cotton Procurement .	53
7375	रुई निगम को ऋण	Credit to Cotton Corporatio	53
7376	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिये ऋणों का दिया जाना	Advancing of Loans by Nationalised Banks to farmers for setting up of Gobar Gas Plants.	53–54
7377	नायलोन धागे के उत्पादन में कमी	Short Fall in Nylon Yarn Output . . .	54
7379	कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण	Experiments in Artificial Rain	55

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7380	गुइयाना में एक कपड़ा मिल की स्थापना	Setting up of a Textile Mill in Guyana . . .	55
7381	फिरोजाबाद में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Officers of Ferozabad . . .	55–56
7382	डाकघर बचत बैंक इनामी योजना	Post Office Saving Bank Prize Scheme	56
7383	कारखानों को कच्चे काजू की सप्लाई	Supply of Raw Cashew Nuts to Factories . . .	56
7384	चर्म निर्यात निती का पुनरीक्षण	Revision in Leather Export Policy . . .	56–57
7385	खनिज और धातु व्यापार निगम से बिना तराशे हीरों की खरीद	Purchase of Rough Diamonds from MMTC . . .	57
7387	टैक्सटाइल उद्योगों में उत्पादन में कमी	Shortfall recorded in Production of Textile Industries . .	57
7388	गैर सरकारी केबल कारखानों द्वारा एल्यूमिनियम का आयात	Import of Aluminium by Privote Cables Units . .	58
7389	विदेशी ऋण को बकाया राशि	Outstanding amount of Foreign Debt	58
7390	पंजाब हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	58
7392	ऊन तथा ऊनी कपड़ों का निर्यात	Export of Wool and Woollens	58–60
7393	विदेशों में भारतीय फाइबर यार्न की मांग	Demand of Indian Fibre Yarn Abroad . . .	60–61
7394	यूनाइटिड कमर्शल बैंक द्वारा दुर्गापुर कैमिकल्स लि० को दिये गये ऋण के विरुद्ध जांच का परिणाम	Results of Inquiry against the Sanction of Loan to Durgapur Chemicals Limited by United Commercial Bank . .	61
7395	जनरल बीमा कम्पनियों के 'डम्मी' कर्मचारियों के बारे में लिया गया निर्णय	Decision taken about Dummy Employees of General Insurance Companies . .	61
7396	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जिनको सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गये है, मुआवजा दिया जाना	Compensation to Central Government Employees not allotted Government Accommodation	61
7397	औद्योगिक निवेश के लिये अनिवार्य बचतों का प्रस्ताव	Proposal for Compulsory Savings for Industrial Investment	62
7398	तस्करी के सामान का निपटान	Disposal of Smuggled Goods	62–63

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7399	श्रीलंका के साथ व्यापार सहयोग . . .	Trade Consortium with Sri Lanka . . .	63
7400	खाड़ी के देशों को निर्यात और उनके साथ संयुक्त उपक्रम	Export to and Joint Ventures with Gulf Countries . .	63–66
7401	योरूपीय आर्थिक समुदाय द्वारा प्रस्तावित टैरिफ में कमी करने की मांग	Demand for Reduction in Tariffs proposed by European Economic Community .	66
7402	कपड़ा आयुक्तों के साथ विचार-विमर्श करके यार्न की स्थिति का अध्ययन	Study of Yarn Situation in Consultation with Textile Commissioner . . .	6–57
7403	अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	Acquisition of Immovable Property	67
7404	पश्चिम बंगाल में राज्य पटसन निगम बनाने का प्रस्ताव	Proposal to form State Jute Corporation in West Bengal	67
7405	राष्ट्रीयकृत बकों द्वारा स्वनियोजन योजना के अधीन दिये गये ऋण	Advancing of Loans by Nationalised Banks under self Employment Scheme . .	67–70
7406	हथकरघों को वितरण के लिये धागे की कमी . .	Scarcity of Yarn for Distribution to Handlooms . . .	71
7407	इंडियन एयरलाइंस का ईंधन अधिभार लगाने संबंधी प्रस्ताव	Proposal of Indian Airlines for Imposition of Fuel Surcharges	71
7408	सिलीगुरी में गया गंगा चाय बागान को पुनः चाय बागान लगाने के लिये राजसहायता .	Tea Replantation Subsidy to Gaya Ganga Tea Estate in Silliguri . . .	71
7409	लांग वियु टी कम्पनी	Longview Tea Co. . .	72
7410	कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings of Coca Cola Export Corporation	72
7411	एक रुपये के नोट के स्थान पर एक रुपये का सिक्का चलाना	Replacement of one Rupee Notes by Rupee Coins .	73
7412	भारत द्वारा उर्वरकों का ठीक समय पर आयात	Timely Import of Fertilisers by India . .	74–75
7413	बाढ़ राहत कार्यों के लिए उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa for Flood Relief Works . . .	75–76
7414	उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of consumer goods	76
7415	समुद्र-तटवर्ती सैरगाह	Sea beach resorts . . .	77

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7416	उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजीनिवेश	Investment of LIC in U.P. .	77–78
7417	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को प्रतिवर्ष आयोजित करने का प्रस्ताव	Proposal to organise International Trade Fair Annually	78
7418	गुजरात में पर्यटकों को आकर्षित करने संबंधी योजना	Scheme for Tourist Attraction in Gujarat . . .	78–79
7419	राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा पूंजी निवेश की प्रतिशतता	Percentage of Investment by Nationalised Banks and S. B. I. in States . .	79–80
7420	राज्यों में लघु औद्योगिक परियोजनाओं को ऋण देने के बारे में युनाइटिड कमर्शियल बैंक का प्रस्ताव	Proposal of United Commercial Bank regarding advancing of loans for Small Industrial Projects in States . .	80
7421	युनाइटिड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता कार्यकरण के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Functioning of United Commercial Bank, Calcutta . . .	80–81
7422	पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इंडिया को शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationlised Banks and S.B.I. in West Bengal . .	81–82
7423	कलकत्ता के निकट निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for Free Trade Zone near Calcutta . . .	82
7425	थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Wholesale and Consumer Price Index	82–83
7426	मध्य प्रदेश में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh for Flood affected People	83
7427	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में छोटे किसानों, छोटे आदिवासियों तथा छोटे उद्योगपतियों को दिया गया ऋण	Loan given by Nationalised Banks to small farmers, Adivasis and Industrialists in Orissa .	83
7428	मारिशस में भारतीय माल की मांग	Demand of Indian Goods in Mauritus	84
7429	श्रीनगर-कारगिल लेह, श्रीनगर के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to start Air service between Srinagar-Kargil Leh Srinagar	84
7430	श्रीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग में शामिल किये जाने का प्रस्ताव	Proposal to place Srinagar Airport on International Air Route	84

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7431	भारत तथा श्रीलंका द्वारा चाय का संयुक्त विपणन	Joint Marketing of Tea by India and Sri Lanka . .	85
7432	परियोजना तथा उपकरण निगम की निर्यात आय में गिरावट	Decline in Export Earnings of Projects and Equipment Corporation . . .	85
7433	निर्यात नीति तथा व्यूह में समन्वय लाने के लिये सरकारी क्षेत्र की विपणन कम्पनियों का सम्मेलन	Conference of Public Sector Marketing Companies to Coordinate Export Policy and Strategy . . .	85–86
7434	विदेशों में सूती वस्त्रों की लोकप्रियता	Popularity of Cotton Garments Abroad . . .	86
7435	तम्बाकू के निर्यात में तेजी के साथ गिरावट	Sharp decline in Export of Tobacco . . .	86
7436	देश में केन्द्रीय सरकार से पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या	Number of Central Government Pensioners in the country .	86–88
7437	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लाभान्वित हुए भूमिहीन किसान तथा श्रमिक	Landless farmers and Labourers benefited by Nationalised Banks	87
7438	पंजाब सहकारी कताई संयंत्र की स्थापना करने के लिए लायसेंस जारी करना	Issuing of Licence for Establishing a Punjab Co-operative Spinning Plant . . .	87–88
7439	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पांचवीं योजना के दौरान पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres by ITDC during Fifth Plan .	88
7440	दिल्ली के बाजारों में मूल्य उतार चढ़ाव	Price Fluctuations in Delhi Markets . . .	88
7441	इंडियन एयरलाइंस के प्रबंध में आमूल परिवर्तन . .	Overhaul in Management of Indian Airlines . . .	89
7442	समाज के कमजोर वर्गों को ऋण दिये जाने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किये गये परिवर्तन	Changes made by Nationalised Banks in regard to Advancing of loans to Weaker Sections of Society . . .	90
7443	इंडियन एयरलाइंस द्वारा यात्री कोच सेवा और जलपान तथा भोजन पर किया गया खर्च	Expenditure incurred by Indian Airlines on Passenger Coach Services, Breakfast and Lunches . . .	90
7444	इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में त्यागपत्र देने वाले तथा सेवा मुक्त किये गये विमानचालक	Pilots resigned or discharged from service in Indian Airlines and Air India . .	90
7445	जाली मुद्रा का पता लगाया जाना	Forged currency Rackets unearthed . . .	91

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7446	भूटान के साथ व्यापार समझौता	Trade pact with Bhutan .	91
7448	ऐनकों के निर्यात में कमी	Decline in export of spectacles	91
7449	सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि के रूप में सरकार के पास जमा धनराशि की कीमत में कमी के बदले में मुआवजा ।	Compensation for loss of money value deposited with Government as Provident Fund of Government Employees .	92
7450	गलीचों का निर्यात	Export of Carpets . .	92
7451	कृत्रिम रेशे पर सांविधिक नियंत्रण	Statutory Control on Synthetic Fibre	93
7452	पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए आवंटन	Allocation for Development of Tourism in Orissa during Fifth Plan . . .	93
7453	उड़ीसा के अनुसूचित जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Scheduled Districts of Orissa . . .	93–94
7454	उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए आवंटन	Allocation for Development of Tourism in Tribal areas of Orissa	94
7455	गत दो वर्षों के दौरान काम पर लगाए गए बेरोजगार विमान-चालक	Unemployed pilots absorbed during last two years . .	94
7456	अखबारी कागज के बारे में बंगला देश के साथ ठेका	Contract with Bangladesh regarding Newsprint . .	95
7457	वेतनभोगी वर्ग द्वारा आयकर अदा करना	Payment of Income Tax by Salaried Group . . .	95
7458	स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष के कार्यालय का खोला जाना	Furnishing of Office of Chairman, State Bank of, India .	95–96
7459	हवाई अड्डे पर मंत्रियों/अधिकारियों की अगवानी के लिए सरकारी परिवहन पर होने वाले खर्च में कटौती किये जाने के बारे में आदेश जारी किये जाने का प्रस्ताव	Proposal to issue instructions in regard to cutting down the expenditure on Government Transport while receiving Ministers/Officers on the Airport	97
7460	रेयन उद्योग के लिये लकड़ी की लुगदी का आयात	Import of Wood Pulp for Rayon Industry . . .	97–98
7461	देवास, मध्य प्रदेश स्थित सिक्योरिटी प्रेस के अधिकारियों का घेराव	Gherao of Officers of Security Press, Dewas, Madhya Pradesh	98
7462	अन्य देशों से वाणिज्यिक समझौते	Commercial agreement with other countries . . .	98–

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7464	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता	Economy in Administrative Expenditure during Fourth Five year Plan	99–101
7465	बुनकरों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of facilities to Weavers	102
7466	फिजी को विमान सेवा	Air Service to Fiji . .	102–103
7467	पूर्वी यूरोपीय देशों में निर्यात फर्मों के कार्यालय स्थापित करना	Setting up offices of Exporting Firms in EEC . . .	103
7468	इराक के साथ समझौता	Agreement with Iraq . .	103–134
7469	चांदी का निर्यात	Export of Silver . .	104
7470	मोटर स्पिरिट पर उत्पादन शुल्क से राजस्व	Revenue from Excise duty on Motor Spirit . . .	104–105
7471	जीवन बीमा निगम की व्यपगत पालिसियां	Lapsed Policies of LIC .	105
7472	राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की 'मारे गये' ऋणों के विरुद्ध विशेष सतर्कता	Special Vigilance against Bad Loans of Nationalised Commercial Banks . . .	105–106
7473	पटसन निर्यातकर्ताओं द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाना	Under invoicing by Jute Exporters	1 – () 7
7474	विदेशी प्रेषणों का अधिस्थगन	Moratorium on Foreign Remittances	107
7475	विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश पैसा भेजना	Remittances by Foreign Companies	107–108
7476	सैंट्रल बैंक की शाखाओं में गणिक पद्धति	Teller system in the Branches of Central Bank . .	108
7477	भारतीय सहायता सार्थ की बैठक	Meeting of Aid India Consortium	108
7478	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनवृद्धि के संबंध में निर्णय	Decision in regard to drawing of increments by Central Government Employees .	109
7479	इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधकों द्वारा पाइलटों के साथ किया गया समझौता	Agreement signed by Management of Indian Airlines with Pilots	109
7480	पी० एल० 480 करार के अंतर्गत अमरीका द्वारा की जाने वाली खरीद	Purchases by USA under PL 480 Agreement . . .	109–110

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7481	गैर-सरकारी फ्लाइंग क्लबों के प्रबंध एवं नियंत्रण का सरकारी करण करने का प्रस्ताव	Proposal to take over Management and Control of Private Flying Clubs . .	110
7482	विशाखापतनम् हवाई अड्डे पर यात्रियों को होनेवाली असुविधा के संबंध में अभ्यावेदन	Representation regarding inconvenience to Passengers at Visakhapatnam Airport .	110
7483	इंडियन एयरलाइंस की हैदराबाद जाने वाली कैरेवेल विमान उड़ान को मद्रास हवाई अड्डे पर रोकना	Indian Airlines Caravelle Flights to Hydrabad. Grounded at Madras Airport . . .	111
7484	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समयोपरि भत्ते की अदायगी	Payment of Overtimes Allowance in Public Sector Undertakings	111
7485	आसाम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of nationalised banks in Assam .	111–112
7486	निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange earnings from exports	112
7487	विमान खरीदने के लिए बिहार को विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange to Bihar for Purchase of Aircraft	112
7488	पटसन का निर्यात	Jute Export	113
7489	भारत पर्यटन विकास निगम में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Employees working in ITUC . .	113–114
7490	दिल्ली के होटलों, रेस्टरों और क्लबों में शराब सर्व किये जाने के बारे में नीति	Policy for serving liquor in Hotels/Restaurants and Clubs in Delhi	114–115
7492	भारत में सिविल हवाई अड्डे	Civil Airports in India . .	115
7493	मूल्य प्रवृत्ति के बारे में भारतीय उपभोक्ता परिषद् द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey on price trend by the Consumers Council of India	115
7494	विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रत्यावर्त्तन	Repatriation by Foreign Companies	116
7495	पोर्ट ब्लेयर जाने वाली इंडियन एयर लाइंस की उड़ाने	Indian Airlines Flights to Port Blair	116–117
7496	पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिये अनुग्रहपूर्वक क्षतिपूर्ति	Ex-gratia Compensation for properties left over in Pakistan	117

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7497	राष्टीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं का पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में कार्यकरण	Functioning of Branches of Nationalised banks and SBI in West Bengal, Assam, Tripura, Karnataka, Maharashtra and Gujarat . .	117–119
7498	वर्ष 1974–75 के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं खोलना	Opening of branches of nationalised banks and SBI in West Bengal during 1974-75	119
7499	सरकारी क्षेत्र के कारखानों को हुआ घाटा	Losses suffered by Public Sector	119–120
7500	गुजरात में भीड़ के आक्रमणों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालयों एवं इमारतों को हुई हानि का अनुमान	Estimated loss caused to offices and buildings of nationalised banks a result of mob attacks in Gujarat . .	120
7501	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा व्यक्तियों एवं उद्योगों को ऋण देने संबंधी नीति	Policy of advancing loans to individuals and Industries by nationalised banks . .	121
7502	भारत और रूस के बीच अभ्रक के संबंध में व्यापार समझौता	Trade agreement for Mica between India and USSR .	121
	अतारांकित प्रश्न संख्या 5678 दिनांक 5-4-1974 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 2724 दिनांक 9-3-1973 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य	Statements Correcting Answers to U.S.Q. No. 5678 dated 5-4-1974 and US 2724 dated 9-3-1973.	121–122
	विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
	मंत्री महोदय द्वारा जान बूझकर दी गई कथित गुमराह करने वाली सूचना	Alleged Deliberate Misleading Information given by the Minister	
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	123–124
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
	प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत किये गये	Reports and Minutes—Presented	
	विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
	आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Eighth Report—Presented	124
	बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा—	Discussion Re. Situation in Bihar—	
	श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . .	125–126
	श्री नवल किशोर सिंह	Shri Nawal Kishore Sinha .	126
	श्री भागवत झा आझाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	126–127

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha	127–128
श्री आर० पी० यादव	Shri R. P. Yadav . .	128
श्री ईश्वर चौधरी	Shri Ishwar Chaudhary .	130
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	130–131
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	131
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma .	131–132
श्री वी० मायवन	Shri V. Mayavan	132
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra .	132–133
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh .	133
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	134
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	134
श्री चिरंजिव झा	Shri Chiranjib Jha .	135
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	135–137
श्री बिभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra .	137
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	137
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	137–138
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi .	138
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan .	138
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody . .	138–139
श्री एन० पी० यादव	Shri N. P. Yadav	140
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhary .	139–140
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao	140
श्री उमा शंकर दिक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	140
विधेयक पुर:स्थापित—	Bills Introduced—	
(1) सेवानिवृत्त थल सनिकों का पुनर्नियोजन विधेयक, 1973—श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का	(i) Retired Army Soldiers Re-Employment Bill by Shri Vishwanath Pratap Singh	143
(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 (नई धारा 4क, 4ख आदि का अन्त:स्थापन)—श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का	(ii) Preventaion of Food Adulteration (Amendment) Bill (Insertion of new sections 4A, 4B, etc.) by Shri Vishwanath Pratap Singh .	143

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(3) अखिल भारतीय सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 1974 (नई धारा 2ख, 2ग आदि का अंतःस्थापन)—श्री विश्वनाथ सिंह का	(iii) All India Services (Amendment) Bill (Insertion of new sections 2B 2C, etc. by Shri Vishwanath Pratap Singh	144
(4) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 (धारा 2 का संशोधन)—श्री हरि सिंह का	(iv) Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill (Amendment of section 2) by Shri Hari Singh .	144
(5) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधयक, 1974 (धारा 2, 5 आदि का संशोधन)—श्री मूल चन्द डागा का	(v) Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill Amendment of sections 2, 5, etc.) by Shri M. C. Daga . . .	144
(6) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974 (द्वितीय अनुसूची का संशोधन)—श्री मुल चन्द डागा का	(vi) Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill (Amendment of Second Schedule) by Shri M. C. Daga	145
(7) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 (धारा 80 का संशोधन तथा धारा 80क का अंतःस्थापन)—श्री डी० के० पंडा का	(vii) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill (Amendment of section 80 and insertion of section 80A) by Shri D. K. Panda	145
मातृवंश परम्परा विधेयक—	Mother's Lineage Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya .	146
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	146

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 19 अप्रैल, 1974/29 चैत्र, 1896 (शक)
Friday, 19 April, 1974/Chaitra 29, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Proposal to put Gorakhpur on Air Map

*750. **Shri Ram Surat Prasad :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) when Gorakhpur is proposed to be put on the air map of the country; and

(b) whether the Commissioner of Gorakhpur who had been asked to look into the economic aspect of the proposed service has reported that the service will prove beneficial from the economic point of view ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) In view of the steep increase in the price of aviation fuel and the phasing out of its Dakotas and Viscounts, Indian Airlines have had to suspend or curtail services to a number of places. It is, therefore, not possible to indicate when services will be operated to Gorakhpur, but the matter will be kept under review.

(b) Indian Airlines are not aware of any such studies made by the Commissioner, Gorakhpur.

Shri Ram Surat Prasad : Keeping in view the reply given by the hon. Minister I would like to say that Gorakhpur is an important historical place of U.P. There are fertilizer plants, University, Medical College, Engineering College, Radio Station at Gorakhpur and it is one of the important Centres of N. E. Railway. It is situated only 52 miles away from the border of Nepal. Lumbeeni the birth place and Kashinagar the death place of Bhagwan Budha is nearby. Foreign visitors often visit those places. People interested in industrial development will find it an attractive place for investment. Taking all these matters into consideration, I want to know whether Gorakhpur will be linked with an Air Service meant for Varanasi or Lucknow ?

Shri Raj Bahadur : So far as the question of the importance of Gorakhpur is concerned, I know that it is a very important place from all points of view. But in addition to that, the place should be such that the people in large number may come and go back by air and they may be able to send their goods by air. We

had made a plan to put Gorkahpur on the air map, but as I have already stated that in view of the steep rise in prices of aviation fuel we have to curtail some of the services and as such, Dakota and Viscount planes had to be kept inoperative. I assure the hon. Member that before preparing Winter Schedule we will see whether we will be able to start air service for Gorakhpur.

Shri Ram Surat Prasad : My Second Question is this that an air service was started for Gorakhpur long back but it had to be suspended because it was running in losses. The hon. Minister is of the view that air service for Gorakhpur will not be profitable. But the Commissioner there in his report has stated that such an air service would be profitable. I want to give an assurance in the pretext of my question that taking into consideration the number of the foreign visitors visiting that place, such service will not run in losses. The farm of six acres of a Sardar Saheb in Sardarnagar and the hanger has also been taken. Taking all these things into consideration I want to know whether the hon. Minister will reconsider to start air service for Gorakhpur. In case the air service for Eastern region is started it will not run in losses instead it will run in profits.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री राज बहादुर : मैं केवल यह कहना चाहता हूं की मुझे आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में कोई जानकारी नही है ।

श्री नवल किशोर सिंह : देश के कुछ गोरखपुर जैसे घनी आबादी वाले भागों में यह भावना घर कर गई हैं कि उनका मंत्रालय उक्त भागों में संचार और औद्योगिक विस्तार के विकास में रुचि नहीं लेता है और हमेशा उड़ान बन्द करने के लिये कोई न कोई बहाना ढूंढता है ।

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन देता हूं कि देश के विभिन्न भागों में विमान सेवा की व्यवस्था करने में हम पीछे नहीं रहते लेकिन विमान सेवा वस्तुतः लाभप्रद होनी चाहिये ।

छोटे सिक्कों की कमी

***751. श्री नारायण चन्द पराशर :**

श्री विश्वनारायण शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1973 तक देश म परिचालित छोटे सिक्कों की कुल संख्या तथा उनका अंकित मूल्य क्या है ;

(ख) क्या सरकार को छोटे सिक्कों की कमी का पता है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करनेका विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चलन के लिए जारी किये गये उन छोटे सिक्कों का ब्योरा नीचे दिया गया हैं जो 31 दिसम्बर, 1973 तक रिजर्व बैंक के कार्यालयों या छोटे सिक्कों के डिपूओं में वापस नही किए गये थे:—

दशमिक सिक्के (हजार में)

	50 पैसे	25 पैसे	20 पैसे	10 पैसे	5 पैसे
1. मूल्य रुपयों में	30.49,81	30,41,73	8,03,77	29,71,02	19,39,89
सिक्कों की संख्या	60,99,62	121,66,92	40,18,85	297,10,20	387,97,80

	3 पैसे	2 पैसे	एक पैसे	जोड़
1. मूल्य रुपयों में	4,57,89	7,85,10	5,66,89	136,16,10
2. सिक्कों की संख्या	152,63,00	392,55,00	566,89,00	2,090,00,39

(ख) देश में छोटे सिक्कों की कमी के बारे में सरकार को हाल में कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है।

(ग) सरकार टकसालों में अधिक संख्या में छोटे सिक्कों का उत्पादन करने तथा भारतीय रिर्जव बैंक के माध्यम से जनता के लिए छोटे सिक्कों के वास्तविक निर्गम में वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हैदराबाद टकसाल में दूसरी पारी शुरु करने तथा पांचवी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में टकसाल का विस्तार करने के लिए भी कारवाई की गयी है।

श्री नारायण चन्द पराशर : मुझे मूल प्रश्न के भाग (ख) के इस उत्तर पर आश्चर्य हुआ है। तथा इस उत्तर से धक्का लगा है कि देश में छोटे सिक्कों की कमी नहीं है क्योंकि वास्तव में समस्त देश में छोटे सिक्कों की कमी अनुभव हो रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि वित्त मंत्रालय का जनता से कोई सम्पर्क नहीं रहा है। क्या सरकार ने इस कमी के कारणों का पता लगाने के लिये जांच की है ? पहले तांबे के सिक्कों को पिघलाया जाता था और उन्हें धातु के रुप में बेचा जाता था। लेकिन अब सिक्कों की कमी का क्या कारण है? वास्तव में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर से यह बोध होता है कि सरकार को सिक्कों की कमी की जानकारी है और इसीलिये वह अधिक संख्या में सिक्के जारी कर रही है।

श्री के० आर० गणेश : मेरा यह विशिष्ट बक्तव्य कि देश में छोटे सिक्कों की कमी नही है, निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित था। जैसा कि सभा को विदित है कि जून, 1970 में छोटे सिक्कों की कमी पाई गई थी। इसके बाद 1971 में छोटे सिक्कों की कमी व्यापक हो गई और फिर वह लगातार जारी रही और रिजर्व बैंक और विभिन्न टकसालों द्वारा इनकी कमी के कारणों का पता लगाने के लिये कार्यवाही की गई थी सभा में इन कारणों का अनेक बार उल्लेख किया जा चुका है। वर्ष 1971 से छोटे सिक्कों की कमी दूर हो गई और जून के बाद से वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक को इनकी कमी के बारे में कोई विषेश शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1973 और 1970 के बीच इस बारें में शिकायतें प्राप्त होती रहती थी और उन पर ध्यान दिया जाता था और रिजर्व बैंक ने छोटे सिक्कों को विभिन्न डिपो पर भेजने और नये डिपो खोलने के लिये अनेक प्रबन्ध किय थे। रिजर्व बैंक अभी भी छोटे सिक्को बैंकों संस्थानों, परिवहन डिपो और विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को भेज रही है। चूंकि इस बारे में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नही हुई है अतः हम ईस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि छोटे सिक्कों की कमी काफी हद तक दूर हो गई है।

श्री नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्रालय केवल विशेष शिकायतें प्राप्त होने पर ही कार्यवाही करता है अथवा उसने ऐसी कोई व्यवस्था की हुई है कि इस बात का पता लग सकें कि छोटे सिक्कों की कमी है अथवा नहीं है? यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या माननीय मंत्री का इस प्रयोजन के लिये कोई व्यवस्था करने का विचार है ?

श्री के० आर० गणेश : चूंकि छोटे सिक्कों की कमी के समय अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थी अतः बहुत बड़ी संख्या में छोटे सिक्के परिचालित किये गये हैं । छोटे सिक्कों की कमी के मुख्यतया दो कारण हैं । पहला यह है कि कुछ सिक्कों की धातू के रुप में उनके प्रत्यक्ष मूल्य की तुलना में अधिक कीमत थी अतः उन सिक्कों को विभिन्न प्रयोजनों के लिये बड़ी संख्या में पिघलाया जाता था और इसके परिणामस्वरुप छोटे सिक्कों की मनोवैज्ञानिक कमी हो गयी । इन कारणों की जांच कि गई है और 10,25 और 50 पैसे वाले सिक्कों के धात्विक मूल्य में परिर्वतन कर दिया गया जिससे कि उनकी धात्विक और प्रत्यक्ष मूल्य बराबर हो सके । इसके अतिरिक्त छोट सिक्के संबंधी अपराध अधिनियम लागू कर दिया गया है और इस बारे में जाच करने के लिये आवश्यक विधि तन्त्र की अब व्यवस्था है।

इस प्रश्न पर विचार किये जाने से पूर्व कोई अधिनियम नही था अतः उस पर भी अब विचार किया जा रहा है, इसके साथ ही अब और सिक्के भी परिचालित किये गये है । पहले टकसालों में प्रतिदिन 12 लाख सिक्के बनते थे । अधिक पारिया चलाने आदि के कारण अगस्त, 1970 में प्रति दिन 75 लाख सिक्के बनाये जाने लग । उत्पादन में इस अत्यधिक वृद्धि हुई और उन सिक्कों को परिचालित करने के कारण यह कहा जा सकता है कि इस काम की ओर कुछ ध्यान दिया गया है ।

श्री एस० ए० शमीम : मंत्री महोदय की यह बात सुन कर मैं हैरान रह गया हूं कि सिक्कों की कोई कमी नहीं है, अब उनका कहना है कि उनको कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई । इस सभा के प्रत्यक्ष सदस्य को ही नही, समस्त देशों को सिक्कों की कमी का पता है, यह तथ्य ही इसका प्रमाण है कि हम प्रतिदिन के जीवन में इस कमी को महसूस कर रहे हैं, टेलीफोन करने के लिये 30 पैसे की आवश्यकता होती है परन्तु आधा घण्टा खर्च करने पर भी 10 पैसे के तीन सिक्के प्राप्त करना कठिन बात है। फिर जो सरकार छोटें सिक्कों को भी व्यवस्था नही कर सकती, खाद्य, रेल, एयरलाइन कम्पनियों तथा अन्य मामलों का कहना ही क्या उसकी अस्तित्व में रहने का क्या नैतिक अधिकार है ? मुझे स्कूटर वाले को 60 पैसे की बजाय 1 रुपया देना पड़ा क्योकि उसके पास रेजगारी नही थी ।

श्री के० आर० गणेश : जहां तक इस विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध है कि हमें किससे सूचित किया है कि सिक्कों की कोई कमी नही है, मेरा उत्तर यह है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने हमें सूचित किया था ।

श्री एस० ए० शमीम : जनता को क्या स्थिति है ?

श्री के० आर० गणेश : हमें वर्ष 1970 से शिकायतें प्राप्त होती रहीं है, परन्तु इस बात का प्रमाणित करने के लिये कोइ विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नही हुई ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Shri Shukla who was a Deputy Minister in Ministry of Finance had stated that there is no law to punish the person who indulges in melting the coins and in view of this a legislation will be introduced very soon. I want to know as to when that legislation would be passed.

An hon'ble Member: That legislation has been enacted.

Shri Hukam Chand Kachwai: In case it has been passed, how far it has been implemented and the number of persons against when the action has been taken. The quality of the coins which are being produced now is very poor. I want to

know whether the question of improving the qualtity of metal will be considered to prolong their life?

श्री के० आर० गणेश : सभा को पता है कि छोटें सिक्के (अपराध) अधिनियम लागु हो गया है, इसके अतिरिक्त दिसम्बर 1971 में भारत रक्षा नियमों की उद्घोषणा को गई थी जिसके अधिन सिक्कों का पिघलाया जाना और जमाखोरी आदि दंडणीय अपराध करार दिया गया है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में छोट सिक्के (अपराध) अधिनियम के अधीन अपराध करने सम्बन्धी पांच मामलो में अन्तर्गस्त कुल 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । ये मुकदमें अभी चल रहे है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Second part of my question has not been answered. I had asked whether it is proposed to produce coins of better metal so that same coin be kept in circulation for longer period.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध सिक्को की कमी से है । वर्तमान सिक्कों की किस्म में सुधार करने का प्रश्न इस से बिलकूल भिन्न है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: I think that you cannot follow Hindi.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : संभव है कि रिजर्व बैंक की दृष्टि से देश मे छोटे सिक्कों की कमी नहीं क्योंकि भारी संख्या मे सिक्के बनाये जा रहे हैं । क्या मै पूछ सकता हूं कि कम से कम और अधिक से अधिक कितने छोट सिक्के जमा किये जा सकते है जिसके कारण इन 14 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये है ?

श्री के० आर० गणेश : विभिन्न राज्य सरकारो ने इन व्यक्तियों को गिरफतार किया था और इस लिये मैं आवश्यक ब्योरा नहीं बता सकता ।

श्री एच० एम० पटेल : लगभग तीन वर्ष पूर्व मंत्री महोदय ने सभ को बताया था कि सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों के परिणामस्वरुप दो महिने के अंदर छोटे सिक्कों की कमी दूर हो जायगी । परन्तु यह कमी अब भी चल रही है । इस लिये मैं पूछना हूं कि मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन का पालन क्यों नहीं किया गया और सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? यदि वे इस कमी से इन्कार करते है तो इसका अर्थ यह है कि उनकी जानकारी गलत है और यदि अधिक संख्या में सिक्के बनाये जा रहे है तो उनकी संख्या और भी बढायी जानी चाहिये ।

श्री के० आर० गणेश : मेरे उत्तर से और माननीय सदस्य के कथन से यह पता चलता है कि छोटे सिक्कों की कमी अब उतनी नहीं जितनी वर्ष 1971 में थी । इस सम्बन्ध में किये गये विभिन्न उपायों का मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है जैसे विभिन्न स्थानों पर दोहरी पारी चला कर प्रति दिन 14 लाख सिक्कों के स्थान 75 लाख सिक्के बनाये जाने लगे हैं । सिक्कों के तत्व को बदला जा रहा है ताकि उन्हें पिघलाया न जा सके । भविष्य के लिये प्रक्षेप (प्रोजेक्शन) को भी व्यवस्था की गई है ।

श्री एच० एम० पटेल : उन्हें कमी का ध्यान रखना चाहिये और यद्यपि उत्पादन में वृद्धि की गई है परन्तु उस में और वृद्धि की जानी चाहिये ।

श्री पी० गंगा रेड्डी : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हैदाराबाद स्थित रिजर्व बैंक में छोटे सिक्कों की काफी कमी है । मैं स्वयं 4 मई को हैदराबाद स्थित रिजर्व बैंक में गया था और मुझे कठिनाई का अनुभव हुआ था । मैं पूछना चाहता हू कि क्या वह अधिक संख्या में छोटे सिक्के सप्लाई करने की स्थिति में हैं ?

श्री के० आर० गणेश : हम महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में छोटे सिक्कों की कमी के बारे में रिजर्व बैंक को सूचित करेंगे और उन्हें इस कमी को दूर करने के लिये कहेंगे।

Shri Ramavtar Shastri : May I know whether it is a fact that some gangs who keep on hoarding change have been arrested in Agra, Delhi and some other parts of the country and if so, the amount of change recovered from those gangs during the last two years and steps taken to curb these activities in future?

श्री के० आर० गणेश : मैं ने पहले ही बता दिया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में छोटे सिक्कों सम्बन्धी पांच मामलों में अन्तग्रस्त 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यक्तियों के अनधिकृत स्थानों पर पुलिस द्वारा छापे मारे जाने से राज्य सरकारों ने रु० 79,154.94 पैसे बरामद किये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ बातें आपके विचारार्थ रखी है।

श्री के० आर० गणेश : हम उन पर विचार करेंगे।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय का कहना है कि कोई कमी नहीं है और कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मेरा एक सुझाव है कि मंत्री महोदय वेश बदल कर बाजार में जाये और यदि वह इस पांच रुपये के नोट की रेज़गारी दो घण्टे में भी ले आयें तो मैं इस नोट को सरकार की मितव्ययता निधि में दे दूंगा क्या सरकार इस पेशकश को स्वीकार करती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है (**व्यवधान**)।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : कुछ समय पहले रेज़गारी की कठिनाई थी परन्तु अब स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : एसा प्रतीत होता है कि उनको कोई प्रश्न नहीं पूछना है।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, I want to know from the hon'ble Minister the basis of allocation of small coins to a particular state or city and name of the State or city in which maximum number of small coins have been used ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से बिलकुल भिन्न प्रश्न है। इसके लिय अलग नोटिस दिया जाना चाहिये।

विदेशों में इंजीनियरी वस्तुओं की मांग

*753. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बाजार में भारतीय इंजीनियरी वस्तुओं की मांग में वृद्धि का अध्ययन किया है; और

(ख) निर्यात के लिये इंजीनियरी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात उत्पादन का आधार मजबूत बनाने के वास्ते किये गये उपाय, 1975-75 के लिये 'इम्पोट ट्रेड कन्ट्रोल पालिसी फार रजिस्टर्ड एक्सपोर्टस (खण्ड–2) के सेक्शन 1 भाग 'क' तथा 'ख' में निर्धारित किये गये हैं, जिसकी एक प्रति 2 अप्रैल, 1974 को सभा पटल पर रख दी गयी।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : वाणिज्य मंत्री तथा औद्योगिक विकास मंत्री ने अनेक बार कहा है कि विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की जिनमें विदेशी धन का प्रयोग किया जाता है, शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदित कर दिया जायेगा बशतकि उत्पादन किये जाने वाले 60 प्रतिशत या इससे अधिक इंजीनियरी सामान के निर्यात की गारंटी हो। मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि निर्यात करने के लिये इंजीनियरी सामान के निर्माण के लिये सरकार को अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वे $1\frac{1}{2}$ वर्ष से अधिक समय से उनपर निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हैं। सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार क्यों नहीं करती ? क्या सरकार ने ऐसे इंजीनियरी समान के विभाग सम्बन्धी अनेक प्रस्ताव रद्द कर दिये हैं जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक समान निर्यात करने की व्यवस्था थी ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह ठीक है कि इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिये प्रोत्साहन देने हेतु विदेशी सहयोग की अनुमति देने का निर्णय किया गया है बशर्ते कि 60 प्रतिशत निर्यात की गारंटी हो। विदेशी सहयोग के मामल में एकदम निर्णय नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होता है। इसमें कुछ विलम्ब भी हो सकता है। उन्होंने पूछा है कि कितने आवेदन-पत्र रद्ध किय गये हैं। यह एक विशिष्ट प्रश्न है और इसके लिये पृथक नोटिस दिया जाना चाहिये।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इंजीनियरी की किस प्रकार की वस्तुओं की मांग विश्व मंडियों में बढ़ रही है और उन देशों के नाम क्या है जहां इन वस्तुओं के निर्यात की अधिक सम्भावनाए हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : इस प्रकार की वस्तुओं की सूची बहुत लम्बी है। परन्तु कुछ महत्वपूर्ण वस्तुए निम्नलिखित है। मोटर गाड़ियों के कलपुर्जे औद्योगिक संयंत्र, मशीनरी, बिजली के तार, केबल, रेल वैगन, सवारी डिब्बे एम० एस० टायर और ट्यूब साइकल के पुर्जे आदि। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका 10 करोड़ रुपये से अधिक निर्यात होता है। लगभग सभी देशों की यही स्थिति है।

साम्यवादी देशों के साथ व्यापार समझौते

*754. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत **वर्ष** समाजवादी गुट देशों के साथ कितने व्यापार समझौते किये गये और प्रत्येक समझौता किस तारीख को किया गया तथा प्रत्येक समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

इस वर्ष के दौरान आठ समाजवादी देशों के साथ नीचे दी गई तारीखों को वर्ष 1974 के लिए व्यापार करार सम्पन्न हुए :

देश	व्यापार करार पर हस्ताक्षरांकन की तारीख
1. सोवियत संघ	21 जनवरी, 1974
2. पोलैंड	7 दिसम्बर, 1973

देश	व्यापार क ार पर हस्तक्षरांकन की तारीख
3. चेकोस्लोवाकिया	28 नवम्बर, 1973
4. जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य . .	23 नवम्बर, 1973
5. हंगरी	14 दिसम्बर, 1973
6. बल्गारिया	15 नवम्बर, 1973
7. रूमानिया	22 अक्तूबर, 1973
8. कोरिया लोकतंत्रीयजनवादी गगराज्य .	18 फरवरी, 1974

इन व्यापार करारों में कैलेंडर वर्ष 1974 के दौरान सन्तुलित आधार पर भारत द्वारा इन देशों को किये जाने वाले निर्यात और वहां से किये जाने वाले आयात की व्यवस्था है। ये व्यापार-करार तैयार करते समय इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि अपरम्परागत मदों के निर्यातों और उर्वरकों, इस्पात तथा इस्पात उत्पादों, अलौह धातुओं, पैट्रोलियम उत्पादों, औद्योगिक माल आदि जैसे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जरूरी समान के आयात को बढ़ावा दिया जाये।

इसके अतिरिक्त, 6 मार्च, 1974 को बल्गारिया के साथ दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें दोनों देशों के बीच 1974-78 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए द्विपक्षीय तथा सन्तुलित व्यापार पेटर्न और समस्त वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक सौदों के अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में भुगतान की व्यवस्था है।

Shri Bharat Singh Cahuhan: It has been stated in the statement that trade agreements have been concluded work the socialist countries. I want to know as to what would have been the difference if these goods which have been imported from these countries, had been imported from other countries?

श्री ए० सी० जार्ज : समाजवादी देशों के साथ वार्षिक व्यापार के अनुसार व्यापार किया जाता है और प्रत्येक व्यांपार करार में ऐसी वस्तुओं का उल्लेख कर दिया जाता है जिनकी देश को आवश्यकता होती है और साथ उन वस्तुओं का भी उल्लेख कर दिया जाता है जिनकी सम्बन्धित देश को आवश्यकता होती है। आयात सम्बन्धी इन मामलों में प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर ध्यान दिया जाता है और कोई वस्तु उंचे मूल्य पर नहीं खरीदी जाती। अन्तराष्ट्रीय मूल्य का हमेशा ध्यान रखा जाता है।

Shri Bharat Singh Chauhan: There are several examples in which tractors or other types of machinery e.g. for Korba in Madhya Pradesh, imported from Communist Countries have been found defective. A number of complaints have been reached that rotten goods are sold to India. What is the use of such agreement?

श्री ए० सी० जार्ज : पहली बात यह है कि अब ट्रेक्टरों का आयात नहीं किया जाता जहां तक कोरबा के लिये मशीनरी आयात करने का सम्बन्ध है, हमें उसकी किस्म के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री समर गुह : मैं सरकार का ध्यान एक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जो चायना न्यूज़ एजेंसी ने 14 अप्रैल को प्रकाशित किया था। और 15 अप्रैल को लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इसमें लिखा है भारत को रुसी मशनरी और औद्योगिक उत्पादों के लिये अन्तराष्ट्रीय मूल्य से कईबार 20-30 प्रतिशत और कई बार तीन गुना मूल्य देना पड़ता है। उसमें यह भी लिखा है।

"भारत से रूस में आयातित कच्चे माल का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से 20–30 प्रतिशत कम है।

यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में तथ्यों का अध्ययन करेगी और सभा को बतायेगी कि क्या इन आरोपों का कोई आधार है?

श्री ए० सी० जॉर्ज : जब यह समाचार प्रकाशित हुआ था तब सरकार का ध्यान इस ओर गया था। यह समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है और फिर इन आरोपों की ध्यानपूर्वक छानबीन करने से पता चला है कि निर्यात अथवा आयात की किसी वस्तु विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है।

सोवियत संघ से जितनी वस्तुएं मंगाई गई हैं वे प्रतिस्पर्धी दरों पर मंगाई हैं और ऐसा भारत और सोवियत संघ दोनों के लिये लाभकर रहा है।

श्री समर गुह : मैंने 'आरोप' शब्द का प्रयोग किया था। मंत्री महोदय को उत्तर देने में इतनी तत्परता नहीं दिखानी चाहिये। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अध्ययन करेगी?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका अध्ययन कर लिया है।

श्री समर गुह : उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका पुनः अध्ययन कर सकते हैं।

श्री समर गुह : यदि इसमें कोई आधार है तो यह बहुत गंभीर बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं? मैंने मंत्री महोदय से इसका, अध्ययन करने को कह दिया है यदि आपने इसका अध्ययन कर लिया है तो आप पुनः इसका अध्ययन कर सकते हैं।

श्री समर गुह : क्या सरकार गहराई से अध्ययन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका पुनः गहराई से अध्ययन करें।

श्री योगेन्द्र झा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समाजवादी देशों के साथ रुपये के भुगतान करने का हमारा व्यापार है और प्रतिस्पर्धी दरों के आधार पर मूल्य निर्धारित किये जाते हैं, क्या सरकार ने ऐसी नीति बनाई है या बनाने जा रही है कि हमें रुपये का भुगतान करने वाले देशों से ही विदेशी मुद्रा की बचत करने हेतु अपना आयात करना चाहिये।

श्री ए० सी० जार्ज : समाजवादी देशों के साथ हमारा व्यापार प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह भारत तथा अन्य देशों के हित में है। अन्ततोगत्वा, सद्भाव की भावना से हम ऐसा हल निकालते हैं जो दोनों देशों के लिये लाभप्रद हो। आयात की वस्तुएं नियश्चपूर्वक हमारे लिये लाभप्रद है

श्री दीनेन भट्टाचार्य : भारत सरकारने रुपये के भुगतान के आधार पर आठ समाजवादी देशों के साथ व्यापार समझौते किये हैं। क्या सरकार ने इस अवधि के दौरान अमरीका या यूरोप किसी अन्य देश के साथ रुपये के भुगतान के आधार पर कोई व्यापार समझौता किया है?

श्री ए० सी० जार्ज : अमरीका या यूरोप के किसी देश के साथ रुपये के भुगतान के आधार पर कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ है।

श्री बी० के० दास चौधरी : समाजवादी देशों के साथ आयात और निर्यात व्यापार में उत्साह वर्धक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या निर्यात और आयात कीथे सभी व्यापारिक गतीविधियां राज्य व्यापार निगम जैसे सरकारी उपक्रमों द्वारा नियंत्रित की जा रही है ?

श्री ए० सी० जार्ज : अधिकांश नियोत पर सरकारी क्षेत्र के संगठनों का नियंत्रण है परन्तु कुछ वस्तुओं का निर्यात गैर-सरकारी क्षेत्र के माध्यम से भी किया जाता है।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : 20,000 ट्रैक्टरों के आयात के लिये चेकोस्लोवाकिया और भारत के बीच व्यापार समझौता हुआ था। क्या ये सभी ट्रक्टरों आ गये हैं ? कुछ आयातित ट्रैक्टरों में पुर्जे नहीं है।

श्री ए० सी० जार्ज : हमने ट्रैक्टर आयात न करने का निर्णय किया है क्योंकि हमारी स्वदेशी क्षमता भली भांति पूरी हो गई है। हम पूर्वी यूरोप के कुछ देशों से ट्रैक्टरे आयात करते थे परन्तु अब हमने उनका आयात बंद कर दिया है।

श्री मोहनराज कलिंगारायर : मैंने यह विशेष प्रश्न पूछा था कि क्या ये 20,000 ट्रैक्टर आ गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि अब आयात बंद कर दिया गया है।

अगला प्रश्न

स्टैण्डर्ड कपड़े का उत्पादन और वितरण

*757. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गरीबों के स्तर से नीचे के लोगों की नियंत्रित सस्ते कपड़े की अनुमानित न्यूनतम वार्षिक मांग कितनी है और इस कपड़े का अपेक्षित उत्पादन तथा उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या निश्चित उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रा० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : पांचवीं योजना हेतु दृष्टिकोण दस्तावेज के अनुसार 1973-74 के दौरान 50 रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति व्यय वाले वर्ग के लोगों द्वारा सूती कपड़े की आवश्यकता 2.57 करोड़ मीटर प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है जो कि अधिकांशतः मोटा तथा मध्यम किस्म का कपड़ा है। केवल मिल क्षेत्र में ऐसे कपड़े की पहने योग्य किस्मों का उत्पादन 300 करोड़ मीटर प्रतिवर्ष के आसपास है जिसमें से 80 करोड़ मीटर कपड़ा 1 अप्रैल, 1974 से नियंत्रित कीमतों पर बिकने वाले नियंत्रित कपड़े के रूप में होगा। यह कपड़ा केवल अनुमोदित खुदरा बिक्री माध्यमों के जरिये वितरीत किया जाता है।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय द्वारा दिये गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि गरीबी के स्तर जिसे मंत्री महोदय ने 50 रुपये निर्धारित किया है --मैं समझता हूं कि वह उससे काफी अधीक होना चाहिये क्योंकि आज कल मूल्य बढ़ रहे हैं— से नीचे के लोगों के लिये ऐसे कपड़े का अभाव है, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है जिससे द्वारा यह सुनीश्चित किया जा सके कि गरीबी के स्तर से नीचे के वास्तविक प्रयोक्ताओं को राशन के माध्यम से कपड़ा मिले ? क्या नियंत्रीत कपड़ का उचित वितरण सुनिश्चित करने हेतु खुदरा दुकानों को लोकप्रिय समितियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रखा जा सकेगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमें जितना कपड़ा मिल रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अतः मैं यह दावा नहीं करूंगा कि जिस वर्ग का मैंने उल्लेख किया है उसकी आवश्यकताए पूरी

करने के लिये वह कपड़ा पर्याप्त है। परन्तु इस किस्म के कपड़े के कोटे में 40 करोड़ मीटर से 80 करोड़ मीटर की वृद्धि एक अच्छा कदम है। हम इसे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे देश की जनसंख्या के तीन-चौथाई भाग को कपड़े का वितरण करना सरल कार्य नहीं है। इस समस्या की व्यापक जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए हम राज्य सरकारों, अन्य एजेन्सियों तथा उचित दर की दुकानों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कितनी सरकारी या अर्ध सरकारी एजसियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। हम योजना पर विचार कर रहे हैं। अतः इस समय मैं अंतिम उत्तर नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : लोकप्रिय समितियों के बारे में आपका क्या कहना है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हम इसकी निश्चय ही जांच करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय ने कहा है कि मांग और पूर्ति के बीच बहुत अन्तराल है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह सुनिश्चीत करने के लिये कि न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, क्या गैर-सरकारी मिलों द्वारा बनाये जाने वाले मोटे कपड़े की मात्रा बढ़ाई जायेगी ? क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य का पता है कि मिल मालिक यह समाचार फैला रहे हैं, जिसे मंत्री महोदय अफवाह कहेंगे, कि शासक दल ने उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान कई करोड़ रुपये लिये हैं और इसीलिये 30 प्रतिशत की इस मूल्य-वृद्धि की अनुमति दी गई है ? यदि हा, तो क्या यह सच है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह बिल्कुल निराधार है। हमने एक अवसर पर सभा के समक्ष मल्य-वद्धि होने के कारण स्पष्ट किये थे। गत छह वर्ष, 1968 से 1974 के दौरान हमारे अनुमान के अनुसार नियंत्रित कपड़े की उत्पादन लागत लगभग 87 प्रतिशत तक बढ़ी है और उनके अनुसार लगभग 100 प्रतिशत तक बढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न धन इकट्ठा किये जाने के बारे में मिल-मालिकों द्वारा फैलाई गई अफवाह का है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: यह नितांत निराधार है।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरे प्रश्न का पहला भाग यह था कि क्या कपड़े की मात्रा बढ़ाई जायेगी?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ऐसा कह चुके हैं।

Shri Shashi Bhushan : Standard cloth is not available adequately in the country, there is a dearth of it. Nor its distribution is proper. In view of the fact that superior cloth is produced in large quantity in the country and standard cloth is produced in low quantity, may I know whether there is any proposal to impose obligation on the fine cloth producing mills and ask them to produce standard cloth in maximum quantity so that people can get it easily ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह बंदिश सरकारी अथवा गैर-सरकारी सभी मिलों पर लगाई गई है। निर्यात की तुलना में नियंत्रित कपड़े की बंदिश की क्षतिपूर्ति करने की भी व्यवस्था है। निर्यात की बंदिश के अलावा 3 : 1 का अनुपात होगा और नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के लिये अन्तर्मिल स्थानान्तरण की व्यवस्था है। अतः किसी को छूट नहीं दी गई है। जो यह बंदिश नहीं करेंगे उन्हें पहले के एक रुपये की तुलना में अब प्रति मीटर 2.50 रुपये अदा करने पड़ेंगे। हमने सभी संभावनाओं का ध्यान रखा है।

श्री पी० एम० मेहता : सरकार द्वारा मूल्य–वृद्धि की अनुमति दिये जाने के कारण मोटा कपड़ा या स्टेंडर्ड कपड़ा और महंगा हो गया है। जब कपड़ा उद्योग ने वर्ष 1970 में भारी मुनाफा कमाया था तो इस मूल्य–वृद्धि की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने उनसे कितना पैसा इकट्ठा किया ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : एक पैसा भी नहीं लिया। जैसा कि मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि कपड़े की उत्पादन लागत लगभग 90 प्रतिशत तक बढ़ गई है और 103 मिलें रुग्ण हो गई जिन्हें सरकार को अपने नियंत्रण में लेने पड़ा। अत्याधिक उत्पादन लागत के कारण मूल्य–वृद्धि की अनुमति दी गई है।

श्री डी० एम० तिवारी : पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण के दस्तावेज से यह देखा गया है कि जून, 1969 के बाद कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता एक मीटर से अधिक कम हो गई है। इसका क्या कारण है ? क्या कपडे की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता बढाने के लिये सरकार कोई कदम उठायेगी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : कपडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होने का कारण यह है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ–साथ कपडे के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। हमने कपड़ा उद्योग में काफी पुंजी लगाने का एक नीति संबंधी निर्णय किया है।

श्री त्रिदिब चौधरी : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि सरकार ने लगभग 103 रुग्ण मिलों को अपने नियंत्रण में लिया। क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है कि इन मिलों की उत्पादन क्षमता का उपयोग केवल मोटे कपड़े या सस्ते किस्म के कपड़े के उत्पादन के लिये ही किया जायेगा ?

प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय : जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमने जिस मूल्य–वृद्धि की अनुमति दी है उसके द्वारा उत्पादन लागत को निष्प्रभावी नहीं किया गया है। अतः यदि हम एन० टी० सी० की मिलों को केवल स्टैंडर्ड या मोटे कपड़े का उत्पादन करने हेतु विवश करें तो उन्हें कठिनाइयां हो सकती है। अतः यह बंदिश गर–सरकारी और सरकारी सभी मिलों पर लगा दी गई है।

लघु उद्योग निगम में राज्य व्यापार निगम का साम्य पूंजी निवेश

*758. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** † :

श्री राम प्रकाश :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न राज्यों के लघु उद्योग निगमों में साम्य पूंजी निवेश का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० ए० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगमों की ईक्विटी पुंजी में भागीदारी से राज्य व्यापार निगम इन निगमों की प्रबंध–व्यवस्था में शामिल हो सकेगा और उसे सुदृढ़ बना सकेगा। इसके फलस्वरूप आयातित कच्चे माल के वितरण के लिए एजेंटों के रूप में तथा निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन के संबंध मे लघु उद्योग निगमों की सार्थकता बढ़ायी जा सकती है।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि किन-किन राज्यो में भिन्न-भिन्न राज्य लघु उद्योगों और निर्यात निगमों में राज्य व्यापार निगम द्वारा साम्य पूंजी निवेश किया गया है ?

श्री ए० सी० जार्ज : महाराष्ट्र लघु उद्योग निगम में 10 लाख रुपये की साम्य पूंजी लगाई गई है; आन्ध्र प्रदेश लघु उद्योग निगम में 1 लाख रुपये की साम्य पूंजी लगाई गई है और मैसूर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के लघु उद्योग निगमों तथा गुजरात के निर्यात निगमों में भी साम्य पूंजी के निवेश का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल : अत: सबसे निर्धन राज्य बिहार को दुर्भाग्य से छोड़ दिया गया है । क्या यह सच नहीं है कि गत 10 वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा राज्य लघु उद्योग निगमों, विशेषकर बिहार में साम्य पूंजी निवेश के लिए किए गए प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

श्री ए० सी० जार्ज : दुर्भाग्यवश, हमारे मंत्रालय की फाइलों और रिकार्ड में पूंजी निवेश के सम्बन्ध में बिहार सरकार या बिहार राज्य उद्योग निगम की ओर से एक भी आवेदन पत्र नहीं है ।

Strike in Jute Mills during 1974

***760. Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of days for which the strikes in jute mills have so far lasted during 1974 and the loss of production as a result thereof ; and

(b) the demands of the workers ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 33 दिन, उत्पादन में अनुमानित हानि लगभग 1 लाख मे० टन की है जिसका मूल्य 30 करोड़ रु० के आस पास है ।

(ख) कर्मचारियों की मुख्य मांगें थी (1) पटसन मिलों के प्रबन्धक वर्ग और कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित मई, 1972 समझौते की कतिपय मदों का क्रियान्वित न किया जाना, (2) उजरती काम दरों, समय दरों, और कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों के ग्रेडों/वेतनमानों में संशोधन; (3) अखिल भारतीय आधार पर पटसन कर्मचारियों के सम्बन्ध में मजदूरियों तथा महंगाई भत्ते का मानकीकरण (4) बदली कर्मचारियों को राहत; (5) 20 प्रतिशत बोनस; (6) पटसन उद्योग तथा कच्चे पटसन सम्बन्धी व्यापार का राष्ट्रीयकरण, आदि ।

Shri M. C. Daga : The loss valued at Rs. 30 crores and the strike lasted for 33 days. Why did the Central Government not intervene earlier ? That was a written agreement and was signed in 1972 and before the loss of Rs. 30 crores had been incurred, why did the Central Government not intervene ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जब विचार विमर्श हो रहा था तब मैं स्वयं वहां उपस्थित था और विचार विमर्श में भाग ले रहा था । केन्द्रीय श्रम मंत्री का भी परामर्श लिया गया था उनकी भी राय ली गई थी । परन्तु चूंकि ये मिलें पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल में स्थित थी तथा राज्य को मंत्रालय इन समस्याओं को विस्तारपूर्वक जसता था और उसने ही 1972 का फैसला किया था, जिस फैसले का कथित उल्लंघन किया गया है, इसलिए हमने सोचा कि रोजाना की बातचीत के लिए राज्य का मंत्रालय ठीक रहेगा । यह बात नहीं है कि अकेले उसने ही इस पर विचार किया हो और हम से परामर्श नहीं लिया गया हो ।

जहां तक नुकसान का सम्बन्ध है, यह सही है और हमें इस पर खेद है । परन्तु प्रश्न यह है कि जब तक उद्योग और श्रमिकों द्वारा औद्योगिक सम्बन्धों का फैसला नहीं किया जाता तब तक सरकार केवल उनका फैसला करने का प्रयास ही कर सकती है परन्तु उन्हें विवश नहीं कर सकती ।

Shri M. C. Daga : What about standardisation of wages of jute workers in different parts of India?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : 1972 के फैसले में समूचे देश में करीब-करीब समानता थी परन्तु इस बार उन्हें समान आधार पर मानकीकरण का आग्रह किया । सरकार सिद्धान्त रूप में तो सहमत हो गई है परन्तु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां है । फिर भी, नवीनतम स्थिति यही है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated in reply to the question that the agreement which has been arrived at has been implemented to some extent. How much more remains to be implemented? Is it a fact that there is resentment among the people as it has not been implemented fully? Are they going to evolve a policy that as and when they receive the notice of strike, immediate action may be taken?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : बदली कर्मचारियों उजरती काम दरों समय दरों के बारे में कुछ समझौते हुए हैं परन्तु संघ का तर्क है कि उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया गया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय एक मांग से भली भांति अवगत है और उसका उनसे सम्बन्ध है, वह मांग कच्चे पटसन व्यापार को हाथ में लेने की है । क्या उन्हें यह मालूम है--वास्तव में उनका वक्तव्य समाचार-पत्र में आया है--कि पटसन उत्पादकों को वह समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है जिसे केन्द्रीय सरकार के कहने पर पटसन निगम ने निर्धारित किया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कोई कार्यवाही कर रही है कि वास्तविक पटसन उत्पादकों को वह मूल्य मिले जिसका उन्हें भारत सरकार ने आश्वासन दिया था ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने भारतीय पटसन निगम के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर दिया है और यह निगम अधिकाधिक पटसन खरीद रहा है । कच्चे पटसन के व्यापार को हाथ में लेने का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों का सामान ले जाने के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति

***764. श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यात्रियों का सामान ले जाने के लिए देश के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ठेकेदार नियुक्त किए हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए ठेका देने हेतु कोई खुला टेन्डर मांगा गया था ; और

(ग) क्या ये ठेकेदार जाम एयर कम्पनी जैसे बड़े विमान संचालक हैं और चारों हवाई अड्डों पर विभिन्न नामों से इसी फर्म को ठेका दिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां । केवल सिटी-साइड से बुकिंग काउन्टर तक तथा डिलिवरी स्थल से बाहर परिवहन तक ।

(ख) कलकत्ता विमानक्षेत्र पर अन्तर्देशीय विंग को छोड़ कर, जहां ठेका बातचीत द्वारा तय किया गया था, सभी ठेकों के लिए समाचार-पत्रों के माध्यम से टेन्डर (निविदा) मांगे गए थे ।

(ग) मैं सभा पटल पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर ठेकेदारों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण रख रहा हूं ।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर कुलीगिरी सेवाओं के ठेकेदारों के नाम

	अन्तर्राष्ट्रीय विंग	देशीय विंग
दिल्ली .	मेसर्स कम्बाटा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ।	मेसर्स जामएयर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ।
कलकत्ता .	मेसर्स एयर टर्मिनल सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड ।	मेसर्स बी० घोष एण्ड सन्स
बम्बई .	मेसर्स कम्बाटा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ।	मेसर्स कलीनवेल (इंडिया)
मद्रास .	मेसर्स एशियन एयर एसोसिएट्स	मेसर्स सुजा कमर्शियल एजेंसी ।

श्री बी० के० दास चौधरी : कलकत्ता को छोड़कर किन तारीखों को ठेके के लिए विज्ञापन समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ, दूसरे, इस मामले को खुले विज्ञापन में दिए बिना सुलह समझौता करने का क्या कारण था, तीसरे, बड़े अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों, अन्तर्राष्ट्रीय विंग और अन्तर्देशीय विंग के सम्बन्ध में उन ठेकेदारों से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा प्राधिकरण कुल कितनी राशि वसूल करेगा ?

श्री राजबहादुर : प्रश्न बहुत व्यापक है। मैं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों के लिए प्राप्त टेन्डरों की संख्या बता सकता हूं ; दिल्ली 3, कलकत्ता 1, अन्तर्राष्ट्रीय साइड, बम्बई 9, मद्रास 3

श्री बी० के० दास चौधरी : विज्ञापन किन तारीखों को प्रकाशित हुआ ?

श्री राजबहादुर : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : वास्तव में वह प्रकाशित नहीं हुआ था ।

श्री राज बहादुर : मैंने विवरण दिया है। टेन्डर समाचार-पत्रों के माध्यम से मांगे गए थे। लगभग 20 टेन्डर मिले हैं। अन्तर्देशीय साइड-दिल्ली में 20 पार्टियों ने टेन्डरों की पेशकश की थी और कलकत्ता में 2 पार्टियों ने और वे दोनों ही लेबर साइड की हैं। मद्रास—लगभग 5 टेन्डर मिले —

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय शेष जानकारी उन्हें दे सकते हैं। अब प्रश्न-काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बम्बई बन्दरगाह पर जहाजों द्वारा रूई की गाठों का न उठाया जाना

***752. श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई में चार मालवाही जहाज जो बम्बई से बंगाल देशी रुई की 25,000 गांठें ले जाने के लिए बुक किए गए थे, लदान के बिना ही वहां से चले गए हैं, क्योंकि निर्यातक गांठें गोदी तक नहीं पहुंचा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सरकार को ऐसे समय जब कि 'निर्यात' करना अत्यावश्यक है, मूल्यवान विदेशी मुद्रा की हानि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) तथा (ख) वस्त्र आयुक्त से यह पता चला है कि पिछले एक महीने में बम्बई से एक या दो ऐसे जहाज रवाना हुए थे जो बंगाल दशी रुई की लगभग 20,000 गांठें नहीं ले जा सके। परन्तु बाद में अन्य स्टीमरों द्वारा माल भेजा गया है ।.

कोलम्बो बैठक में भारत का भाग लेना

***755. श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष मार्च के अन्तिम सप्ताह में हुई कोलम्बो बैठक में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने किन्हीं करार पर हस्ताक्षर किये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय):(क) भारत ने 27 मार्च से 6 अप्रैल, 1974 तक कोलम्बो में हुए संयुक्त राष्ट्र एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग (इकाफे) के 30 वें सत्र में भाग लिया ।

(ख) जी हां, इस सत्र में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक एशियाई क्लियरिंग संघ (ए सी यू) की स्थापना के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए ।

मकान किराये की रसीद पेश करने में सरकारी कर्मचारियों को कठिनाई

***756. डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान किराये की रसीद पेश किये बिना मकान किराया भत्ता दिये जाने के लिये सरकारी कर्मचारियों की वेतन-सीमा को बढ़ाकर पुनरीक्षित वेतनमान में 750 रुपये से अधिक तथा पुराने वेतनमान में 530 रुपये से अधिक किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) मकान किराया भत्ता पाने के लिए मकान किराये को रसीदें पेश नहीं करने की छूट वेतन को जिस सीमा तक दी गयी थी वह तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतनमानों के प्रवर्तन से पूर्ववर्ती वेतनमान में मंहगाई भत्ता को मिला कर, 620 रु० थी । संशोधित वेतनमान लागू करने पर तृतीय वेतन आयोग की एतत् सम्बन्धी सिफारिश में सुधार करते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि इस वेतन सीमा को बढ़ा कर 750 रु० कर दिया जाय । इस निर्णय के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि यह रिआयत उच्चतर वेतन समूहों तक बढ़ा दी जानी चाहिए । इन की जांच की जा रही है ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा सम्पत्तियों की लुके छिपे बिक्री

759. श्री मधु दन्डवते :

श्री विक्रम महाजन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कई स्टर्लिंग कम्पनियां अपनी सम्पत्तियों को लुके छिपे बेच रही है और विदेशी मुद्रा विदेश भेज रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन कोई भी विदेशी कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भारत में न तो सम्पत्ति रख सकती है, न ही खरीद या बेच सकती है। सम्पत्ति को बेचने के लिये दिये जाने वाले आवेदन पत्रों पर, परिसम्पत्तियों आदि के मूल्य आदि के संदर्भ में जांच की जाती है और अनुमति दी जाती है। यह अधिकार 1 जनवरी, 1974 से प्राप्त हुए हैं और पर्याप्त हैं। यद्यपि चोरी छिपे किये जाने वाले लेन-देनों का कोई मामला सरकार के सामने नहीं आया है फिर भी यदि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को भंग करने के बारे में कोई विशेष मामले पेश किये जायें तो उन पर आगे जांच-पड़ताल की जा सकती है।

कपड़े के वस्त्रों का निर्यात

***761. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कपड़े के वस्त्रों का कुल कितना निर्यात हुआ;

(ख) क्या विदेशों में नायलोन अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों की भारी मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में नायलोन के वस्त्रों तथा नायलोन के कपड़ों की खपत पर रोक लगाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान भारत के सूती कपड़े के कुल निर्यात 160.51 करोड़ रुपये के मूल्य के थ। 1973-74 के दौरान फरवरी, 1974 तक 199 करोड़ रुपये के मूल्य के निर्यात होने का अनुमान है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

भारतीय रुई मंडियों में जापान का प्रवेश

***762. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी खरीदार देशी रुई के लिये हमारी मंडियों में पुनः आ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गये ठेकों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पिछले कई वर्षों से हमारी बंगाल देशी रुई का जापान एक प्रमुख खरीदार रहा है।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान बंगाल देशी रुई की 1,22,800 गांठें जापान भेजी गयी थी।

राज्यों के पूरे न किए गये घाटे और उसका देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

***763. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों द्वारा बड़ी मात्रा में घाटे पूरे न किये जाने का आंशिक कारण छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के उपरान्त केन्द्रीय सरकार द्वारा उदारता से आबंटन किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, इस तथ्य के बावजूद, कि छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र से अधिक साधन अन्तरित किये गये हैं, अधिकांश राज्यों ने पूरित घाटे छोड़ दिये हैं ।

(ख) राज्य सरकारों से बजट-स्थिति की समीक्षा करने और इसमें ऐसे फेर बदल करने के लिये आग्रह किया जा रहा है जिससे कि खर्च उपलब्ध साधनों के बराबर रहे ।

Arrears of Income Tax above Rs. 1 lakh against firms in Rajasthan

***765. Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to item 65 of Statement No. III laid on the Table on the 27th July, 1973 in implementation of assurance given in reply to Unstarred Question No. 9246 on 4th May, 1973 regarding arrears of Income-tax above Rs. one lakh against firms in Rajasthan and state :

(a) the number of big firms which have since cleared income-tax arrears for the years 1970 to 1973 and of those which have yet to do so; and

(b) the action being taken against those firms which have yet to deposit the income-tax outstanding against them?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) Out of the 20 cases of big firms mentioned in the Statement showing implementation of the assurance given in reply to Unstarred Question No. 9246 dated 4-5-1973 Income-tax arrears have since been cleared in 14 cases. The names of the remaining 6 cases and the action being taken are given in the Statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. L.T.* 6750/74.].

Half a million job scheme of Union Bank of India

***766. Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Union Bank of India had notified "Half a million job Scheme" in November, 1973;

(b) whether it was provided in this scheme that graduates will be given funds for employment; and

(c) whether the said scheme has not been implemented?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) All Public Sector Banks, including Union Bank of India, are participating in the implementation of the Half-a-Million-Jobs Programme for providing gainful self-employment to educated unemployed by extending credit for viable productive endeavours.

ऊनी चिथड़ों के आयात के लिए लुधियाना के होजरी के निर्यातकर्ताओं को काली सूची में दर्ज किया जाना

***767. श्री एम० एस० पुरती :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात और निर्यात नियंत्रक विदेशों से ऊनी चिथड़ों का आयात करने के लिये लुधियाना के होजरी की वस्तुओं के कुछ निर्यातकर्ताओं को काली सूची में दर्ज किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन निर्यातकर्ताओं के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय चांज ब्यूरो द्वारा मामले दर्ज किए गए हैं । कुछ दोषियों के खिलाफ अभियोग चलाय जा रहे हैं । अपराधियों के खिलाफ विभागीय पीनल कार्यवाही भी की जा रही है ।

रूस से सूरजमुखी के तेल का आयात

***768. श्री रण बहादुर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस वाणिज्यिक आधार पर 10,000 टन सूरजमुखी के तेल की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) आयात के लिए संविदा पर वार्ताएं चल रही है ।

कोका कोला निर्यात निगम

***769. श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकाकोला निर्यात निगम द्वारा बनाये जाने वाले उत्पादों में से कितने प्रतिशत उत्पादों का निर्यात किया जाता है ; और

(ख) इस कम्पनी से कितनी भारतीय भागीदारी स्वीकार करने को कहा गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कोका कोला निर्यात निगम ने 1973 में अपने उत्पादन का 25·52 प्रतिशत भाग निर्यात किया ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन, अधिनियम, 1973 की धारा 29 के प्रशासन के लिए सरकार द्वारा घोषित मार्ग-निर्देशी सिद्धान्तों के अनुसार, औद्योगिक लाइसस नीति, 1973 के परिशिष्ट 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन का काम करने वाली या चाय बागान का काम करने वाली कम्पनियों या मुख्य रूप से निर्यात प्रधान उद्योगों को छोड़कर विदेशी कम्पनियों की सभी शाखाओं के लिए भारतीय कम्पनियों के रूप में बदल जाना आवश्यक होगा, जिनमें विदेशी शेयर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे । कोका कोला निर्यात निगम को अधिक से अधिक 30 जून, 1974 तक इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन-पत्र देना होगा । उनका आवेदन-पत्र प्राप्त हो जाने के बाद उपर्युक्त मार्ग निर्देशी सिद्धान्तों की दृष्टि से उसकी जांच की जायगी ।

Printing of Currency Notes during the last three years

7303. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of currency notes of 100, 10, 5, 2 and 1 rupee-denominations printed during the last three years, separately?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The required information is as follows :—

Denomination	Notes printed during the year		
	1971-72	1972-73	1973-74
Rs. 100 . .	120·00	119·00	121·00
Rs. 10	1000.00	785.00	815.00

Denomination	Notes printed during the year		
	1971-72	1972-73	1973-74
Rs. 5	500.00	590.00	610 00
Rs. 2 . .	300.00	331.00	434.00
Re. 1	1820.00	2457.30	2143·95

Scheme to grow Tea in Hill Areas of Bastar

7304. Shri Lambodar Baliyar: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme under consideration to grow tea in hill areas of Bastar; and

(b) if so, the particulars thereof and the time by which it is expected to be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

आसाम में इंडियन एयरलाइंस के कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या

7305. श्री विश्व नारायण शास्त्री : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम स्थित इण्डियन एयरलाइंस के कार्यालयों में कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) इनमें से कुल कितने कर्मचारी आसाम राज्य के हैं ;

(ग) क्या 30 अप्रैल, 1972 को चपरासी, कुली और क्लीनर के पदों पर काम करने वाले 90 कर्मचारियों में से 72 कर्मचारी आसाम से बाहर के व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों पर जिसके लिए कोई तकनीकी योग्यता आवश्यक नहीं है, स्थानीय लोगों के दावे की उपेक्षा करने के क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 203 ।

(ख) और (ग) असम में स्थित इण्डियन एयरलाइंस के कार्यालयों में आजकल काम कर रहे अधिकांशतः वे कर्मचारी हैं जिन्हें राष्ट्रीयकरण के समय निजी विमान कम्पनियों से लिया गया था । तथापि अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा जैसे ही प्राप्त हो जाएगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) चपरासियों, पोर्टरों, क्लीनरों, ड्राइवरों आदि की भर्ती को स्थानीय उम्मीदवारों तक ही सिमित रखने का हर प्रयत्न किया जाता है। इसके लिये रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालयों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों को अधिसूचित कर दिया जाता है।

आदिवासी क्षेत्रों में काफी बागान

7306. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में काफी बागानों के विकास करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) आदिवासी क्षेत्रों में काफी बागानों का विकास किये जाने के प्रश्न पर सरकार ध्यान देती रही है परन्तु उन्हें अभी अपने विचारों को सूत्रबद्ध करना है ।

दक्षिणी यमन के साथ संयुक्त औद्योगिक उद्यम लगाने सम्बन्धी समझौता

7307. श्री वनमाली बाबू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी यमन के साथ संयुक्त औद्योगिक उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यमन जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य से आये हुए प्रतिनिधिमंडल के साथ हुए हाल के विचार-विमर्श के दौरान संयुक्त उद्यमों की स्थापना की सम्भाव्यताओं पर विचार करना स्वीकार किया गया । यह निर्णय किया गया था कि यमन गणराज्य योजना विशेषज्ञों के एक प्रतिनिधिमंडल को भारतीय योजना मंत्रालय के साथ विशिष्ठ परियोजनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिये भेजेगा ।

चाय बागान द्वारा उत्पादन शुल्क का दुर्विनियोजन

7308. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स विलियमसन मगोर-एण्ड कम्पनी लिमिटेड के नियंत्रण और प्रबन्ध में विशनौथ टी कम्पनी के दारंग जिले में स्थित तीन चाय बागानों में चालानों के आधार पर, जो बाद में जाली पाये गये थे, पर्सनल लेजर एकाऊंटस में कुल मिला कर 18 लाख रुपये से अधिक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राप्त कर लिये जाने का पता लगा था ;

(ख) यदि हां, तो तीन चाय बागानों से अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है और इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या मैसर्स विलियमसन मगोर एण्ड कम्पनी ने नेशनल इन्शोरेंस कम्पनी यूनिट कलकत्ता से आवाजाही में हानि के लिए 18 लाख रुपये से अधिक धनराशि वसूल की है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन परिस्थितियों की जांच करने का है जिनमें एक राष्ट्रीयकृत बीमा एकक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के जाली जमा चालानों के लिये क्षतिपूर्ति दे सकते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । मैसर्स विलियमसन मगोर कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध के अंतर्गत आने वाले असम के दारंग जिले के तीन चाय बागानों, अर्थात (i) देकोराय टी स्टेट, (ii) परताबगढ़ टी स्टेट तथा (iii) मजूलीगढ़ टी स्टेट, ने ऐसे अनेक चालानों के आधार पर जो बाद में जाली पाए गए, 18,60,761.00 रुपये की केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की रकम प्राप्त कर ली थी ।

(ख) अब तक 3,08,600.00 रुपये की रकम वसूल की जा चुकी है। पार्टियों द्वारा गौहाटी उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट-याचिका के फलस्वरूप शेष रकम की वसूली होनी बाकी है। धोखा धड़ी के मामले के सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात की थी तथा आपराधिक कार्यवाही आरंभ कर दी है। उन्होंने इसके पहले केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के एक अधीक्षक तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के एक निरीक्षक के साथ-साथ फर्म मैसर्स मुरलीधर रामपाल के मालिक तथा उसके कुछ कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

माडर्न बाजार, वसन्त बिहार, नई दिल्ली में आयातित वस्तुओं की बिक्री

7309. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या वित्त मंत्री मार्डन बाजार, वसन्त बिहार, नई दिल्ली में आयातित वस्तुओं की बिक्री के बारे में 24 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बाजार, सी-8/3, वसन्त बिहार, नई दिल्ली में अभी भी आयातित वस्तुओं की बिक्री हो रही है ;

(ख) क्या इस परिसर में एक और छापा मारा गया था और आयातित वस्तुएं पकड़ी गई थीं ;

(ग) यदि हां, तो आयातित वस्तुओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या उक्त परिसर में विदेशी शराब भी बेची जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस आशय की कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि माडर्न बाजार, वसन्त बिहार, दिल्ली में आजकल आयातित माल बेचा जाता है।

(ख) उपर्युक्त परिसर में 27 अगस्त, 1973 को एक और छापा मारा गया था तथा लगभग 12,000 रुपये मूल्य का सामान पकड़ा गया था। पकड़े गए माल में सिगरेट, प्रसाधन-सामग्रियां, खाद्य सामग्री तथा एक संगणक मशीन शामिल थी।

(ग) परिसर पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। ऊपर उल्लिखित छापे के फलस्वरूप दूकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। मैजिस्ट्रेट ने उसे 8,000 रु० के निजी बांड तथा उतनी ही रकम के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया।

(घ) जी, नहीं।

Black money unearthed as a result of raid by Income-tax officers in Agra

7310. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Income-tax Officers had seized a huge amount of black money from a firm in Agra District by conducting a raid in March, 1973; and

(b) if so, the broad features of the goods seized in the raid and the value thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) and (b) No raid was conducted on any firm in Agra District in March, 1973. However, officers of the Income-tax Department conducted searches on 4th and 5th

March, 1974 at the business and residential premises of certain dealers in chemicals at Ferozabad as a result of which unaccounted assets worth about Rs. 18 lakhs were seized besides books of accounts and documents.

Items imported from USA

7311. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the approximate value in Indian currency of the goods proposed to be imported from and exported to USA during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : It is not possible at this stage to estimate the value of our imports from and exports to U.S.A. during 1974-75.

Loans and grants received from USSR for industrial development

7312. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amounts of grants and loans received by the Government of India from the USSR for industrial development during the financial years 1971-72, 1972-73 and 1973-74; and

(b) the rate of interest to be paid on the loans so received and general conditions in this regard?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) No grants or loans were authorised by USSR for industrial development during the financial years 1971-72, 1972-73 and 1973-74. However, against the loans authorised by USSR upto 1966, the following amounts were utilised during the last three financial years :—

	(In Rs. crores)
1971-72	14.03
1972-73	8.–52
1973-74 (estimated)	8.26

(b) The Soviet credits authorised upto 1966 carry interest of 2½% per annum and are repayable over a period of 12 years. The repayments towards the principal begin one year after the completion of deliveries of equipment essential for putting the respective project into operation. However, in respect of the following two credits, the terms are slightly different :—

(i) Drugs Projects.—The loan is repayable over a period of 7 years.

(ii) Credit for Bokaro Steel Plant.—Repayment starts one year after the year during which a particular amount has been utilised.

The payment of interest and repayment of principal are made in Indian rupees, which are utilised by the Soviet authorities for purchase of goods in India for export to the USSR.

Deposits received under Small Savings Schemes in Madhya Pradesh

7313. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of money deposited under small savings schemes in Madhya Pradesh State in 1972-73;

(b) the amount of withdrawals therefrom during the month of April, 1973; and

(c) the deposits and withdrawals by Madhya Pradesh Government and others, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The amount of money deposited under small savings scheme in Madhya Pradesh in 1972-73 was Rs. 11.87 crores (net).

(b) The withdrawals and encashments under various small savings securities in Madhya Pradesh during April, 1973 was Rs. 2.51 crores.

(c) The deposits and withdrawals under various small savings securities in Madhya Pradesh and in other States during April 1973 were as under:—

(Rs. in crores)

State	Gross Deposits	Withdrawals
1. Andhra Pradesh . . .	3.13	2.04
2. Assam	1.48	1.34
3. Bihar	7.58	4.94
4. Gujarat . . .	3.26	3 60
5. Haryana . .	11.65	19.11
6. Himachal Pradesh	.98	.64
7. Jammu & Kashmir	.78	.57
8. Karnatak . .	1.84	1.40
9. Kerala . . .	2.11	1.76
10. Madhya Pradesh .	3.00	2.51
11. Maharashtra	10.96	7.75
12. Manipur	.04	.04
13. Orissa	2.75	1.50
14. Punjab	5.08	6.93
15. Rajasthn .	1.42	1 26
16. Tamil Nadu	4.09	3.85
17. Tripura . . .	.16	.15
18. Uttar Pradesh . . .	13.16	11.72
19. West Bengal	9.59	5.86

Reservation of Powerlooms for certain items like Towels and Bedsheets etc.

7314. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government propose to ban the manufacture of muslin and voil on powerlooms by the mills and to reserve powerlooms for the production of items like towels, bedsheets and shirting; and

(b) if so the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) No such proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

Setting up of Weavers Service Centre in Madhya Pradesh

7315. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up Weavers Service Centres in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the locations thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b) There is already one Weavers' Service Centre at Indore in Madhya Pradesh. There is no proposal to open any more Centres in the State at Present.

Import/Export Trade with Japan in Private and Public Sector

7316. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantum of import and export transactions made with Japan by the firms in the private and public sectors during the years 1971-72 and 1972-73, the names of the articles imported and exported and also their value in Indian currency, separately;

(b) whether there is further scope for the expansion of import and export trade between Japan and the aforesaid firms; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken in that direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) A statement showing India's total exports to and imports from Japan during the years 1971-72 and 1972-73 is attached. [*Placed in Library. See No. L.T.* 6751/74.] Sector-wise statistics of imports and exports are not maintained.

(b) Yes, Sir.

(c) India's trade with Japan is kept under constant review. Problems are identified and such measures as are necessary and feasible are taken from time to time for increasing the trade. The volume of two-way trade between India and Japan in the first six months (April-September) of 1973-74 rose to Rs. 262.51 crores as compared to Rs. 181.52 crores in the corresponding period during 1972-73.

बंगाल देशी रुई के निर्यात की अधिकतम सीमा

7317. श्री एम० कतामूतु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगाल देशी रुई के निर्यात की अधिकतम सीमा निश्चित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) बंगाल देशी रुई का कम उत्पादन होने तथा निर्यात के लिये रजिस्ट्रेशन की गति अधिक तेज होने के कारण घरेलू बाजार में रुई की इस किस्म की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई थी । बंगाल देशी रुई की कीमतों में तेजी के रूख को रोकने और सूत के मोटे काउंटों की, जो कि नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में लगता है, कताई के लिये पर्याप्त रुई उपलब्ध करने के विचार से वर्तमान रुई मौसम के दौरान इसके निर्यातों को 2.55 लाख गांठों तक सीमित करने का विनिश्चय किया गया है ।

अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्यात

7318. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार का विचार अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अत्यावश्यक वस्तुओं की आन्तरिक आवश्यकताओं पर उचित ध्यान दिया जाता है और देश में खपत के लिये इन वस्तुओं की जरूरत और इन के निर्यातों से अधिक विदेशी मुद्रा कमाने की आवश्यकता के बीच सन्तुलन रखा जाता है ।

अनधिकृत विद्युतचालित करघों को नियमित करने सम्बन्धी योजना

7319. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव निर्मित कपड़ा विकास परिषद् ने अनधिकृत विद्युतचालित करघों को नियमित करने सम्बन्धी योजना की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) मानव निर्मित वस्त्र विकास परिषद् ने 26-2-1974 को हुई अपनी बैठक में सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें करने का फैसला किया :

(1) राज्य सरकारों से कहा जाये कि वे वस्त्र आयुक्त को सूचित किये बिना नये पावरलूमों के लिये परमिट न दें ;

(2) जहां कहीं भी उद्योग का विस्तार करने का विचार हो वहां स्थापित की जाने वाली नई क्षमता का परिमाण तय करते समय विद्यमान अप्राधिकृत पावरलूमों को ध्यान में रखा जाये ;

(3) इनमें से ऐसे अप्राधिकृत पावरलूमों को नियमित कर दिया जाये और यार्न का हकदार बना दिया जाये जो पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रति वर्ष 5,000 रु० मूल्य के वस्त्र की निर्यात बाध्यता के सम्बन्ध में राजी हो जाते हैं ।

पांचवी योजना की अवधि के लिये नीति तैयार करते समय उपरोक्त सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा ।

हथकरघा उद्योग के बारे में स्थापित सोमनाथन समिति

7320. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के बारे में नियुक्त सोमनाथन समिति की सिफारिशें, तमिलनाडु सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और इस विषय पर अपेक्षित कानून बनाने हेतु उसने केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सम्भवत: प्रश्न का सम्बन्ध सन्थानम समिति से है । यदि ऐसा है तो तमिलनाडु सरकार ने अभी तक इस समिति की सिफारिशों के बारे में केन्द्रीय सरकार को नहीं लिखा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1973–74 और 1974–75 में बिहार में पर्यटक केन्द्रों का विकास

7321. श्री सुखदेव प्रसाद : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में केन्द्रीय सहायता से बिहार राज्य में पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित हुये पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सहायता से बिहार राज्य में वर्ष 1974-75 में विकास के लिये चुने गये पर्यटक स्थलों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) बोधाया, नालंदा तथा राजगिर पर क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित योजनाएं 1973-74 के दौरान प्रारंभ नहीं की जा सकी क्योंकि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि बोधाया और राजगिर में राज्य सरकार द्वारा तथा नालंदा में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गयी थी। तथापि राजगिर में चेयर लिफ्ट लगाने के लिए लगने वाली अतिरिक्त लागत की पूर्ति के लिये विभाग ने राज्य सरकार को 2.54 लाख रुपये की धनराशि दी थी।

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान पर्यटन विभाग का केन्द्रीय क्षेत्र में बोधाया के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का प्रस्ताव है। ज्यूंही विभाग को भूमि हस्तान्तरित कर दी जाएगी इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा।

बिहार में किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की वसूली

7322. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के दौरान बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण की अभी तक वसूली नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कुल कितनी राशि बकाया है और सरकार का विचार उसकी शीघ्र वसूली करने के लिये क्या उपाय करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, जून, 1972 के अन्त तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार में 148.63 लाख रुपये के कृषि ऋण की सीधे वसूली की गयी, जबकि कुल मिलाकर 263.11 लाख रुपये की रकम बकाया थी। वसूली की यह रकम 56.5 प्रतिशत बैठती है।

(ख) जून, 1973 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, बिहार में सरकारी, क्षेत्र के बैंकों द्वारा दये गये प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की बकाया रकम 11.83† लाख रुपया थी।

जिन मामलों में लगातार निर्धारित समय पर ऋणों की वापसी नहीं की जाती उनमें किसानों से काफी अर्से से बकाया रकमों की वसूली के लिए बैंक दीवानी अदालतों का सहारा लेते हैं। फिर भी इस प्रकार की बकाया रकमों के बारे में जल्दी से निपटारा करने के लिए बिहार सरकार ने, राज्य कानन विशेषज्ञ दल (तलवार समिति) की शिफारिशों के अनुसार तैयार किये गये आदर्श विधेयक के आधार पर पहले ही एक कानन का मसौदा तैयार किया है जिसमें, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिये जाने वाले ऋण को ध्यान में रखा गया है।

†आंकड़े अनन्तिम हैं।

अलाभकर रबड़ बागानों का क्षेत्र

7323. **श्री वयालार रवि : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अलाभकर तथा कम उपज देने वाले रबड़ बागान का क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) इसमें से कितना क्षेत्रफल लघु जोत क्षेत्र में है ; और

(ग) इन अलाभकर तथा कम उपज देने वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले रबड़ के पौधे लगाने के लिये सरकार तथा रबड़ बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 70,000 हेक्टेयर ।

(ख) 55,000 हेक्टेयर ।

(ग) कम उपज वाले तथा अलाभकार क्षेत्रों में रबड़ पुनर्रोपित करने के लिये 1957 से चल रही उपदान देने की योजना का आधार और अधिक व्यापक बनाया जा रहा है ताकि 1962 तक बोये गये सभी कम उपज वाले अलाभकर क्षेत्र, जो रबड़ बोर्ड के पास रजिस्टर हैं, इसमें शामिल किये जा सकें । पांचवी योजना के दौरान रोपण का वार्षिक लक्ष्य 5,000 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है । उपदान की दर बढ़ाने पर विचार लागत अध्ययन के आधार पर, जो कि आरम्भ किया जा रहा है, किया जायेगा ।

इंडियन एयरलाइंस में विमान परिचारिकाओं के नये ग्रुप का चयन

7324. **श्री वयालार रवि : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने कुछ विमान परिचारिकाओं के लिये छुट्टी पर जाना अनिवार्य कर दिया है ;

(ख) क्या विमान परिचारिकाओं के एक नये ग्रुप का चयन किया गया है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त नये ग्रुप के भर्ती किये जाने के क्या कारण हैं जबकि इस समय कार्य कर रही विमान परिचारिकाओं को फालतू समय पर छुट्टी पर जाने के लिये कहा गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बंद की गयी सेवाओं की अवधि के दौरान, विमान परिचारिकाओं सहित कारपोरेशन के कर्मचारियों को उनको देय विशेषाधिकार छुट्टी लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया क्योंकि उस समय उन्हें कार्य में कोई विघ्न पड़े बिना छुट्टी मंजूर करना संभव था ।

(ख) और (ग) ग्यारह उम्मीदवार विमान परिचारिकाओं ने, जिनका अक्तूबर, 1973 में चयन किया गया था, 19 नवम्बर, 1973 से दिल्ली में अपना प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया । उनके प्रशिक्षण को 24-11-73 से इण्डियन एयरलाइंस में तालाबंदी के कारण निलंबित करना पड़ा । परिचालनों के सामान्य रूप से पुनः प्रारंभ होने पर, उक्त 11 प्रशिक्षणार्थियों को अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 25 फरवरी, 1974 से पुनः बुला लिया गया ।

विदेश व्यापार में माध्यमिकीकरण की नीति (कैनेलाइजेशन पालिसी) के कार्यकरण का पुनरीक्षण

7325. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से व्यापार करने सम्बन्धी नीति के कार्य-करण का पुनरीक्षण करने के बारे में गत वर्ष स्थापित की गयी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिश क्या हैं और उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आशा है कि वह कुछ समय बाद प्राप्त हो जाएगी।

हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना

7326. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने कोई प्रयास किये हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय हस्तशिल्प समिति के उद्यम की निर्यात बढ़ाने के लिये महत्वाकांक्षी और प्रशंसनीय योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात बढ़कर 1973-74 में 55.00 करोड़ रु० (अनन्तिम) के हो गये जब कि 1969-70 में वे 40.45 करोड़ रु० के थे।

(ख) इसके बारे में सरकार को सूचित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हीरों के लिए निर्यात निगम

7327. श्री वामनकर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरों के निर्यात के लिये नया निगम स्थापित करने हेतु कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हीरों के आयात पर कम निर्भर करने तथा अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और जीवन-बीमा निगम में समयोपरि भत्ते का भुगतान

7328. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, 1972 और 1973 में जीवन बीमा निगम में कुल कितने समयोपरि भत्ते का भुगतान किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में रक्षा प्रतिष्ठान और केंद्रीय सचिवालय में कुल कितने समयोपरि भत्ते का भुगतान किया गया ;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण समयोपरि भत्ते की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो उपर्युक्त संगठनों में वर्ष 1974 और 1975 में मितव्ययता के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना का विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है।

(ग) जहां तक कार्यालयी कर्मचारियों और तत्तुल्य कर्मचारियों का संबंध है, वेतनमानों का संशोधन होने पर, जिन वेतन खंडों के संदर्भ में समयोपरि भत्ते की दरें नियत की जाती हैं उनका भी मोटे तौर से इस प्रकार संशोधन किया गया है कि समयोपरि भत्ते के संशोधन से पहले मिलने वाली दरें ही लागू रहें। जिन मामलों में समयोपरि भत्ता कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत देय है उन मामलों में, संशोधित वेतनमानों के अनुसार देय वृद्धिगत उपलब्धियों के आधार पर समयोपरि भत्ते के व्यय में कुछ वृद्धि होने की संभावना है। समयोपरि भत्ता ऐसी परिस्थितियों में दिया जाता है जब काम के सामान्य समय के बाहर कर्मचारियों को काम पर लगाये रखना अनिवार्य होता है। इस खाते व्यय को सीमाबद्ध रखने के प्रश्न की वे अधिकारी निरंतर समीक्षा करते रहते हैं जो कर्मचारियों को समयोपरि काम पर लगाते हैं।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	1970–71	1971–72	1972–73	जोड़
जीवन बीमा निगम . .	67.72	91.53	101.13	260.38
रक्षा संस्थापन . . .	863.47	1551.07	2266.73 (अनंतिम)	4681.27 (अनंतिम)
केंद्रीय सचिवालय . .	76.86	83.37	90.29	250.52

पटसन की वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात

7329. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की वस्तुओं की मांग गत दो वर्षों में विश्व बाजार में काफी बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इन दो वर्षों में पटसन की वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात को किस सीमा तक बढ़ाया गया है और उनके उत्पादन तथा निर्यात के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या पटसन उद्योग इस अवसर का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सका है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारण जानने की कोशिश की है ; और

(घ) प्रगति में बाधक तथ्य क्या हैं और इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लगभग सितम्बर, 1973 से विश्व बाजार में पटसन के माल की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है।

(ख) अक्तूबर-दिसम्बर, 1973 के दौरान, भारत से पसटन माल के निर्यात बढ़कर प्रति मास लगभग 58,000 मे० टन हो गये जब कि पिछले नौ महीनों के दौरान इनकी औसत 45,000 मे० टन थी। उत्पादन तथा निर्यात आंकड़े नीचे दिये गये हैं ;

(000 मे० टन)

	1972–73	1972–73 (अप्रैल-फरवरी)	1973–74 (अप्रैल-फरवरी)
उत्पाद	1211.3	1105.9	980.2
निर्यात . . .	578.4	534.4	500.2

(ग) तथा (घ) उद्योग ने मांग के पुनरुत्थान द्वारा प्रदान किये गये अवसर का पूर्णरूपेण लाभ उठाने का प्रयत्न किया है परन्तु विभिन्न कारण जैसे कि चिरकालिक बिजली की कमी, उद्योग में तथा साथ ही कलकत्ता पत्तन पर श्रमिक अशान्ति से बाधा उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार से अनियत रूप से बिजली कटौतियां न करने के लिये अनुरोध किया गया है और श्रमिक विवादों को निपटा दिया गया है। इसके अलावा, अन्य कदम भी निरन्तर उठाये जा रहे हैं जैसे कि विदेशों में सुलभ बाजार रखने वाली मदों के उत्पादन पर अनिवार्य कोटाओं का लागू किया जाना, सम्भाव्य विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण, लागत में कमी तथा विविधीकरण हेतु उद्योग की गवेषणात्मक तथा विकासपूरक कार्यकलापों हेतु सहायता का दिया जाना आदि।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में मार्च, 1974 से वृद्धि

7330. **श्री गजाधर माझी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के लिये बजट-प्रस्तुत किये जाने के बाद सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है और मूल्यों में इस वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर पुनः विचार किया है और मंहगाई भत्ते में मार्च, 1974 से और वृद्धि करने के मामले पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के साथ निपटने के लिये मंहगाई भत्ते के फार्मूले में संशोधन करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मंजूर करने के मामले में कीमतों में वृद्धि की गणना, औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से की जाती है, जिसमें 1960 को आधार माना जाता है। इन सूचकांकों का प्रकाशन श्रम ब्यूरो करता है। उसने 28 फरवरी, 1974 के बाद की अवधि के सूचकांक अभी नहीं निकाले हैं। वे तैयार किये जा रहे हैं और मई, 1974 में ही उपलब्ध हो सकेंगे। अन्तिम उपलब्ध आंकड़े 28 फरवरी, 1974 को समाप्त हुए महीने के हैं। इन आंकड़ों के आधार पर 12 महीने का औसत उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जब महंगाई भत्ते में अतिरिक्त वृद्धि देय बनती हो। पिछली बार यह वृद्धि 1 फरवरी, 1974 से की जा चुकी है।

(घ) महंगाई भत्ता मंजूर करने में सरकार द्वारा इस समय अंगीकृत फार्मूला तृतीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मंहगाई भत्ता फार्मूले से बढ़िया है। इस फार्मूले में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

जाली नोटों के परिचालन के संबंध में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी

7331. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल का एक कर्मचारी जाली नोटों के परिचालन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी गतिविधियों के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) उसके सह-अपराधियों के नाम क्या हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) केरल पुलिस ने केरल में जाली करेन्सी बनाने के एक मामले के सम्बन्ध में, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल के एक कर्मचारी श्री डेनियल को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) पुलिस ने कई व्यक्तियों को हिरासत में लिया है जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं जिन पर शक किया जा रहा है :

(1) सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद का एक कर्मचारी जमनादास छलौत्रे।

(2) कुम्बुम (केरल) का रहने वाला नित्यानन्द स्वामी जिसके बारे में पता लगा है कि उसने जाली नोटों की छपाई के लिए पैसा लगाया है।

(3) कुम्बुम का रहने वाला सुरूलिबैल और उसका भाई जो छापाखाना तथा कटाई की मशीन के मालिक थे।

(4) केरल का रहने वाला थोमस चक्कू।

(5) केरल का रहने वाला के० जे० जोजफ।

इस बारे में और जांच पडताल की जा रही है।

डंकन ब्रदर्स द्वारा वित्तीय कदाचार

7332. **श्री प्रिय रंजन दास मूंशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कदाचारों तथा काले धन के लिये श्री आर० पी० गोयंका तथा डंकन ब्रदर्स के प्रबन्धकों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कोई शिकायत की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय को पता है कि श्री आर० पी० गोयंका तथा उसके भाइयों ने काले धन की विशाल धनराशि चाय बागानों में लगा दी है; और

(ग) क्या इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की जा सकती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्री आर० पी० गोयंका और उनके भाइयों द्वारा काले धन को चाय-बागानों में लगाये जाने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। लेकिन, आयकर निर्धारण के दौरान यदि कोई ऐसी सूचना सामने आती है, जिस पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल आवश्यक हो, तो सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

पश्चिम बंगाल में अर्द्ध-शोधित चमड़ा, खालों और चमड़ेका उत्पादन

7333. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अर्द्ध-शोधित चमड़ा, खालों और चमड़े का उत्पादन करने वाले लघु, मध्यम और बड़े कारखाने कितने हैं और उनमें से कितने कारखानों ने वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में अर्द्ध-शोधित तथा 'ब्ल्यू टेन्ड' चमड़े का निर्यात किया था ; और

(ख) अर्द्ध-शोधित चमड़े के निर्यात कोटे के लिये राज्य से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने आवेदकों को निर्यात कोटा दिया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पश्चिम बंगाल में अर्ध कमाये हुए चमड़े, खालों तथा चमड़ियों का उत्पादन करने वाली फैक्टरियों की संख्या 199 है। उनमें से 22 ने 1969-70 में, 22 ने 1970-71 में तथा 27 ने 1971-72 में निर्यात किये।

(ख) निर्यात कोटे राज्यवार आबंटित नहीं किये गये हैं। ये कोटे निर्यातकों तथा गैर-निर्यातक टनरों को दिये गये हैं। पश्चिम बंगाल से 107 एक से आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे और 79 एककों को कोटे आबंटित किये गये थे।

Earnings from Indian Writers' Publications brought out in Foreign Countries

7334. Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of income in foreign exchange, earned during the last year from the publications of Late Shri Jawahar Lal Nehru brought out by foreign publishers;

(b) the amount of money out of the aforesaid income deposited by his heirs in foreign countries and that repatriated during the last year; and

(c) the amount of Income-tax paid thereon?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) A total amount of Rs. 2001.50 was received on account of royalty earned from the publications of late Shri Jawaharlal Nehru during the financial year 1973-74.

(b) The entire amount has been repatriated.

(c) The income will be included in the income tax return of the Prime Minister and this will be during the current year. It may also be added that part of the royalty has already been taxed at source and rebate will accrue to that extent.

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर में कदाचार

7335. श्री मधु दण्डवते : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर में कदाचार और विशेष रूप से भविष्य निधि अधिनियम की अपेक्षित बातों का पालन करने में प्रबन्धकों की पूर्ण असफलता के सम्बन्ध में बार बार शिकायतें की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत क्या ठोस एवं शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

निर्यात दायित्व वाली विदेशी फर्में

7336. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकांश विदेशी पूंजी वाली उन विदेशी फर्मों के नाम क्या है। जिन्हें निर्यात दायित्व सौंपे गये हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन फर्मों द्वारा कितनी पूंजी लगायी गयी है और अपने मूल एककों के लाभ की कितनी राशि स्वदेश भेजी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रसायनों के निर्यात पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव

7337. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण वर्ष 1973-74 में रसायनों और उनसे सम्बद्ध उत्पादन के निर्यात की सम्भावना बहुत कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिस से रसायनों की निर्यात सम्भावनाएं बढ जायें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) हाल के पिछले कुछ समय में कच्चे माल की कमी होते हुए भी रसायनों तथा सहोत्पादों के निर्यातों में वृद्धि का रुख रहा है ।

अमरीका की फर्मों द्वारा रेयन टायर यार्न के लिये लकड़ी की लुगदी की सप्लाई

7338. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की तीन फर्मों ने भारत सरकार को रेयन टायर यार्न के उत्पादन के लिये कच्चा माल, लकड़ी की लुगदी पूरी-पूरी मात्रा में सप्लाई करने की अपनी असमर्थता से अवगत कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उन के द्वारा इन्कार किये जाने के क्या कारण हैं ; तथा

(ग) क्या अक्तूबर, 1973 के बाद लकड़ी की इस लुगदी की सप्लाई बहुत ही कम रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) अक्तूबर, 1973 से सप्लाई की स्थिति असंतोषजनक है ।

विवरण

देश की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में लकड़ी की लुगदी के निर्माताओं की असमर्थता के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) भारी सर्दी के कारण फैक्टरियों में लकड़ी और दूसरे कच्चे माल की ढुलाई मुश्किल हो गई जिसके कारण उत्पादन कम हुआ ।

(2) प्रदूषण लागत के बढ़ने और कम मुनाफा होने से क्षमता में कोई बढ़ौतरी किये जाने का उत्साह दब गया । वास्तव में कुछ कारखानों ने उत्पादन का क्षेत्र बदल कर अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी क्षेत्र अपना लिया । एक कारखाना तो बन्द ही हो गया । कागज की लुगदी की मांग में वृद्धि तथा उसमें बेहतर मुनाफा होने से कई कागज की लुगदी के उत्पादन में लग गये ।

(3) विश्व भर में मांग बढ गई जिसके फलस्वरूप सप्लायर को माल का राशन करना पड़ा ।

दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

7339. श्री झारखंडे राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर आयुक्त, दिल्ली को परामर्श दिया है कि वे विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं संबंधी किसी अभ्यावेदन पर विचार न करें, और

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से 31 अप्रैल, 1973 से 31 दिसंबर, 1973 तक कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए और कितनों का उत्तर दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से 1 अप्रैल 1973 और 31 दिसबर 1973 के बीच आयकर आयुक्त, दिल्ली को दस अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें विशिष्ट स्वरूप के मामले उठाये गय थे। इन सभी का उत्तर दे दिया गया था । सामान्य स्वरूप के नौ अन्य अभ्यावेदनों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी ।

Ban on Import of 12-Bore Cartridges

7340. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether licences were issued by the Central Government in 1970 for the import of rifle cartridges only but the import of any type of 12-bore-cartridge was banned;

(b) whether French made 'Gavlot' brand 12-bore-cartridges were imported to India in large quantity in 1970; and

(c) if so, by whom these cartridges were imported and how?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) In terms of the import policy for 1969-70 and 1970-71 licensing periods, import of cartridges of the types other than those specified in the attached statement was permitted.

(b) and (c) Brand-wise and importer-wise statistics of imports of cartridges are not being maintained.

STATEMENT

1969-70:

(a) 8 mm/.315 sporting cartridges.

(b) 0.22 bore long Rifles Cartridges.

(c) Cartridges 12 bore 2½" shots sizes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, BB, AAA, etc., L.G., S.G., Spherical Ball and 12 bore 2¾" cartridges.

(d) Cartridges S.A. Ball Revolver .380.

(e) Cartridges .380 blank.

(f) Cartridges 12 bore 2" long, shots 2, 4, 6 & 7.

(g) Components such as Cartridges cases etc. in respect of ammunition items the import of which is not allowed.

NOTE.—American 12, G.A. No. 00 Buck Cartridges are equivalent in size to S.G. Cartridges.

1970-71 :

(a) 8 mm/.315 sporting Cartridges.

(b) .22 Bore long Rifle Cartridges.

(c) 8 mm/.315" Sporting Cartridges 244 grs. soft-nosed bullet.

(d) Cartridges 8 mm/.315" with 244 grs. split soft-nosed bullet.

(e) Cartridges 8 mm/.315" with 200 grs. solid bullet.

(f) Cartridges .22" RF short.

(g) Cartridges .22" RF long.

(h) Cartridges .22" high velocity.

(i) Cartridges SA Ball Revolver .380.

(j) Cartridges .380 blank.

(k) Cartridges .32" Revolver Long.

(l) Cartridges .32" Revolver Short.

(m) Cartridges .32" Revolver Starter.

(n) Cartridges .32" (8.65) mm Pistol.

(o) Cartridges 12 bore 2½" of all shot sized, BB, AAA, etc. LG/SG and spherical Ball.

(p) Cartridges 12 bore 2¾" of all shot sizes.

(q) Cartridges 12 bore 2" of all shot sizes.

(r) Cartridges 16 bore.

(s) Cartridges 20 bore.

(t) Components such as Cartridges cases, etc. in respect of ammunition items the import of which is not allowed.

NOTE.—American 12 GA No. 00 Buck Cartridges are equivalent in sizes to S.G. Cartridges.

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

7341. श्री धामनकर :

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंसों के गैर-कानूनी अन्तरण और लाइसेंस में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के रूप में आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग की कुछ घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों द्वारा लाइसेंसों के दुरुपयोग को रोकने के लिये कठोर जुर्माने और दण्ड की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या ऐसे दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने की कोई सांविधानिक व्यवस्था है ;

(घ) यदि नहीं तो दण्ड लगाने को किस प्रकार विनियमित करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) क्या कोई अपीलीय अधिकारी भी होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) जब पार्टी पर अभियोग चलाया जाता है तो ऐसे अपराधों के लिए फाइन लगाने के लिए न्यायालय के अलावा फिलहाल अन्य कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग) तथा (घ) आयात लाइसेंस का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को सजा देने के लिए कानूनी व्यवस्थाएं हैं। वे ये हैं :—

(1) गंभीर अपराधों के मामले में अभियोग चलाना ; और

(2) निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित कर देना ; इस मामले में, उस अवधि के दौरान, पार्टी आयात लाइसेंस या राज्य एजेंसियों के माध्यम से मार्गीकृत आयातित कच्चे माल प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी।

(ङ) आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक तथा अपीलीय समिति पीनल कार्यवाही के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा किये गए विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी हैं।

कीमतों में वृद्धि को रोकने का कार्य करने वाली सरकारी एजेन्सियों का पुनर्गठन

7342. श्री पी० ए० सामिनाथन :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने दो प्रमुख प्रभागों (विंग्स) के पुनर्गठन के बारे में अन्तर-मन्त्रालयीय चर्चा की गयी है जिनको मूल्य वृद्धि रोकने तथा देश में अत्यावश्यक वस्तुओंके अभाव को दूर करने में सहायता करने के महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या हाल की जांच से पता चला है कि दोनों संगठनों के पास उनको सौंपे गये कार्य को करने के लिए आवश्यक सुविधायें नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि मूल्य वृद्धि की समस्या को शीघ्र हल किया जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) आन्तरिक व्यापार विभाग में एककों के कार्यकरण का हाल ही में एक अन्तःविभागीय पुनरीक्षण किया गया था जिसका उद्देश्य इस संगठन तथा इसके कार्यों का सरलीकरण किया जाना था।

पुनरीक्षित वेतनमानों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने के मामले में हुई प्रगति

7343. श्री नाथूराम अहिरवार :
डा० गोविन्द दास रिछारिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों, उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में असामान्य श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतन-मानों के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करने के सिलसिले में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध कार्यालयों में पुनरीक्षित वेतन-मानों की अधिसूचना के अभाव में असामान्य श्रेणी के सभी तकनीकी कर्मचारी पुनरीक्षित वेतन की प्रतीक्षा में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कार्यान्वयन सैल को असामान्य श्रेणियों के मामलों पर निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के श्रेणी II, III और IV के सामान्य वर्गों के संशोधित वेतनमानों के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय 13 नवम्बर, 1973 को अधिसूचित किये गये थे। उसके बाद अब तक बहुत से मंत्रालयों/विभागों (जिसमें स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के अधीन असामान्य वर्गों से सम्बन्धित तकनीकी कर्मचारियों के अनेक वर्ग भी शामिल हैं) और दिल्ली, गोवा, दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्रों में काम कर रहे इन श्रेणियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में 11 अन्य अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। रेल और रक्षा मंत्रालयों ने भी अपने अधीनस्थ विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की अधिसूचनाएं जारी की हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागो के अधीनस्थ शेष कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं जारी करने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रवर्तमान वेतनमानों के सम्बन्ध में सूचना तथा संशोधित वेतनमानों को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक अन्य विवरण विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त करने होते हैं, और वे मंत्रालय/विभाग इन्हें अपने अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त करते हैं ; इसलिए कर्मचारियों के सभी अवशिष्ट वर्गों के सम्बन्ध में संशोधित वेतनमानों को अधिसूचित करने की कोई निश्चित समय सीमा निर्दिष्ट करना संभव नही है। फिर भी इन वेतनमानों को यथा संभव शीघ्र ही अधिसूचित करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

कूच बिहार शरणार्थी सेवा का आयकर के लिए निर्धारण

7344. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार शरणार्थी सेवा को आय कर का निर्धारण आयकर अधिकारी कूच बिहार पश्चिम बंगाल ने पहले ही कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आय कर निर्धारण किस वर्ष से आरम्भ किया गया तथा कितनी राशि वसूल की गयी ; और

(ग) क्या कूच बिहार स्थित आय-कर प्राधिकारियों को आयकर का धन प्राप्त करने सम्बन्धी उनके उपायों, उचित बैंक रसीदों, धन खर्च करने तथा विभिन्न व्यक्तियों को धन देने और अन्य सम्बन्धित आंकड़ों (डेटा) का संगत ब्यौरा प्राप्त हुआ है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) अभी तक की गई जांच पड़ताल से यह पता चलता है कि कूच बिहार शरणार्थी सेवा को केलेंडर वर्ष 1971 के लिये आयकर अदा करने के निमित्त उत्तरदायी नहीं पाया गया है। अनुवर्ती वर्ष के संबंध में जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

7345. **श्री हेमेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि जब केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा आयात लाइसेंस जारी किये जाते हैं तब उनके दुरुपयोग के सम्बन्ध में निरीक्षण और जांच करने के लिए किसी केन्द्रीय एजेंसी की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ निश्चित मूल्य से ऊपर आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में केन्द्रीय एजेंसी द्वारा निरीक्षण और जांच कराने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। राज्यों में उद्योग निदेशकों तथा अन्य प्रायोजक प्राधिकारियों को इस बात की निगरानी रखना जरूरी है कि आयात लाइसेंसों का उपयोग उचित प्रकार से हो। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच, अपराध की गंभीरता के अनुसार राज्य सरकार एजेंसियों तथा/अथवा सी० बी० आई० द्वारा की जाती है।

चाय की प्रति किलो उत्पादन लागत

7346. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चाय की प्रति किलो औसत उत्पादन लागत 5.50 रुपये है और उत्पादकों को लगभग 5 से 6 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है जबकि उपभोक्ता 10 से 12 रुपये के बीच भुगतान करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चाय के लिए समर्थन-मूल्य की घोषणा करने वाली है जिससे उत्पादक के लिए पर्याप्त लाभ सुनिश्चित हो, चाय उद्योग को संरक्षित घोषित करेगी और संकट-ग्रस्त बागानों को अपने नियन्त्रण में लेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) दक्षिण भारत की यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसियेशन ने केरल में चाय की औसत उत्पादन लागत का अनुमान 1971-72 में 5.18 रु० प्रति कि० ग्रा० लगाया था जबकि 1971 में कोचीन नीलामियों में केरल चाय की औसत कीमत 6.14 रु० प्रति कि० ग्रा० थी। केरल चाय के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये दामों के बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोमांस के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

7348. डा० कर्णी सिंह : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोमांस के निर्यात से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा के अर्जित होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : चूंकि गोमांस के निर्यात पर पूर्ण रोक है, अतः किसी विदेशी मुद्रा आय की संभावना नहीं हो सकती।

चाय का मूल्य

7349. डा० कर्णी सिंह : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भर में काफी और कोको सहित सभी खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होने के बावजूद चाय के मूल्य में, जिसके भारत और श्रीलंका मुख्य निर्यातक हैं, कमी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विचित्र स्थिति के क्या कारण हैं और अकेले अथवा श्रीलंका के साथ मिलकर ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे चाय के मूल्यों को गिरने न दिया जाये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1973 के दौरान लंदन नीलामियों में चाय की जो कीमतें रही वे इस बात की द्योतक हैं कि चाय की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का रुख 1972 की कीमतों की तुलना में बढ़ोतरी की ओर रहा है।

(ख) फरवरी, 1974 में कोलम्बो में भारत तथा श्रीलंका के बीच हुए विचार विमर्शों में दोनों देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि चाय के निर्यातों पर अधिक मूल्य प्राप्त करने की आवश्यकता है।

रासायनों, साबुन और प्रसाधन सामग्री के निर्यात में कमी

7350. श्री वामनकर : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1973 से फरवरी, 1974 तक भेशजीय और रसायन उत्पादों का विदेशी मुद्रा में कुल कितनी राशि का निर्यात हुआ ;

(ख) गत वर्ष इसी अवधि में उनके निर्यात की तुलनात्मक स्थिति क्या है ;

(ग) क्या गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में कृत्रिम डेटरजंट और जमे हुए अरण्डी के तेल के निर्यात में वृद्धि होने के बावजूद, साबुन कृत्रिम डेटरजेंट पदार्थों, प्रसाधन सामग्री और शृंगार सामग्री के निर्यात मूल्य में कोई कमी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अप्रैल से सितम्बर, 1973 हेतु गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भेषजीय तथा रासायनिक उत्पादों के उपलब्ध निर्यात आंकड़े निम्नलिखित अनुसार हैं :—

अप्रैल-सितम्बर, 1972	1876.79 लाख रु०
अप्रैल-सितम्बर, 1973	1718.52 लाख रु०

(ग) तथा (घ) साबुन, इत्यादि, अंगराग सामग्री, डेटीफ्राइसेज तथा अन्य शृंगार सामग्री की निर्यात अप्रैल-सितम्बर, 1973 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 275.99 लाख रु० से गिर कर 200.16 लाख रु० की हुई। इस गिरावट का मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्ष इन मदों में से एक मद के लिए प्राप्त वल्क क्रयादेश को चालू वर्ष के दौरान दोहराया नहीं गया।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व

7351. श्री अर्जुन सेठी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में पैट्रोल, डीजल तेल और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण कितना राजस्व वसूल होगा ; और

(ख) उन विशेष परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर यह धनराशि खर्च की जायेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) नवम्बर, 1973 में पेट्रोल, डीजल तेल, बढ़िया मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क में परिवर्तन किये जाने के कारण तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित 1974 के बजट प्रस्तावों के एक अंश को रूप में, 1974-75 के दौरान वसूल की जाने वाली अनुमानित अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व की रकम क्रमशः 69.79 करोड़ रु० तथा 22.48 करोड़ रु० आंकी गई है। (नवम्बर, 1973 में डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में, डीजल तेल पर शुल्क में 15 सें० पर 100 रु० प्रति किलोमीटर तक की कमी की गई ताकि मिट्टी के तेल के मूल्य के साथ समानता कायम रखी जा सके)।

(ख) इस विषय पर 11 मार्च, 1974 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 2420 के उत्तर में जहाजरानी तथा परिवहन मंत्री ने मोटी रूप रेखा पहले ही बता दी थी। परन्तु, अतिरिक्त राजस्व के अन्तिम नियतन संबंधी ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

वेतन नियतन के लिए 15 रुपये की मंजूरी न करने के कारण पुनरीक्षित वेतनमान में कर्मचारियों को कम उपलब्धि

7352. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1-1-73 के पश्चात् 150 रुपये तथा 210 रु० वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मान में केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 1973 के नियम संख्या 9 के अंतर्गत 1-1-1973 के पश्चात् वेतन नियतन के लिये पंद्रह रुपये की मंजूरी न होने के कारण कम उपलब्धि होगी ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को केंद्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 के नियम संख्या 9 के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय किया जायेगा और आदेश जारी किये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कोई कर्मचारी अपने वर्तमान वेतनमान में अगली अथवा तत्परवर्ती वार्षिक वेतन वृद्धियां लेने के बाद संशोधित वेतनमान के अंतर्गत आने का विकल्प देता है तो संशोधित वेतनमान में उसके वेतन का नियतन मूल नियमों के अधीन होना होता है ; और मूल नियमों की व्यवस्था यह है कि संशोधित वेतनमान में वेतन के नियतन के लिये विकल्प की तारीख को मिलने वाला केवल मूल वेतन ही हिसाब में लिया जा सकता है, और आयोग द्वारा सिफारिश किये गये विशेष वेतन नियतन फार्मूले के अधीन नियतन नहीं किया जा सकता। परंतु सरकार ने आयोग की सिफारिश में सुधार करके यह व्यवस्था कर दी है कि ऐसे मामलों में विकल्प की तारीख को कर्मचारी को मिलने वाला केवल मूल वेतन ही नहीं वरन् उस मूल वेतन से संबंधित मंहगाई भत्ता और अंतरिम राहत की रकमें भी, संशोधित वेतनमान में उस कर्मचारी के वेतन नियतन के लिये उन दरों से हिसाब में ली जायंगी जो 1 जनवरी, 1973 से पहले लागू थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) संयुक्त परामर्शदाता तंत्र के अंतर्गत नियुक्त राष्ट्रीय परिषद की एक समिति में इस विषय की चर्चा की जा रही है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार उसपर विचार करेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समीप सहायक उद्योग

7353. श्री वामनकर :

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समीप सहायक उद्योगों में सुधार करने के लिए कोई संकेन्द्रित प्रयास किये जा रहे हैं ताकि अधिक रोजगार क्षमता पैदा हो सके ;

(ख) क्या किन्हीं क्षेत्रों की खोज की गयी है, तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है तथा समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ताकि इसका पता चल सके कि प्राथमिकता के आधार पर कहां कहां सहायक उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल पुंजी निवेश पर इस समय प्रति कर्मचारी पुंजी श्रम अनुपात क्या है और क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समीप सहायक उद्योगों के विकास से यह अनुपात कम किया जा सकेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए सहायक उद्योगों की सक्षमता का लाभ उठाने का निश्चय किया है। इस प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों को निदेश दिया गया है कि वे जहां तक संभव हो, अधिक से अधिक वस्तुओं का उप ठेका सहायक उद्योगों को दिया जाय। इन हिदायतों के अनुसार मुख्य एककों के लिए यह जरूरी है कि वे सहायक एककों के विकास की समयबद्ध योजना के कार्यान्वियन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करें :—

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में सहायक उद्योग विकास समिति की स्थापना,

(ii) उच्च स्तर के एक पूर्णकालिक सहायक उद्योग विकास अधिकारी की नियुक्ति,

(iii) उन मदों का पता लगाना जिनका उत्पादन सहायक क्षेत्र में किया जा सकता है और लघु उद्यमकर्ताओं को तकनीकी एवं सामान संबंधी सहायता प्रदान करना,

(iv) इन सहायक एककों में उत्पादित सामान के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को खरीदने की गारंटी और दीर्घकालीन ठेके करना, और

(v) लघु उद्योगों के विकास आयुक्त के साथ निरन्तर सम्पर्क रखना।

(ख) इन सहायक एककों में उत्पादन के जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया है वे इस प्रकार हैं :—फेब्रिकेशन, मशीनों का निर्माण, खराद का काम, फोर्जिंग, धातु ग्रेटिंग, बिजली और यान्त्रिक संघटक, औजार और गेन उपकरण, वाल्व, कीलक, पात्र, पैक करने की सामग्री, सुरक्षा उपकरण आदि। मुख्य एककों ने सम्बद्ध क्षेत्रों में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया है और सहायक एककों के लिए परि-योजना–प्रस्ताव तैयार किये हैं। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, जो लगातार करने होंगे, 2 वर्षों की अवधि में लगभग 140 सहायक एककों की स्थापना हुई है।

(ग) लगभग 70,000 रुपये प्रति कर्मचारी निवेश का अनुमान लगाया गया है। कुछ वस्तुओं का उत्पादन, सहायक एककों के लिए निर्धारित करने से मुख्य एकक का पुंजी-ढांचा छोटा हो जायगा और उद्योग की रोजगार प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होगी।

विश्व बैंक से लघु उद्योगों की सहायता

7354. श्री धामनकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये विश्व बैंक को एक टीम अभी हाल में भारत की यात्रा कर रही है, और यदि हां, तो टीम द्वारा अपनी शिफारिशों को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है;

(ख) क्या उक्त अध्ययन के परिणामस्वरूप लघु उद्योगों के विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा कोई सहायता उपलब्ध किय जाने की संभावना है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ; और

(ग) लघु उद्योगों को विश्व बैंक की सहायता का सार्थक उपयोग सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) हाल ही में विश्व बैंक के एक दल ने एक ऐसी परियोजना का निर्धारण करने के लिए भारत का दौरा किया था, जिसके अन्तर्गत देश के लघु उद्योगों के लिए विश्व बैंक ग्रुप से सहायता प्रदान की जा सके।

(ख) और (ग) इस दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, अतः ऐसी स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि मिलने वाली साहयता कितनी होगी।

पांचवीं योजना के दौरान कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

7355. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा मशीनों की मांग तथा देश में उनकी उपलब्धता के भारी अन्तर को देखते हुए सरकार ने इस सम्बन्ध में आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को धीमी गति से करने तथा कपडा उद्योग के लिये अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के सम्बन्ध में अपना ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है; और

(ग) कपडा उद्योग के सम्बन्ध में कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार पांचवीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये अनुमानतः कितनी कपडा मशीनों की आवश्यकता होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वस्त्र उद्योग संबंधी कृत्तिक दल ने अनुमान लगाया है कि पांचवी योजना के दौरान सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 1973 की कीमतों पर 1250 करोड़ रु० की मशीनों की आवश्यकता होगी ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से उर्वरकों का आयात

7356. **श्री गजाधर माझी :**

श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के, विशेषकर रुपयों में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों के नाम क्या है जिनसे 1974 के दौरान सरकार ने अधिक मात्रा में उर्वरकों का निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस सम्बन्ध में करार किये हैं और कितनी मात्रा में उर्वरकों के निर्यात करने का निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) रुपया भुगतान वाले देशों में से सोवियत संघ, पोलैंड, रूमानिया, बल्गारिया तथा जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य से अधिक मात्रा में उर्वरक आयात करने का विचार है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विभिन्न देशों के साथ की गई संविदाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	देश	वस्तु	निष्पन्न संविदाए	
			मात्रा (मे० टन)	डिलिवरी का समय
1.	सोवियत संघ	(1) यूरिया	1,00,000	मार्च से दिसम्बर, 74
		(2) अमोनियम सल्फेट	75,000	मार्च से दिसम्बर, 74
		(3) म्यूरियेट आफ पोटाश	50,000	जनवरी से दिसम्बर, 74
2.	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	एम० ओ० पी०	2,00,000 (विक्रेता की इच्छा पर 20,000 मे० टन शामिल है)	जनवरी से दिसम्बर, 74
3.	बल्गारिया . .	यूरिया	46,000	जुलाई से दिसम्बर, 74
4.	कोरिया का लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य	यूरिया	20,000	जुलाई से दिसम्बर, 74
5.	पोलैन्ड .	(1) युरिया	1,80,000	अप्रैल से दिसम्बर, 74
		(2) सी० ए० एन०	5,000	अप्रैल से दिसम्बर, 74

भारत से खाद्यान्न की तस्करी को रोकने के लिए कार्यवाही

7357. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के देशों को खाद्यानों, वनस्पति और खाद्य तेल के बढ़ रहे अवैध निर्यात को रोकने के लिये नौसेना को तैनात करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बाते क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) माल, जिसमें खाद्यान भी शामिल, है, के अवैध निर्यात को रोकने के लिए तथा देश में माल के तस्कर आयात को रोकने के लिए, गुजरात और महाराष्ट्र तटों पर नौसेना का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त किया जा रहा है ।

नौ-सेना की सहायता के अतिरिक्त जिसे माल के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये प्राप्त किया गया है, खाद्यान्न, आदि के अवैध निर्यात को रोकने के लिये संबधीत प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित अन्य उपाय किये जा रहे है :—

राज्य सरकारों ने, जिनका सम्बन्ध खाद्यानों को राज्यों से बाहर लाने ले जाने का है, खाद्यान्नों तथा दालों आदि के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये पुलिस प्राधिकारियों तथा

पत्तनों के निदेशकों को सतर्क कर दिया है। राज्य पुलिस द्वारा दक्षिण गुजरात के समुद्र तट के समिप कुछ जांच चौकियां भी खोल दी गई है। इस प्रकार की तस्करी के बारे में सीमा शुल्क अधिकारियों को भी सतर्क किया गया है। खाद्यान्न तथा दालों के अवैध निर्यात में लगें किसी भी जहाज को मार्ग से रोकने के निर्देशों के अतिरिक्त अधिकारियों को विशेष रूप से हिदायतें दी गयी है कि समुद्र तटों के निकटवर्ती स्थानों पर अवैध निर्यात के लिए इकट्ठी की गयी दालों तथा खाद्यान्नों के बारे में गुप्त सूचना इकट्ठी करें। छोटे-छोटे पत्तनों के कार्यभारी अधिकारियों को भी हिदायतें दी गयी हैं कि वे इन वस्तुओं के समुद्र तटों पर लाये ले जाने पर कड़ी निगरानी रखे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वस्तुओं को भारत से बाहर स्थानों पर चोरी छिपे नहीं ले जाया जाए।

लिखाई और छपाई के कागज के निर्यात पर रोक

7358. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लिखाई और छपाई के काम आने वाले सभी प्रकार के कागज के निर्यात पर रोक लगा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे विदेशी मुद्रा की कितनी हानि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 1971–72, 1972-73 तथा अप्रैल-सितम्बर, 1973 के दौरान लिखाई तथा छपाई के कागज के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हुए :–

1971–72	76.23 लाख रु०
1972–73	56.50 लाख रु०
अप्रैल-सितम्बर 1973 . .	52.69 लाख रु०

लिखाई तथा छपाई के कागज के निर्यात पर रोक लगने के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की आय में वास्तविक कमी का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जूतों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन

7360. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) गत वर्ष जूतों तथा अन्य ऐसे ही सामान के निर्यात से देश वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने जूतों के लिये आर्डर दिय हैं तथा मंगाये गये जूतों की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सोवियत संघ तथा जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य ने चमड़े के क्रमश: 6 लाख जोड़े तथा 1 लाख जोड़ी जूतों के लिये तथा बल्गारिया ने कनवस के 1.25 लाख जोड़ी जूतों के लिए आदेश दिए हैं।

विवरण

अप्रैल-अक्तूबर 1973-74 के दौरान जूतों तथा अन्य फुटवियर के देश वार निर्यात दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्रमांक	देशों के नाम	अप्रैल-अक्तूबर 1973-74 के दौरान जूतों तथा अन्य फुटवियर के निर्यातों के मूल्य
1	आस्ट्रेलिया	24.3
2	डेन्मार्क	15.3
3	नीदरलैंड	5.0
4	ब्रिटन	43.0
5	सं० रा० अमरीका	79.9
6	सोवियत संघ	164.7
7	जाम्बिया	26.4
	योग .	358.6
	अन्य देश	201.0
	कुल योग . .	559.6

पाकिस्तानी तस्करों से तस्करी के माल का पकड़ा जाना

7361. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी के महीने में वरली बम्बई में लगभग 10 लाख रुपये के मूल्य के माल के साथ छः पाकिस्तानी तस्करों को गिरफ्तार किया गया था और

(ख) यदि हां, तो तस्करी के माल में क्या क्या वस्तुएं थी और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्ता-कार्यालय बम्बई के समुद्रीय तथा निवारक प्रभाग के अधिकारियों ने 3 जनवरी 1974 को वर्ली, बम्बई से थोड़ी दूरी पर समुद्र में एक अरब नौका को मार्ग में रोका तथा उस नौका में से 8 लाख रुपये मूल्य का सामान पकड़ा। लगभग 2 लाख रुपये मूल्य की नौका भी पकड ली गयी। चालक-दल के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 6 पाकिस्तानी नागरिक थे ।

(ख) पकड़ी गई वस्तुओं में सूट के जापानी और इंग्लिश कपड़े, कमीज के कपड़े, टेलीविजन सेट, ट्रांजिस्टर बैटरियां तथा दालचीनी शामिल है। तस्कर व्यापार की गतिविधियों को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर व्यापार करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, तथा समुद्रतट और भू-सीमाओं के सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों को निगरानी करना। कारगर तरीके से मार्ग में रोकने रोक-थाम आदि के लिये समय-समय पर अतिरिक्त लांच-नौकाओं और वाहनों को व्यवस्था की जा रही है। तस्कर-व्यापार विरोधी कार्य की अनन्य रुप से देखभाल करने के लिए सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को सुगमता से पार किये जा सकने योग्य क्षेत्रों मे तैनात किया गया है।

तस्कर व्यापार संबंधी अपराधों के लिये और अधिक कठोर दंड की व्यवस्था करने तथा खामियों को दूर करने के निमित्त सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में ही हाल ही में और संशोधन किया गया है ।

तेज रफ्तार से चलने वाली 20 लांच नौकाओं को खरीद के लिये आर्डर दे दिये गये है। बड बड़े बंदरगाहों तथा हवाई-अड्डों पर तस्कर व्यापार को रोकने के लिये तथा पश्चिमी तट और तामिलनाडु तट पर तस्कर व्यापार से निपटने के लिये तस्कर-व्यापार विरोधी कर्मचारियों को एक बहुत बडी संख्या में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। बेतार संचार का एक जाल भी स्थापित किया जा रहा है।

फिनलैंड द्वारा अखबारी कागज की सप्लाई

7362. श्री राम सहाय पांडे :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैंड से हमारे देश को अखबारी कागज की सप्लाई करने का अनुरोध किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस देश को प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) 2135 टन चमकदार अखबारी कागज सप्लाई किया जा चुका है। और आगे मात्राएं प्राप्त करने के लिए वार्ताएं चल रही है ।

कपड़ा उद्योग पर से लाइसेंस का हटाया जाना

7363. श्री राम सहाय पांडे :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से कपड़ा उद्योग पर से लाइसेंस उठाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन ने लाइसेंस हटाने का सुझाव दिया है ताकि सूती वस्त्र उद्योग का शीघ्र विस्तार सुकर हो सके और औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1961 के अंतर्गत क्लीयरेंस की आवश्यकता न हो।

पांचवीं योजना में सूती कपड़ा उद्योग का विस्तार

7364. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवी पंचवर्षीय योजना में सूती कपड़ा उद्योग का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितना विस्तार किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) वस्त्र उद्योग संबंधी कृतिक दल ने 1978–79 तक सूत तथा कपड़े की क्रमशः 130.0 करोड़ किग्रा और 1,040 करोड मीटर की आवश्यकता का अनुमान लगाया है इसके लिए 1972 के स्तरों के अलावा 57.1 लाख अतिरिक्त कुओं और 85,510 अतिरिक्त करघों का सृजन करने की आवश्यकता होगी। चौथी योजना अवधि के दौरान जितने तकुओं तथा करघों के विस्तार के बारे में पहले ही सिफारिश की जा चुकी है, उनका हिसाब लगाने के बाद पांचवी योजना अवधि में 32.1 लाख तकुओं और 70.510 करघों की क्षमता बनाये जाने का हिसाब लगाया गया है।

आल इंडिया ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट आफ वेट्स एण्ड मेयरस, पटना

7365. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट वेट्स एण्ड मैयरस पटना, जिसे 1962 में बिहार सरकार द्वारा चालू किया गया था। 1 जनवरी, 1970 को उसी भवन तथा परिसर में भारत सरकार का हस्तांतरित कर दिया गया था;

(ख) क्या पश्चिम जर्मन के विशेषज्ञ ने, जिसे भारत सरकार ने इसके लिए स्थान के चयन करने का काम सौंपा था, अगस्त, 1973 में अपने प्रतिवेदन में इसके लिए रांची को उपयुक्त स्थान बताया था ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने पुनः नाम दिये गये "इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ लीगल मेटरिओलोजी" के हस्तांतरण हेतु, अन्य सुविधाओं सहित 30 लाख रुपये मूल्य की 17.30 एकाड भूमि पहले ही दी है;

(घ) यदि हां, तो इस संस्थान को रांची हस्तांतरित करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया और उसके बारे में अन्य मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) संस्थान को निकट भविष्य में रांची स्थानांतरित करने तथा उन्हीं लाइनों पर उसका विकास करने का विचार है जैसा कि सेंट्रल प्लान स्कीम के अंतर्गत जर्मन विशेषज्ञ ने सुझाव दिए है।

बिना तराशे हीरों के आयात के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम से अनुरोध

7366. श्री एम० सुदर्शनम :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम से हीरे तराशने तथा पालिश करने वाले उद्योग की आवश्यकता पूरी करने के लिए विदेशों से और अधिक बिना तराशे हीरे आयात करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, जिसके माध्यम से बिना तराशे हीरों का आयात अंशतः मार्गीकृत किया जाता है, डायमंड ट्रेडिंग कंपनी तथा अन्य स्रोतों से सप्लाई प्राप्त करने के अतिरिक्त मूल स्रोतों से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है।

Benefits of Third Pay Commission's Report to Employees retired before 1st January, 1973

7367. Shri Atal Bihari Vajpayee:

Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government employees who retired before the 1st January, 1973 have been deprived of the increase made in Dearness Allowance and the benefits of Government decisions taken in pursuance of the recommendations of the Third Pay Commission; and

(b) the full facts in this regard and the steps taken to remove this disparity?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) and (b) The scheme of Dearness Allowance as recommended by the Third Pay Commission is applicable to serving Central Government employees. However, in the case of Central Government employees retiring from service on or after 1-1-1973, i.e., the date from which the recommendations of the Third Pay Commission have been given effect to, the Commission have recommended a separate scheme for grant of relief on account of increase in the cost of living index. According to the recommendations of the Commission, the relief is to be granted to all future pensioners irrespective of the amount of pension drawn by them at the rate of 5% of their pension subject to a minimum of Rs. 5 p.m. and a maximum of Rs. 25 p.m. The relief on these rates is to be given as and when there is 16 point rise in the 12-monthly average of the All India Working Class Consumer Price Index (1960 = 100). The relief at 216 points has already become due with effect from 1-8-73 and at 232 points with effect from 1-1-74. The Commission had recommended that this scheme may be given effect to from 1st March, 1973, but as a measure of liberalisation, the Government have fixed the date of effect as 1st January, 1973 in respect of employees belonging to Classes II, III and IV.

5—16 L S S/74

2. Even though the Commission's recommendations were in terms applicable to pensioners, i.e., those who retired prior to 1-1-1973, and having regard to dation of the Commission also to those Central Government employees who retired from service prior to 1-1-1973.

3. As a measure of additional relief to existing Central Government ment pensioners, i.e., those who retired prior to 1-1-1973, and having regard to the recommendations of the Third Pay Commission in the matter of pensionary benefits for serving Central Government employees the Government have further decided to grant the following ad-hoc reliefs to such pensioners with effect from 1-1-1973 :—

Pension range	Ad-hoc increase in pension.
Below Rs. 85	Rs. 15
Rs. 85--Rs. 209	Rs. 21
Rs. 210--499	Rs. 25
Rs. 500 and above	Rs. 35

Necessary orders in the matter have also issued.

कोयला खानों के आधुनिकीकरण के लिये विश्व बैंक से ऋण

7368. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने के लिये विश्व बैंक ने कोई ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक ने यह ऋण कब दिया तथा कितनी राशि ऋण के रूप में दी और गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना ऋण प्राप्त हुआ, और

(ग) अब तक किस किस कोयला खान ने इस राशि का उपयोग किया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत में कोयला खानो के आधुनिकीकरण के लिये पिछले तीन वर्षों में विश्व बैंक के साथ किसी ऋण करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। परन्तु इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (आई० आई० एस० सी० ओ०) ने पिछले तीन वर्षों में 1.95 करोड़ रुपये की रकम का इस्तेमाल किया है जो उस करार के अधीन उपलब्ध हुई थी जिसपर 1961 में हस्ताक्षर किये गये थे ।

Loss due to shortage of Power and Strike in Public Sector Industries

7369. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantum of loss suffered by the industries in public sector due to strikes and shortage of power during the last one year;

(b) the broad features thereof, separately, in each case; and

(c) the effective steps being taken by Government to ensure smooth running of all the public sector industries in the country?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) to (c) Information on the loss of production suffered by public enterprises due to power shortage and labour unrest among Electricity Board employees is being collected and would be laid on the Table of the House as early as possible.

भट्टी इस्पात कारखानों में इस्पात उत्पादों पर बढ़ी हुई 'लेवी'

7370. श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री गजाधर मांझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि भट्टी इस्पात कारखानों में इस्पात उत्पादों पर 'लेवी' में वृद्धि से इस्पात उद्योग के उत्पादन और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या शुल्क की समान दरों का प्रस्ताव करते हुए सरकार ने बड़े और छोटे कारखानों के उत्पादन के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ग) क्या सरकार महसूस करती है कि मुख्य उत्पादकों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल की अपेक्षा रद्दी लोहा काफी महंगा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकारी नीति की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) रद्दी माल जितना उपलब्ध है उस से बहुत अधिक क्षमता की विद्यमानता को ध्यान में रखते हुये, इस उद्योग को 31-10-1973 से औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेन्स प्रणाली की सीमा के अन्तर्गत रख दिया गया है। लोहे की रद्दी की बढ़ी हुई लागत के बावजूद, ये भट्टी इस्पात संयंत्र, इनके उत्पादों के अपेक्षाकृत ऊंचे मूल्यों तथा इन पर किसी प्रकार का मूल्य नियंत्रण नहीं होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सुचारू रूप से चल रहे हैं । इसके अतिरिक्त इस प्रश्न पर केवल तुलनात्मक उत्पादन लागत की दृष्टि से ही नहीं अपितु अन्य दृष्टिकोणों से भी विचार करना होगा जिनमें उनकी वर्तमान आर्थिक क्षमता तथा उनके विस्तार के लिये उत्पादन शुल्क में रियायत देते रहने की वांछनीयता शामिल है । सरकार का मत है कि इन विद्युत् भट्टी एककों के विस्तार के लिये उत्पादन शुल्क में राहत देते रहना आवश्यक नहीं है और इसलिये आशा की जाती है कि उत्पादन शुल्क संबंधी राहत समाप्त करने से इस उद्योग के उत्पादन एवं विकास पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से उर्वरकों की सप्लाई के लिए रूस के साथ करार

7371. श्री बनमाली पटनायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से 58 करोड़ रुपये मूल्य के उर्वरकों की सप्लाई के लिए सोवियत संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इससे हमारी आवश्यकताएं कहां तक पूरी हो जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) करार के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन आयात से हमारी कुल आवश्यकताओं के एक हिस्से की पूर्ति होगी।

विवरण

क्रमांक	वस्तु	करार की तारीख	मात्रा (मे० टन)	सुपुर्दगी कार्यक्रम
1	यूरिया . . .	28-1-74	2,00,000	मार्च-दिसम्बर 74
2	अमोनिया सल्फेट . .	28-1-74	75,000	मार्च-दिसम्बर 74
3	म्यूरियेट आफ पोटाश .	28-1-74	50,000	मार्च-दिसम्बर 74

सेवा के लिए विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

7372. श्री राज देव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने हिमाचल प्रदेश में सेव के लिये प्रोसेसिंग तथा विपणन संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिये सहायता देने हेतु लगभग 10 करोड रुपय का ऋण दिया है ;

(ख) क्या इस परियोजना के द्वारा कोई 10,000 छोटी जोत के किसानों को उनकी औसतन आय में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की कल्पना की गयी है; और

(ग) क्या ऐसी योजनायें केवल हिमाचल प्रदेश पर ही लागू होती है अथवा अन्य सेव पैदा करने वाले राज्यों पर भी लागू होती है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) इन योजनाओं का सम्बन्ध केवल हिमाचल प्रदेश से है।

चाय का उत्पादन

7373. श्री राम भगत पासवान :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में चाय का उत्पादन आशातीत हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) इसमें से कितनी मात्रा निर्यात की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1973 के दौरान चाय का 4682.8 लाख कि०ग्रा० उत्पादन हुआ जो लक्ष्य से 83 लाख कि० ग्रा० अधिक रहा ।

(ग) जनवरी-नवम्बर, 1973 के दौरान 1654 लाख कि० ग्रा० चाय निर्यात की गई।

रूई की वसूली

7374. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में रुई की वसूली के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इनमें प्रत्येक वर्ष में वास्तव में कितनी-कितनी वसूली हुई ;

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में रुई का आयात किया गया; और

(ग) वर्ष 1974-75 में अनुमानतः कितना उत्पादन होगा और इस वर्ष का वसूली लक्ष्य कितना है तथा कितना आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने 1972-73 तथा 1973-74 के लिए वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये है। 1972—73 रुई वर्ष में वास्तविक खरीदारी लिंट की 3.20 लाख गांठों की थी और 1973—74 रुई वर्ष में 1-9-1973 से मार्च 1974 के अंत तक 3 लाख गांठों की थी।

(ख) 1972-73 में 3.32 लाख रुई की गांठें आयात की गई थीं। 1973-74 में 1.00 लाख गांठ रुई आयात किये जाने की संभावना है।

(ग) यह मुल्यांकन अभी किया जाना है।

रूई निगम को ऋण

7375. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रुई निगम को विलम्ब से ऋण देने के परिणामस्वरूप निगम का रुई खरीदने का कार्य धीमा पड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) घरेलू बाजार में रुई निगम के रुई खरीद कार्यक्रमों की निगम को उपलब्ध ऋण सुविधाओं के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) सरकार रुई के प्रचलित कीमत स्तरों के विशेष संदर्भ में रुई बाजार स्थिति पर निगरानी रखा रही है। अभी तक विशेष उपचारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं हुई है।

राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा किसानों को गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए ऋणों का दिया जाना

7376. **डा० लक्ष्मी नारायण पान्डेय** :

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किसामों को गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिए ऋण देने आरम्भ कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस उद्देश्य के लिए कितने व्यक्तियों को ऋण दिये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) हाल में, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के कार्यक्रम, का वित्त–पोषण करने का निर्णय किया है।

(ख) बैंक, इस प्रयोजन के लिये अग्रिमों के सम्बन्ध में अलग आंकड़े नहीं रखते परन्तु ऐसे अग्रिमों को कृषि क्षेत्र के लिये दिये जाने वाले अग्रिमों के अन्तर्गत दिखाया जाता है। विशेष रूप से बैंकों से इकट्ठी की गयी सुचना के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में से पांच बैंकों ने सूचना दी है कि उन्होंने गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण मंजूर करने के मामले में कार्रवाई कर ली है। एक विवरण संलग्न है जिसमें ऋणों की मंजूरी के कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया : . .	500 हिताधिकारियों को ऋण देने के लिए 10 लाख रुपये की सीमा मंजूर की गयी है। अलग–अलग व्यक्तियों के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।
बैंक आफ इंडिया : . .	कोल्हापुर शाखा को 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनपर विचार किया जा रहा है।
कनारा बैंक : . . .	प्राप्त हुए 35 प्रस्तावों में से, बैंक ने, 41,000 रुपये की रकम के 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
देना बैंक : . . .	इस बैंक ने 28 लाख रुपये के परिव्यय की गाय के गोबर के गैस संयंत्र की एक योजना मंजूर की है जिसके अन्तर्गत गुजरात में 1000 संयंत्रों का वित्त पोषण किया जायगा।
सिंडिकेट बैंक : . . .	1,20,000 रुपये मूल्य के 55 ऋण मंजूर किये गये हैं।

निलोन धागे के उत्पादन में कमी

7377. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निलोन धागे के उत्पादन में अत्याधिक कमी आयी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान नायलोन धागे का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है :–

	नायलोन वस्त्र धागा	नायलोन टायर धागा
1971	9,840	610
1972	11,712	2,090
1973	11,350	2,188

इस प्रकार नायलोन धागे के उत्पादन में कोई खास गिरावट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण

7379. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे क्लाउड सीडींग परीक्षण विशेषतया 'डाइनेमिकल क्लाउड सीडींग' जैसी आधुनिक तकनीकी प्रयोग करके, किए गए हैं अथवा करने की योजना बनायी जा रही है जिससे कि अधिक वर्षा हो सके;

(ख) क्या कृत्रिम वर्षा परीक्षण इसलिए निषेधक हैं कि इन पर बहुत अधिक लागत आती है; और

(ग) क्या विभिन्न क्षेत्रों के परीक्षणों में समान आती है और समान सफलता मिलती है अथवा उत्तरी और दक्षिणी क्षत्रों में ये भिन्न भिन्न है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) गतिशील मेघ वपन तकनीकों का प्रयोग कर के मेघवपन परीक्षण अभी तक इस देश में नहीं किये गये हैं और न हीं ऐसा करने के लिये कोई योजना है। तथापि परम्परागत तकनीकों का प्रयोग करने वाले परीक्षण तमिलनाडु (मई 1973) तथा महाराष्ट्र (जून 1973) में किये गये थे।

(ख) गतिशील तकनीकों का प्रयोग करने वाले परीक्षण अत्याधिक विदेशी मुद्रा के खर्च की दृष्टि से निस्संदेह बड़े मंहगे हैं तथा प्रत्याशित लाभ अनिश्चित हैं। स्वदेश में विकसित तकनीकें अपेक्षाकृत सस्ती हैं।

(ग) परीक्षणों को लागत हर जगह लगभग एक सी होगी जबकि विभिन्न प्रदेशों में मिल वाली सफलता की मात्रा का मूल्यांकन किया जा रहा है।

गुड़याना में एक कपड़ा मिल की स्थापना

7380. **श्री वी० मायावन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने टाटा विशेषज्ञ को गुड़याना में कपड़ा मिल लगाने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, उसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है और करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अभी तक सरकार को गुईयाना में एक वस्त्र मिल स्थापित करने के संबंध में टाटाओं से कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि ऐसा समझा जाता है कि मेसर्स टाटा एक्सपोर्टर्स ने परियोजना का संभाव्यता-अध्ययन करने के बारे में गआाना सरकार को अपनी रजाबंदी से अवगत कर दिया है।

Raids by Income Tax Officers in Ferozabad

7381. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Income-tax Officers of Agra conducted a raid on a firm of Ferozabad in March, 1974 and recovered a sum of about Rs. 25 lakhs of black money; and

(b) if so, the broad features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) and (b) Officers of the Income-tax Department conducted searches on 4th and 5th March, 1974 at the business and residential premises of certain dealers in chemicals at Ferozabad as a result of which unaccounted assets worth about rupees 18 lakhs were seized, besides books of accounts and documents.

Post Office Saving Bank Prize Scheme

7382. Shri Chiranjib Jha: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether with a view to providing encouragement in the rural areas for saving more and more money, certain percentage of the average deposits in the Branch Post Offices is given to the persons working in Branch Post Offices; and

(b) if so, the broad features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) and (b) With a view to attracting larger savings from the rural areas, special incentives are, at present, offered to the Extra Departmental Branch Post Masters. The broad features thereof are:—

(i) Extra-Departmental Branch Post Masters are allowed a commission of 1% on the net increase, exclusive of interest, of not less than Rs. 500 at the end of a year, over and above the net accretions of the previous year, in the Post Office Savings Bank accounts operated at their offices.

(ii) Extra-Departmental Branch Post Masters are allowed a commission of 1% on deposits in 2, 3 and 5-Year Post Office Time Deposit accounts received by them.

कारखानों को कच्चे काजू की सप्लाई

7383. श्री सी० जनार्दनन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल काजू विकास निगम ने केन्द्र से उन 34 कारखानों को, जो निगम के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लिए जा रहे हैं, कच्चे काजू की उस मात्रा को जो उन्हें आवंटित की गई है सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारतीय काजूविकासनिगम को जनवरी, 1974 में केरल राज्य काजू विकास निगम से 34 फैक्टरियों की एक सूची प्राप्त हुई थी और केरल राज्य काजू विकास निगम ने बताया था कि वे दीर्घावधि पट्टे के लिए संबंधित फैक्टरियों के मालिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कच्चे काजुओं का आवंटन उन्हीं फैक्टरियों को किया जायेगा जो सार्वजनिक सूचना सं० 183 आई टी सी (पी एन)/73 दिनांक 8 नवम्बर, 1973 में रखी गई शर्तें पूरी करती हैं।

चर्म निर्यात नीति का पुनरीक्षण

7384. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वे अपनी चर्म निर्यात नीति का पुनरीक्षण करें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हालाकि तमिलनाडु सरकार केन्द्रीय सरकार की इस नीति से सहमत थी कि अर्द्ध–साधित खालों और चमड़ियों का निर्यात कम किया

जाना चाहिये और तयार चमड़े का निर्यात बढ़ाया जाना चाहिये फिर भी उन्होंने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप में चमड़ा तयार करने के कारखाने खोले जाने चाहिये ताकि छोटी-छोटी टेनरियां इन सुविधाओं का उपयोग कर सकें और तैयार चमड़े का उत्पादन कर सकें और छोटी टेनरियों को तब तक अपनी अर्द्ध तैयार खालों और चमड़ियों का निर्यात करते रहने दिया जाये जब तक फिनिशिंग केन्द्र सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती।

(ख) केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न–शील है कि अर्द्ध–साधित खालों और चमड़ियों के निर्यात कम करने के उपायों का देश के चमड़ा तैयार करने वाले और चमड़ा निर्माता उद्योगों से ताल–मेल रहे। केन्द्रीय सरकार ने कोटा स्कीम तैयार करते समय छोटी-छोटी टेनरियों के हितों को खास–तौर पर ध्यान में रखा है और उसने वर्ष 1974–75 के निर्यात कोटे में और आगे कोई कटौती नहीं की है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता से फिनिशिंग केन्द्र खोल रही है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम से बिना तराशे हीरों की खरीद

7385. श्री के० मालन्ना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरों के आंतरिक व्यापार पर ऋणों के कठोर नियंत्रण का कुप्रभाव पड़ा है और छोटे निर्यातकर्ताओं को खनिज तथा धातु व्यापार निगम से बिना तराशे हीरों की खरीद के लिए धन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण संकुचन किये जाने के परिणामस्वरुप खनिज तथा धातु व्यापार निगम से बिना तराशे हीरों की खरीद के लिए निर्यातकों को वित्त की उपलब्धि पर अवश्य प्रभाव पड़ा था। अब बिल मार्केटिंग स्कीम के अंतर्गत निर्यातकों को ऋण सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि निगम ये से बिना तराशे हिरे खरीद सकें।

Shortfall recorded in Production of Textile Industries

7387. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the extent of shortfall recorded this year over the previous year (1972-73) in the production of Textile industries and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): The figures of production of cotton yarn and cloth during 1972 and 1973 are given below :

Year	Cotton Yarn (M. Kgs.)	Cotton Cloth (in million metres)		
		Mill Sector	Decentralised Sector	Total
1972	972·229	4244·064	3777·000	8021·864
1973 (Jan.-Nov.)	905·887	3805·995	3325·650	7131·645

Since final figures of production for only eleven months of 1973 are available so far, comparison with production during 1972 is not possible at this stage

गैर सरकारी केबल कारखानों द्वारा एल्यूमिनियम का आयात

7388. श्री रामवतार शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली की तारे (केबल) बनाने वाले गैर सरकारी कारखानों को एल्यूमिनियम आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1973-74 अवधि के लिए आयात नीति के अनुसार एल्यूमिनयिम के आयात की अनुमति नहीं थी। कमी को पूरा करने के लिए, खनिज तथा धातु व्यापार निर्गम के माध्यम से ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम का आयात करन हेतु 1974-75 अवधि के लिए आयात नीति में वास्तविक प्रयोक्ता व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया है।

विदेशी ऋण की बकाया राशि

7389. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1974 को भारत की ओर विदेशी ऋण की कुल बकाया राशि कितनी थी, और भारत ने जनवरी, फरवरी और मार्च 1974 के महीनों में इस राशि पर कितना व्याज दिया था; और

(ख) भारत की ओर विदेशी ऋण का देशवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में ब्याज की दर क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें यह सूचना दी गयी है सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6752/74].**

पंजाब हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में आयकर की बकाया राशि

7390. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकार द्वारा 31 मार्च, 1974 को आय कर की क्रमशः कितनी राशि वसूल की जानी थी; और

(ख) गत तीन वर्षों में तीन राज्यों की सरकारों ने प्रत्येक मास में आयकर की कितनी धनराशि वसूल की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

ऊन तथा ऊनी कपड़ों का निर्यात

7392. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री के० मालन्ना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान प्रत्येक देश को दिये गये ऊन और उनी कपडों के निर्यात से हुई विदेशी मुद्रा की आय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा उन उद्योग के सुधार के लिए ऊन क्षेत्र के बारे में कोई अध्ययन दल नियुक्त किया गया था और यदि हां, तो उस की सिफारिशों की रुपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है ।

(ख) जी हां । वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में ऊनी वस्त्र संबंधी कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था ताकि ऊनी उद्योग के विकास के लिए मार्गदर्शी रुपरेखा तैयार की जा सके । इस दल द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों की गई है :—

(1) जहां तक ऐसे मौजूद एककों का संबंध है जिन्हें कच्चे माल की भारी कमी का सामन करना पड़ रहा है, उनकी कच्चे माल की प्राप्यता में सुधार सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(2) इस मंत्रालय द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कुछ पुर्वानुमानों के आधार पर कतिपय विस्तार–कार्यक्रमों के लिए मंजूरी दी गई थी । इन बचन बद्ध्यताओं पर पुर्नविचार किये जाने की जरुरत है और उन मामलों को छोड़कर यह क्षमता रद्द कर दी जानी चाहिए जहां पहले ही कारगर उपाय कर लिए गये हैं ।

(3) भविष्य में मंजूर किये जाने वाले क्षमता-विस्तार का उपयोग केवल निर्यात के लिए माल जुटाने के लिए किया जाये और घरेलू खपत के लिए किसी किसी प्रकार की ढील नहीं दी जानी चाहिए । यह नीति नये एककों के साथ-साथ मौजूदा एककों पर भी लागू होनी चाहिए ।

विवरण

क्रमांक	देश	मूल्य लाख रुपयों में
एक—कच्ची ऊनी		
1.	बेल्जियम	48.33
2.	ब्रिटेन	367.91
3.	नीदरलैंड	24.91
4.	सोबियत संघ	149.99
दो—ऊनी माल/वेर्स्टेड तथा मिश्रित वस्त्र		
1.	ब्रिटेन	72.38
2.	सोवियत संघ	14.42
3.	कनाडा	18.80
तीन—ऊनी कम्बल		
1.	बंगलादेश	138.81
चार—ऊनी सिले-सिलाये परिधान		
1.	सोवियत संघ	86.08
2.	स्वीडन	30.67

क्रमांक	देश	मूल्य लाख रुपयों में
पांच--ऊनी होजरी		
1.	सोवियत संघ	1215.20
2.	बंगलादेश	90.94
3.	चैकोस्लोवाकिया	95.95
4.	हंगरी	12.80
5.	पोलैंड	142.67
छः--ऊनी कालीन तथा नमदे		
1.	आस्ट्रेलिया	63.48
2.	कनाडा	116.65
3.	फ्रांस	22.03
4.	जर्मन संघीय गणराज्य	775.93
5.	नीदरलैंड	64.48
6.	पोलैंड	60.88
7.	ब्रिटेन	238.76
8.	सं० रा० अमरीका	504.49
9.	बेल्जियम	38.05
10.	डेनमार्क	17.53
11.	स्विटजरलैंड	20.34
12.	स्वीडन	35.12
13.	सोवियत संघ	70.47

1972-73 के दौरान निर्यात का कुल मूल्य = 4819.62 लाख रुपये अथवा अर्थात् 48.20 करोड़।

नोट : वे देश ही इस विवरण में शामिल किये गये हैं जिनकी खरीद 10 लाख रूपये से अधिक है।

विदेशों में भारतीय फाइबर यार्न की मांग

7393. श्री एस० एन० मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व मंडी में भारतीय फाइबर यार्न की मांग में वृद्धि के बारे में अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) फाइबर यार्न का निर्यात करने हेतु उत्पादन बढाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

युनाइटिड कमर्शियल बैंक द्वारा दुर्गापुर कैमिकल्स लि० को दिये गये ऋण के विरुद्ध जांच का परिणाम

7394. श्री एस० एन० मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड कमर्शल बैंक द्वारा दुर्गापुर कैमिकल्स लि० को ऋण की मंजूरी के विरुद्ध सरकार ने जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सरकार ने युनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा दुर्गापुर केमिकल्स लि० (पश्चिम बंगाल का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम) को मंजूर किये गये ऋण के विरुद्ध कोई जांच आरम्भ नहीं की है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

जनरल बीमा कंपनियों के 'डम्मी' कर्मचारियों के बारे में लिया गया निर्णय

7395. श्री एस० एन० मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल बीमा कंपनियों, जिनका अब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, में बहुत से 'डम्मी' कर्मचारी थ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन के मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विविध बीमा कंपनियों की विकास शाखाओं में फर्जी नियुक्तियों की प्रथा मौजूद तो थी ही। राष्ट्रीयकरण के तत्काल बाद सरकार ने अभिरक्षकों को कहा कि ऐसी सभी नियुक्तियां समाप्त कर दी जायं और जिन मामलों में वेतनमान बहुत अधिक थे उन्हें भी कम किया जाय। परिणामतः अभिरक्षकों ने 1037 नियुक्तियां समाप्त कीं और 80 विकास अधिकारियों/निरीक्षकों के वेतन कम कर दिये।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जिनको सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, मुआवजा दिया जाना

7396. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर नहीं आवंटित किये गये उन को सरकारी क्वार्टर के अलाटियों के समान लाने के लिये यदि कोई मुआवजा देने का विचार है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं दिये जा सके हैं, उन्हें प्रतिपूर्ति मकान किराया भत्ते के रूप में की जाती है। तृतीय वेतन आयोग की मकान किराया भत्ता सम्बन्धी सिफारिशों पर सरकार के निर्णय 1 नवम्बर 1973 के संकल्प संख्या 70(34)73 इम्प-सेल में अधिसूचित किये ही जा चुके हैं, जिसको 1 नवम्बर 1973 के राजपत्र—असाधारण के भाग—1 खण्ड 1 में संख्या 257 में प्रकाशित किया गया है और उसकी प्रतियां 8 नवम्बर 1973 को संसद पुस्तकालय में रखी गयी थीं।

औद्योगिक निवेश के लिए अनिवार्य बचतों का प्रस्ताव

7397. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक निवेशों के लिए उच्चतम आयकरदाताओं के वर्ग में कम से कम इस वर्ष के बजट में दी गई राहतों की राशि की अनिवार्य बचतें लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं कौनसी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

तस्करी के सामान का निपटान

7398. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री वर्ष 1972–73 में जब्त किए गए तस्करी के माल के बारे में 15 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3366 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पकड़े गये तस्करी के सामान का किस प्रकार और किस तरीके से निपटान किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों में तस्करी का सामान पाये जाने के कारण कितने तस्करों को दंड दिया गया अथवा रिहा किया गया या मुकदमा चलाया जा रहा है ;

(ग) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली के बाजारों में तस्करी के सामान की खुले आम बिक्री समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है और इन की बिक्री रोकने में असफल रहने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जब्त किये गये माल की बिक्री तथा निपटान की कार्यविधि को निर्दिष्ट करने वाला विवरण–पत्र संलग्न है।

(ख) वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान तस्करी के अपराधों के संबंध में दोषी ठहराये गये व्यक्तियों की, न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त किये गये व्यक्तियों की तथा जिन व्यक्तियों के विरुद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा इस्तगासा की कार्यवाही चालू की गई थी, उनकी संख्या नीचे दिये अनुसार है :

वर्ष	दोषी ठहराये गये व्यक्तियों की संख्या	न्यायलयों द्वारा दोष मुक्त किये गए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके के विरूद्ध तस्करी के अपराधों के संबंध मे सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वार इस्तगासे की कार्यवाही की गई
1971	351	125	758
1972	523	130	984
1973	503	208	1217

(ग) तथा (घ) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली के बाजारों में तस्करी के माल की बिक्री को रोकने की दृष्टि से सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वे फेरीवालों, दुकानों तथा स्टालों पर ही नहीं अपितु उनको माल भेजने वाले स्टोरेज गोदामों तथा परिवहन डिपों पर भी छापे मारते रहे हैं। इन कार्यवाहियों को और तेज किया जा रहा है। जिस किसी भी अधिकारी को भ्रष्ट अथवा लापरवाह पाया जाता है उसके खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

विवरण

जब्त शुदा माल की बिक्री तथा निपटान कार्यविधि

1. नीचे दर्शायी गई वस्तुओं को छोड़कर, उपभोक्ता तथा विलास सामग्री को राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, लिमिटेड, नई दिल्ली के माध्यम से तथा कैंटिन स्टोर्स विभाग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड जैसे सरकार द्वारा नियंत्रित कतिपय कैंटिन तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी बेचा जाता है।

2. लौंग तथा मसालों, को, मेसर्स राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संस्था संघ लिमिटेड, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नियंत्रित सहकारी संस्थाओं तथा कैंटीनों को और आयात-कोटा–धारियों तक ही सीमित सार्वजनिक नीलामों द्वारा भी बेचा जाता है।

3. नाइलोन तथा अन्य संश्लिष्ट धागों को विभाग द्वारा सीधे ही बुनकर संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं को तथा सीमित नीलामी में प्रमाणित वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचा जाता है।

4. हीरों, रत्नों तथा उपरत्नों और वाहनों को विभागीय तौर पर बेचा जाता है।

5. सोने तथा चांदी को टंकसाल भेज दिया जाता है।

6. सिक्कों को भारत के रिजर्व बैंक में जमा कर दिया जाता है।

7. लांच–नौकाओं तथा शस्त्रों तथा शस्त्र सामग्री को तस्कर–व्यापार विरोधी कार्य के लिये विभागीय उपयोग के लिए रखा जाता है।

श्री लंका के साथ व्यापार सहयोग

7399. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में श्रीलंका के साथ व्यापार सहयोग करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी के देशों को निर्यात और उनके साथ संयुक्त उपक्रम

7400. **श्री मधु दण्डवते :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार संस्थान मे 40 से अधिक वस्तुओं की चुना है जिनका खाडी के देशों की निर्यात किया जा सकता है तथा उन क्षेत्रों का पता लगाया है जिन में उन देशों में संयुक्त उपक्रम लाभदायक हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं कौन ही है तथा ऐसे क्षेत्र कौन से हैं; और

(ग) विदेश व्यापार संस्थान के इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से लाभ उठाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा खाड़ी के देशों को निर्यात की सम्भाव्यता वाली निचे लिखी मदों का पता लगाया गया है :–

1. चाय (चाय की थैलियां)
2. काफी
3. फल तथा सब्जियां (ताजी तथा साधित)
4. मांस, पोल्ट्री तथा मांस उत्पाद
5. चावल
6. जौ
7. चीनी
8. तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद
9. मिठाईयां
10. सूती वस्त्र
11. सिले सिलाये परिधान
12. उनी वस्त्र
13. कम्बल
14. गलीचे तथा फर्शबिछावन
15. मोटर गाडियाँ
16. मोटर गाडियों के फालतू पुर्जे
17. साइकिलें तथा पुर्जे
18. टायर तथा ट्यूबें
19. एक्सकेवेटिंग तथा लैबलिंग मशीनें
20. सामान उतारने उठाने घरने के उपस्कर
21. निर्माण सम्बन्धी मशीनें तथा माल उतारने धरने की मशीनें
22. रेफ्रीजिरेटर्स
23. एयर कंडिशनर्स
24. बिजली की मशीनरी
25. विद्युत् मोटरें तथा जनित्र
26. डीजल इंजन
27. इंटरनल कम्बर इंजन
28. सिलाई मशीनें
29. दस्ती औजार, जिसमें औजारों के सैट सहित
30. कंडयुट पाइप
31. स्टील पाइप

32. पम्प (बूस्टर तथा सेंट्रीफ्यूगल दोनों)
33. वैज्ञानिक यंत्र
34. लोहा तथा इस्पात का निर्माण सामान
35. कृषि के औजार
36. ट्यूब तथा पाइप फिटिंग्स
37. ट्रांसमिशन लाइन टावर्स
38. केबल् तथा तार (इंसुलेटिड सहित)
39. दूरसंचार के उपस्कर
40. एल्युमिनियम के बर्तन
41. आफिस के लिए मशीनें
42. सिमेन्ट
43. एस्वस्टास सिमेन्ट पाइप
44. सेनीटरी वेयर्स तथा फिटिंग्स
45. टाइलें
46. चीनी के बर्तन
47. कांच के बर्तन
48. प्लाइवुड तथा हार्ड बोर्ड
49. लकड़ी, लकड़ी के उत्पाद, टिम्बर तथा लम्बर
50. लकडी तथा इस्पात का फर्नीचर
51. दीवार की घड़ियां
52. प्लास्टिक का सामान
53. यात्रा संबंधी सामान
54. फुटवीयर
55. औषधियां तथा भेषजीय उत्पाद
56. रंग रोगन तथा वार्निस
57. सुगंध तेल, इत्र, सुगंधित सामग्री तथा अंग राग सामग्री
58. वनस्पति तेल तथा वसा
59. डीटरजेंट्स
60. हैंड बैग
61. ब्रुश तथा झाड़ु
62. रेजर ब्लैड्स
63. ताश
64. औद्योगिक फास्नर्स
65. वैक्युम फलास्क
66. खिलौने।

6—16 L. S. S. (ND)/74

इन मदों के अलावा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने ऐसे निम्नलिखित क्षेत्रों का भी पता लगाया है जिनके संबंध में इन देशों में संयुक्त उद्यम की गुंजाइश है ।

1. पैट्रोकेमिकल उद्योग
2. गैस टर्बाइन
3. उर्वरक
4. लघु स्टील प्लांट तथा रीरोलिंग मिल्स
5. प्रिंटिंग उद्योग
6. सिमेंट प्लांट
7. पौर्सलेन उत्पाद ।
8. सर्विसिंग उद्योग तथा वर्कशाप ।

इन निष्कर्षों की ओर निर्यात संवर्धन परिषदों आदि के माध्यम से भारतीय निर्यातकों तथा उद्यमियों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। ताकि खाडी के देशों में विद्यमान अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाया जा सकें।

युरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा प्रस्तावित टैरिफ में कमी करने की मांग

7401. श्री मधु दण्डवते : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा उसकी सामान्यीकृत प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित टैरिफ में और कमी करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सामान्यीकृत अधिमान स्कीम में सुधार किये जाने के बारे में भारत इस समुदाय के साथ प्रयत्न करता रहा है। इस समुदाय की 1974 स्कीम में उत्पादों की कवरेज, "नाजुक" मदों की संख्या में कमी आदि के सम्बन्ध में कुछ सुधार पहले ही शामिल कर लिये गये हैं। समुदाय की 1974 स्कीम में और आगे जो सुधार किये जाने हैं उनकी ओर समुदाय का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है और समुदाय इन पर विचार कर रहा है।

कपड़ा आयुक्तों के साथ विचार विमर्श करके यार्न की स्थिति का अध्ययन

7402. श्री मधु दण्डवते : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कपड़ा आयुक्त के साथ विचार विमर्श करके यार्न की स्थिति का कोई व्यापक अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस अध्ययन के परिणामस्वरूप यार्न के निर्यात के बारे में सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) धागा स्थिति के हाल के अध्ययन के आधार पर 1974 के दौरान 240 लाख कि० ग्रा० सूत के निर्यात की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है। इसके अलावा 10 लाख कि० ग्रा० सूत पहले के उन आदेशों के आधार पर निर्यातों के लिए अलग रखा गया है जो धागे के निर्यातों पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक के कारण लम्बित है। आवश्यक सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है और निर्यातों के बहुत जल्दी ही शुरू हो जाने की आशा है।

Acquisition of immovable property

7403. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the value of immovable property acquired so far under the Income Tax (Amendment) Act, 1973 passed in December, 1973 indicating the names of places where such property was acquired and the profit accrued to Government therefrom; and

(b) total number of cases pending with the competent authority at present after serving notice and since when these cases are pending?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Till 31-3-1974 the Competent Authorities have passed orders for acquisition of 26 properties. Five of these properties are situated in Delhi, four in Jaipur, five in Choumu Garh, three in Madras, two in Thana and one each at Amritsar, Chandigarh, Madurai, Salem, Ahmedabad, Nasik and Berhampur. The total of fair market values of these 26 properties as estimated in the orders of acquisition is about Rs. 33 lakhs as against the total apparent consideration of about Rs. 17½ lakhs shown in the instruments of transfer. These properties would vest in the Government only after the orders of acquisition passed by the competent authorities become final and after the possession of the properties is surrendered or delivered in pursuance of notice in writing to be issued by the competent authority in this regard. The orders of acquisition will become final only after the orders are confirmed in appeals or after the expiry of time limits prescribed for preferring appeal even if there is no appeal against the orders. There is no information that any of these orders have become final. In these circumstances, the question of any profit accruing to Government from these orders does not arise at this stage.

(b) The information is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is collected.

पश्चिम बंगाल में राज्य पटसन निगम बनाने का प्रस्ताव

7404. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य पटसन निगम बनाने के बारे में गैर सरकारी स्रोतों से पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ सुझाव केन्द्रीय सरकार को मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनपर सरकार का निर्णय क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) यद्यपि अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है, सरकार को ऐसे निगम की स्थापना पर सिद्धान्त रूप में कोई आपत्ति नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वनियोजन योजना के अधीन दिये गये ऋण

7405. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 और 1973-74 के लिये निर्धारित राशियां पूरी तरह काम में नहीं लायी गई ;

(ख) इस अवधि में राज्यवार ऐसे कार्यक्रमों के लिये राशियों एवं ऋणों के आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार अब तक कितना धन वितरित किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य शिक्षित बेरोजगारों के लिए लाभकारी रोजगार की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे पांच लाख व्यक्तियों को काम देने के कार्यक्रम में बैंकों को हिस्सेदारी के सम्बन्ध में उल्लेख कर रहे हैं ।

सभी बैंकों ने अपने शाखा प्रबन्धकों को पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम में योगदान देने के सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं । लेकिन राज्यवार अथवा बैंकवार लक्ष्य निर्धारित करना व्यवहारिक अथवा उचित नहीं समझा गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में समान आधार पर जानकारी देने की व्यवस्था करने के लिए बैंकों को अपनी आंकड़े प्राप्त करने की पद्धति को तज करना होगा । प्रत्येक तिमाही में ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अब एक प्रयत्न उनके लिए निर्धारित कर दिया गया है : ऐसी सम्भावना है कि मार्च 1974 को समाप्त होने वाली तिमाही से बकों द्वारा ऐसी रिपोर्ट संकलित की जायगी ।

पांच लाख व्यक्तियों को काम देने के कार्यक्रम के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बैंक लघु उद्योग, खुदरा व्यापार और लघु व्यापार और व्यावसायिक तथा स्वनियोजित व्यक्तियों जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों मे शिक्षित बेरोजगारों के आत्मनियोजन के उद्यमों के लिए धन देते रहे है । इन क्षेत्रों को जून 1973 के अन्त तक दिय गये ऋणों की बकाया राशि का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध मे दिया गया है ।

विवरण

जून, 1973 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम†

(रकम लाख रुपयों में)

राज्य/संघक्षेत्र	लघु उद्योग		परचून व्यापार और लघु व्यापार		व्यवसायिक और स्व-नियोजित	
	एककों की संख्या	बकाया धन	खाता संख्या	बकाया धन	खाता संख्या	बकाया धन
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	18008	3752.52	16901	544.03	8868	109.90
2. असम	1335	528.25	2902	292.12	405	16.00
3. बिहार	2951	1516.94	6961	539.90	2588	55.09
4. गुजरात	13461	6638.77	21121	787.73	14239	170.14
5. हरियाणा	3166	1926.06	2777	140.27	606	12.65
6. हिमाचल प्रदेश	208	60.07	699	34.41	174	1.29
7. जम्मू और कश्मीर	785	200.96	1317	67.90	259	6.59
8. कर्नाटक	11767	3870.45	43326	1025.73	17537	301.95
9. केरल	9084	4315.46	16137	500.34	9188	155.23
10. मध्य प्रदेश	4989	1763.82	7596	327.18	3433	67.71
11. महाराष्ट्र	26199	14383.14	33211	1534.32	22919	535.83
12. मणिपुर	128	12.91	262	19.47	60	3.85
13. मेघालय	49	7.37	319	31.38	35	0.53

1	2	3	4	5	6	7
14. नागालैण्ड .	19	10.68	93	7.16	..	..
15. उड़ीसा .	1447	387.74	3767	173.31	977	14.11
16. पंजाब	7105	3528.79	3679	191.59	1297	24.97
17. राजस्थान	8635	1149.08	5256	233.61	2738	25.08
18. तमिलनाडु	16708	7281.94	28003	966.84	9062	295.06
19. त्रिपुरा .	54	5.83	365	39.89	19	1.04
20. उत्तर प्रदेश . .	16339	4159.40	16100	545.98	7526	113.56
21. पश्चिम बंगाल	11146	5409.62	13911	969.72	3334	111.36
संघ शासित प्रदेश । **अनिर्धारित बैंक**	4793	3248.49	469	29.96	153	3.13
22. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह			214	4.55	48	0.84
23. अरुणाचल प्रदेश			..	..	..	..
24. चण्डीगढ़			222	21.02	18	0.22
25. दादरा और नागर हवेली .	..		119	1.04	178	0.27
26. दिल्ली . .			3508	247.77	776	72.39
27. गोआ, दमन और दीव			2128	185.28	849	20.97
28. लक्षद्वीप .			19	0.16	3	0.01
29. मिजोराम		..	..	..	..	..
30. पांडिचेरी	..	..	360	14.82	54	2.73
जोड़ .	158376	64164.24	231742	9477.52	107343	2122.50

†अनन्तिम

हथकरघों को वितरण के लिये धागे की कमी

7406. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री एम० कल्याणसुन्दरम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में धागा काले बाजार में बिक रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) सूत पर मूल्य नियंत्रण नहीं है। इसीलिए, इसके काले बाजार में बिकने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइंस का ईंधन अधिभार लगाने संबंधी प्रस्ताव

7407. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

श्री गजाधर मांझी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने सरकार को ईंधन पर बढ़े खर्चे को पूरा करने हेतु टिकटों पर ईंधन अधिभार लगाने का सुझाव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इस संबंध में इंडियन एयरलाइंस से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सिलीगुरी में गया गंगा चाय बागान को पुनः चाय बागान लगाने के लिये राज सहायता

7408. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिलीगुरी, जिला दार्जिलिंग, में गया गंगा टी स्टेटों को पिछले दो वर्षों में पुनः बाग लगाने के लिये राजसहायता तथा ऋणों के रुप में कितनी राशि मंजूर एवं वितरित की गई। उन आवेदनों की प्राप्ति तिथि, मंजूरी की तिथि, पौधे उखड़ने (अपरूटिंग) की तिथि और राजसहायता की पहली किश्त के वितरण की तिथि कौनसी है ;

(ख) क्या देश के किसी भाग में किसी अन्य चाय बागान को इतने बड़े क्षेत्र में इस अल्प अवधि में, अक्तूबर 1968 में जब से यह योजना शुरू हुई है, राजसहायता की पहली किश्त दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में 153 हैक्टर में चाय के पुराने पौदों को राजसहायता के लिये आवेदन की मंजूरी के कुछ माह के भीतर ही उखाड़ने की वित्तीय तथा व्यवहार्यता की के विशेषतया स्वतंत्र रुप से जांच करायेगी तथा उनका फसल के आंकड़ों, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और चाय, उपकर, पुनः बाग उपकर लगाये जाने वाली भूमि, चाय बागान की फालतू भूमि को राज्य सरकार को सौंपने सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लांग वियू टी कम्पनी

7409. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **वाणिज्य** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के चयरमैन और वित्त मंत्रालय के एक उप-सचिव ने संयुक्त रूप से कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वर्ष 1970 की दीवानी अपील संख्या 3142 (डब्ल्यू) में केन्द्रीय सरकार की ओर से विरोध में एक शपथ-पत्र दाखिल किया है जिसमें लांग वियू टी कम्पनी ने दार्जिलिंग हिल एक्साइज जोन में लांग वियूटी स्टेट के वर्गीकरण और ग्रुपिंग को चुनौती दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चाय बोर्ड के चयरमैन ने सरकार और उच्च न्यायालय को बताया है कि उनके वर्ष 1970 में मुकदमा दायर करने के परिणामस्वरूप लांग वियू टी स्स्टेट ने वर्ष 1972 में दार्जिलिंग हिल एक्साइज जोन में अधिकतम उपज के लिये चाय बोर्ड का पुरस्कार स्वीकार किया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कलकत्ता के उच्च न्यायालय के समक्ष बालीमारा टी के० द्वारा दाखिल की गई उसी प्रकार की एक रिट याचिका के संबंध में 24 अगस्त, 1974 को अध्यक्ष, चाय बोर्ड और उप-सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिज्ञात संयुक्त शपथ पत्र को लोंग वियू टी कम्पनी सहित अन्य सभी को पृथक पृथक रिट याचिकाओं में एक सहायक शपथ पत्र के रूप में उपयोग में लाया गया।

(ख) 1969 तथा 1970 के वर्षों के लिए दार्जीलिंग क्षेत्र के संबंध में उच्चतम उपज के लिए लांग वियू टी एस्टेट द्वारा 23 मार्च, 1972 को कलकत्ता में चाय बोर्ड के कार्यालय में आयोजित समारोह में एक पुरस्कार स्वीकार किये जाने की बात की और भारत-सरकार अथवा कलकत्ता के उच्च न्यायालय में किसी का भी ध्यान इस मामले के लिए आकर्षित करना संगत नहीं समझा गया, क्योंकि ये पुरस्कार देश में उत्पादन जोनों के आधार पर प्रदान नहीं किये गए थे। उच्चतम उपजों तथा कीमतों हेतु बोर्ड की पुरस्कार योजना के अन्तर्गत देश में चाय उत्पादक ग्यारह क्षेत्रों में विभक्त है जबकि उत्पादन जोन केवल पांच हैं।

कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की विदेशी मुद्रा की आय

7410. श्री शशी भूषण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेवाइल के विस्तार के बारे में जस्टिस नयन के विनिर्णय और विदेशी मुद्रा में 20 प्रतिशत शुद्ध लाभ अर्जित करने सम्बन्धी वित्त मंत्रालय के फार्मूले के सन्दर्भ में कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन किस लागत पर विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है; और

(ख) क्या इस कारपोरेशन को दी गई यह विशेष सुविधा अन्य कम्पनियों को भी दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को इस देश में कमाये गये मुनाफों के, करों के पश्चात, देश से बाहर भेजने की निर्बाध अनुमति दी जाती है और सामान्यतः इस प्रकार की प्रेषणाओं को उनकी कम्पनियों की निर्यात आय से नहीं जोड़ा जाता। परन्तु, कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की भारतीय शाखा द्वारा मुनाफे आदि के सम्बन्ध में देश से बाहर भेजी जाने वाली रकमों को सीमित रखने के उद्देश्य से, अप्रैल 1972 से सभी बातों (लाभ, व्यय, आयात) से सम्बन्धीत इसकी प्रेषणाओं को इसके उत्पादन की मदों के निर्यात से होने वाली आय के 80 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। इस प्रकार कोका कोला निगम को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया था बल्कि इसकी प्रेषणाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

एक रुपये के नोट के स्थान पर एक रुपये का सिक्का चलाना

7411. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

श्री पी० गंगादेव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्रमिक ढंग से एक रुपये के नोट के स्थान पर एक रुपये का सिक्का चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या धातुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना पर अतिरिक्त लागत आयेगी;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव तैयार किये जाने के कुछ मुख्य कारण ये हैं :—

(i) नासिक और देवास स्थित करेंसी नोट प्रेसों में नोट छापने की तथा होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में कागज तैयार करने को सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक रुपये के नोटों के चलन को वर्तमान स्तर पर लगभग रोक देना।

(ii) चूंकि एक रुपये के नोटों को छः महीने तक चलन में रखने की सीमा निर्धारित की गयी है इसलिए इन नोटों के स्थान पर जल्दी जल्दी नये नोट जारी करने पड़ते हैं। इसके विपरित छोटे सिक्कों को 35 वर्षों तक चलन में रखे जाने की संभावना है। एक रुपये के नोटों के बदले में नए नोट जारी करने में 35 वर्षों में जो खर्चा बैठेगा वह उस खर्च से कई गुना ज्यादा होगा जो इस समय एक रुपये के कुपरो–निकल के सिक्के के उत्पादन पर बैठता है। आगे चल कर एक रुपये के नोट के छापने पर जितना खर्च होता है उसके मुकाबले एक रुपये के कुपरो-निकल के सिक्के ढालने में काफी कम खर्च बैठेगा।

(iii) गन्दे नोटों की जांच करने और उनके निपटान में विलम्ब।

(iv) गन्दे नोटों के अनुरक्षण तथा उनके बदले में नये नोट जारी करने में काम अधिक बढ़ जाना तथा अधिक संख्या में वाल्टों का निर्माण करना और नोटों की जांच करने के लिए अधिक केन्द्र खोलना।

(v) हाल में, विश्व के अधिकांश देशों में कम मूल्य के नोटों के स्थान पर धात्विक सिक्के जारी करने की प्रवृत्ति।

(घ) इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि इस विषय पर कब तक अन्तिम निर्णय ले लिए जाने को संभावना है।

भारत द्वारा उर्वरकों का ठीक समय पर आयात

7412. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उर्वरकों के ठीक समय पर आयात किये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बुवाई का मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व ही उर्वरकों का समय पर आयात करने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या प्रयास किये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) वाणिज्यक मामलों से तथा जहां उचित होता है वहां राजनयिक माध्यमों से अन्य स्रोतों के साथ साथ पूर्व यूरोपीय देशों से उर्वरकों का आयात करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। उर्वरकों की सप्लाई के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरों को दर्शने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	देश	मद	संविदा की तारीख	की गई सुविधाएं	
				मात्रा मे० टन	सुपुर्दगी कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1.	सोवियत संघ . .	(1) यूरिया	28-1-74	2,00,000	मार्च से दिसम्बर 74 तक
		(2) अमोनियम	28-1-74	75,000	मार्च से दिसम्बर, 74 तक
		(3) यूरिएट आफ पोटाश	28-1-74	50,000	जनवरी से दिसम्बर 74 तक
2.	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	एमओपी	27-9-73	2,00,000 (जिसमें क्रेता के आपशस पर 20,000 मे० टन भी शामिल है)	जनवरी से दिसम्बर, 74 तक
3.	बुल्गारिया . .	यूरिया	19-2-74	46,000	जुलाई से दिसम्बर, 74 तक
4.	डी० पी० आर० के० .	यूरिया	5-3-74	20,000	जुलाई से दिसम्बर 74 तक

1	2	3	4	5	6
5.	पोलैंड . .	(1) यूरिया	11–4–74	1,80,000	अप्रैल से दिसम्बर, 74 तक
		(2) सी० ए० एन०	11–4–74	35,000	अप्रैल, से दिसम्बर, 74 तक

पुनश्च: रुमानिया तथा हंगरी के साथ अभी संविदायें होती है। इस मामले पर उनके साथ ध्यानपूर्वक आगे कार्यवाही की जा रही है।

बाढ़ राहत कार्यों के लिए उड़ीसा को सहायता

7413. श्री गजाधर माझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में पिछले वर्ष जून और अक्टूबर के बीच बाढ़ राहत के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की;

(ख) राहत, मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य के लिये अनुदान और ऋण के रूप में मंजूर की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राहत परियोजनाओं के काम पर उड़ीसा सरकार ने अब तक कितनी राशि का उपयोग किया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) 1973–74 में बाढ़ से राहत सम्बन्धी उपायों पर खर्च की अधिकतम सीमाएं, जिन्हें केन्द्रीय सहायता पाने के योग्य माना गया, और उड़ीसा सरकार द्वारा सूचित किये गये अनुमानित खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	स्वीकृत अधिकतम सीमाएं	1973–74 में अनुमानित खर्च
राहत सम्बन्धी मदें	3.18	4.43
ऋण सम्बन्धी मदें	0.80	0.80
मरम्मत सम्बन्धी मदें . . .	7.76	7.76
जोड़ .	11.74	12.99

राहत सम्बन्धी मदों पर वित्त आयोग के 1.25 करोड़ रुपये के मार्जिन से अतिरिक्त खर्च की रकम का 75 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता द्वारा पूरा किया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 25 प्रतिशत ऋण के रूप में है। मरम्मत सम्बन्धी मदों तथा ऋण सम्बन्धी मदों पर खर्च की व्यवस्था तदर्थ ऋण सहायता से की जाती है बशर्ते कि राज्य की अर्थोपाय स्थिति को देखते हुए ऐसी सहायता का दिया जाना उचित हो। अब तक, अन्तिम

आधार पर 1 करोड़ रुपये का अनुदान तथा 8 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है महालेखाकार द्वारा प्रमाणत खर्च के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अन्तिम सहायता की रकम का निपटारा किया जायगा।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

7414. श्री गजाधर माझी :

श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महीने के आरम्भ से उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्लों में पांच से सात प्रतिशत वृद्धि होने के बावजूद, बजट के बाद भी वनस्पति, मिट्टी के तेल, गैस, माचिस, शिशु आहार, टूथ पेस्ट, घटिया किस्म के साबुन और डेटरजेंट की अत्याधिक कमी बनी हुई है ;

(ख) क्या अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में, जिन्हें निर्माताओं ने इस वर्ष फरवरी में मार्कीट भेज दिया था, फिर वृद्धि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) मूल्य वृद्धि से उपलब्धि में सुधार तभी हो सकता है जबकि आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ गई हो और इससे उत्पादन में कमी हो गई हो; मूल्यों में घट-बढ़ होने के बावजूद यदि अन्य अडचनें आती रहें तो पूर्ति में कोई सुधार नहीं होता। उदाहरणार्थ, वनस्पति के नियंत्रित मूल्य 1-2-74 से इसलिए बढ़ा दिए गए क्योंकि जिन तेलों से यह बनता है उनकी कीमतें ऊंची थी। फिर भी उत्पादन में इस कारण वृद्धि नहीं हुई क्योंकि खाद्य तेलों में व्यापक रूप से कमी रही, बिजली में कटौती हुई और कुछ बड़े औद्योगिक एककों में अशान्ति रही।

जहां तक उपभोक्ता वस्तुओं का सम्बन्ध है कुकिंग गैस की कोई कमी नहीं हुई किन्तु मिट्टी के तेल की सप्लाई अस्थाई रूप से इस कारण कम करनी पड़ी जिससे कि परिवहन और कृषि प्रयोजनों के लिए अधिक डीजल का उत्पादन किया जा सके। सरकार को साबुन और विरंजक की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। शिशु-खाद्य के मामले में पूर्ति और मांग के बीच इसलिए लगातार असन्तुलन बना हुआ है क्योंकि तरल दूध और आयातित मखनिया दूधचूर्ण की कमी है। दो में से एक राज्य में माचिसों की कुछ कमी की रिपोर्ट मिली है लेकिन इस कमी के अस्थायी रहने की संभावना है जहाँ तक टूथपेस्ट का सम्बन्ध है सरकार के पास ऐसा मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि इसकी कमी है।

(ख) 26-1-74, 23-2-74 और 23-3-74 को समाप्त हुए सप्ताहों के लि प्रमुख वर्ग की वस्तुओं, उप वर्ग की वस्तुओं व चुनी हुई वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचकांकों का विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–6753/74]**

(ग) जैसा कि 1973-74 के आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में आवश्यक वस्तुओं की लागत में हुए परिवर्तनों के अनुसार-फेर बदल हो रहा है जैसा कि सूति कपड़े, वनस्पती और मिट्टी के तेल के मामले में हुआ है। यद्यपि नियंत्रित वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा निश्चित अवधियों के पश्चात की जाएगी तथापि अनियंत्रित वस्तुओं के बारे में निर्माता की इच्छानुसार पुनर्विचार किया जाएगा और कभी कभी यह पुनर्विचार अपेक्षाकृत कम अवधि में किया जाएगा। इसी प्रकार इस वर्ष के बजट में लगाए गए करों से कुछ उपभोक्ता वस्तुओं (जैसे तम्बाकू से बने पदार्थों, टायलेट और प्लास्टिक की चीजों) के मूल्य बढ़ जाएंगे लेकिन आवश्यक फेरबदल कुछ समय तक होते रहेंगे।

समुद्र-तटवर्ती सैरगाह

7415. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री वेकारिया :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में समुद्र-तटवर्ती सैरगाहों के नाम क्या हैं और वे कहां कहां है ;

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में गुजरात में समुद्र-तटवर्ती परियोजना प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) त्रिवेन्द्रम के निकट कोवालम तथा गोवा का समुद्र तटीय विहार स्थलों के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। महाबलीपुरम में अतिरिक्त आवास की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में गुजरात में फिलहाल किसी विहार-स्थल के विकास का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश

7416. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री वेकारिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का विचार उत्तर प्रदेश में बड़े पमाने पर पूंजी निवेश करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में और विशेष रूप से गुजरात में भी इसी प्रकार से पूंजी निवेश किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) जीवन बीमा निगम ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 1973-74 में कुल 32.18 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है। ये आंकड़े अनन्तिम है, और इनकी लेखा परीक्षा अभी होनी है, तथा निवास एवं मकान सम्पत्ति के बन्धक ऋण के आंकडे इनमें शामिल नहीं हैं। जीवन बीमा नीगम ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 1972-73 में कुल 24.24 करोड़ रुपये की और वर्ष 1971-72 में कुल 18.53 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई थी। वर्ष 1974-75 में लगाई जानेवाली पूंजी की रकम अभी अन्तिम रूप से नियत नहीं की गई है ।

(ख) उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम की पूंजी-निवेश का वर्गीकरण नीचे दिए अनुसार है :-

(1) राज्य सरकार प्रतिभूतियां ।

(2) सहकारी केन्द्रीय भू-विकास बैंकों के ऋण पत्र ।

(3) राज्य वित्त निगम के बन्ध पत्र तथा शेयर ।

(4) राज्य बिजली बोर्ड के बन्ध-पत्र ।

(5) जल प्रदाय योजनाओं के लिए नगर समितियों को ऋण ।

(6) राज्य बिजली बोर्ड को ऋण ।

(7) निवास योजनाओं के निमित्त राज्य सरकार को ऋण ।

(8) सहकारी निवास एपेक्स वित्त समिति ।

(9) सहकारी चीनी कारखानों को ऋण ।

(10) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को बन्धक ऋण ।

(11) पब्लिक लिमिटड कम्पनियों के ऋणपत्र तथा शेयर ।

(ग) जीवन बीमा निगम निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध होने को हालत में, ऊपर उल्लिखित माध्यमों से सभी राज्यों में उपलब्ध निवेश सुविधाओं का लाभ उठाता है और गुजरात भी उन राज्यों में शामिल है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को प्रतिवर्ष आयोजित करने का प्रस्ताव

7417. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री वेकारिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 के दौरान यह मेला कब और कहां आयोजित करने का विचार है; और

(ग) उस स्थान का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से चुनाव करने के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :(क) से (ग) मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

गुजरात में पर्यटकों को आकर्षित करने सम्बन्धी योजना

7418. श्री डी० पी० जदेजा :
श्री वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गुजरात सरकार कोई व्यापक पर्यटन योजना तैयार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 100 लाख रुपये का परिव्यय सम्मिलित किया है । विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

पर्यटन के लिए गुजरात सरकार की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गयी स्कीमों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	पांचवीं योजनागत परिव्यय (1974-75)
1	सस्सन-वेरावळ-पोरबन्दर काम्प्लेक्स का विकास	20.00
2	अहमदाबाद काम्प्लेक्स का विकास	15.00
3	पालिटाना, मोढ़ेरा, द्वारका, शामलाजी आदि का विकास तथा गिरनार, पावागढ़ आदि में रज्जुमार्ग	15.00
4	गर्म चश्मों, सैर स्थलों, अवकाश गृहों का विकास, धर्मशालाओं आदि का विकास तथा अनुदान	10.00
5	कलकत्ता, जयपुर आदि में परिवहन सुविधाएं, होटल तथा मोटल प्रायोजनाएं, पर्यटन कार्यालयों का खोला जाना । कर्मचारियों का प्रशिक्षण, पर्यटन अनुभाग आदि को सुदृढ़ बनाना	10.00
6	तटवर्ती संचालित यात्राएं तथा अन्तर्राज्य यात्राएं . .	10.00
7	पहाड़ी स्थानों का विकास .	2.00
8	विदेशों में प्रचार	3.00
9	गुजरात पर्यटन निगम की स्थापना .	15.00
	कुल	100.00

राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंको और स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा पूंजी निवेश की प्रतिशतता

7419. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान कृषि और उद्योग के क्षेत्र में, राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल (राज्यवार) के विशिष्ट सन्दर्भ में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक और स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने ऋणों और अग्रिम धन राशि के रूप में कितने प्रतिशत विनियोजन किया ; और

(ख) इस अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा कृषि और उद्योग से राज्यवार वसुली की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बैंकिंग उद्योग में आंकड़े प्राप्त करने की पद्धति में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में परिवर्तन किया गया है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण के जून 1972 और दिसम्बर 1972 के जिलावार और व्यवसायवार आंकड़े

उपलब्ध हैं। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और कृषि को दिए गए ऋणों को बकाया रकमों के राज्यवार आंकड़े और जून, 1972 और दिसम्बर 1972 के अन्त में, कुल बकाया ऋणों के प्रति इनका अनुपात अनुबन्ध–I में दिया गया है। पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में इसी प्रकार के जिलावार आंकड़े अनुबन्ध II में दिये गए हैं। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5764/74।]**

(ख) आंकड़े प्राप्त करने की मौजूदा पद्धति से, केवल कृषि के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष वित्त की राज्यवार वसूली की स्थिति की सूचना प्राप्त होती है। जून 1972 के अन्त के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध III में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6754/74।]**

राज्यों में लघु औद्योगिक परियोजनाओं को ऋण देने के बारे में युनाइटेड कमर्शियल बैंक का प्रस्ताव

7420. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ऋण देने के बारे में युनाइटिड कमर्शियल बैंक के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है ; और

(ग) उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्यवार क्या परिणाम निकले और उनका राज्यों में लघु औद्योगिक परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के, जिनमें छोटे उद्योग शामिल हैं, छोटे ऋण कर्ताओं को ऋण देने की गति में वृद्धि करने के उद्देश्य के अंग के रूप में छोटे औद्योगिक एककों को अधिक अग्रिम देने के लिए कदम उठाता रहा है। जून 1972, जून 1973 और सितम्बर 1973 के अन्त में, इस क्षेत्र के, राज्यवार बकाया अग्रिम अनुबन्ध में दिखाए गए हैं। **[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6755/74।]** अतः पहले से ही इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि छोटे उद्योगों को ऋण दिया जाय तथा बैंक ने, केवल छोटे औद्योगिक एककों को ऋण देने की बात का राज्यों के सामने कोई नया प्रस्ताव नहीं रखा है।

युनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

7421. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटिड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता के बारे में कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरुप क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) इन शिकायतों में लगाए गए मुख्य आरोप ये हैं—पश्चिम बंगाल में बैंक की शाखाएं खोलने के मामले में तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अग्रिम देने के मामले में बैंक की धीमी प्रगति, बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल में भर्ती किए गए कर्मचारियों में स्थानीय लोगों की उचित प्रतिनिधित्व का अभाव, बैंक के एक सहायक महाप्रबन्धक के लिए बम्बई में अत्याधिक मूल्य पर फ्लैट की खरीद, सरकार की किफायत

सम्बन्धी हिदायतों का उल्लंघन करते हुए सहायक महाप्रबन्धकों के नए पदों का निर्माण, बैंक में की गई वरिष्ठ अधिकारियों की कुछ नियुक्तियों में अनियमितताएं, कर्मचारियों को भर्ती के मामले में अनियमितताएं, पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ बंगाली अधिकारियों का तबादला तथा फर्नीचर, लेखन सामग्री की खरीद और मनोरंजन, प्रचार आदि से सम्बन्धित खर्च के मामले में अनियमितताएं।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि 1972 के दौरान बैंक की शाखाएं खोलने तथा पश्चिम बंगाल में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अग्रिम देने के मामले में धीमी प्रगति का मुख्य कारण यह था कि बैंक को अपेक्षित कर्मचारियों को भर्ती के मामले में 1972 में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बाद में, 1972 में, इन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया था। 1972 में, जहां बैंकने केवल 4 शाखाएं खोली थीं 1973 में बैंक ने पश्चिम बंगाल में 37 शाखाएं खोली थीं। जहां तक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अग्रिम (निर्यात ऋण छोड़कर) देने का सम्बन्ध है, उनकी रकम 1971 के अन्त में 9.35 करोड़ रुपये और 1972 के अन्त में 10.70 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसम्बर 1973 के अन्त में 12.42 करोड़ रुपये हो गयी। पश्चिम बंगाल में ऐसे अग्रिम भारत के सभी राज्यों में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए बैंक अग्रिमों का लगभग 22.2 प्रतिशत रहे। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि एकाधिकार वाले गृहों के वास्तविक उत्पादनके प्रयोजनों के लिए उनकी आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद और कतिपय सीमाओं से अधिक रकमों के मामले में ऋण स्वीकृति योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद एकाधिकार गृहों को अग्रिमों की मंजूरी दी गई है और दी जाती है। पश्चिम बंगाल में की जा रही भर्ती के मामले में, बैंक ने सूचित किया है कि भर्ती किए गए व्यक्तियों में 90 प्रतिशत से अधिक स्थानीय लोगों में से हैं। बम्बई में एक फ्लैट खरीद के बारे में की गई शिकायत के सम्बन्ध में बैंक ने स्पष्टीकरण दिया है कि यह फ्लैट मार्च, 1967 में किराये पर लिया गया था और बम्बई में नियुक्ति किए गए वरिष्ठ अधिकारी की रिहाइश के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। चूंकि जिस इमारत में यह फ्लैट स्थित है वे बेच दी गई थी और खरीदार किरायेदारों के पास फ्लैट बेच रहा था इसलिए बैंक ने उसे लागत पर यह फ्लैट खरीदने का निर्णय किया है जो बम्बई में ऐसे ही फ्लैटों के लिए प्रचलित दरों की तुलना में कम है। जहां तक सहायक महा प्रबन्धकों के नये पदों का सम्बन्ध है, अभी तक बैंक निदेशक बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया है। जहां तक वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों, कर्मचारियों की भर्ती, पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ बंगाली अधिकारियों के तबादले के मामले में आरोपों तथा फर्नीचर, लेखन सामग्री की खरीद और मनोरंजन, प्रचार आदि से सम्बन्धित खर्चों के मामले में अन्य अनियमितताओं का सम्बन्ध है, बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं की ये आरोप सही हैं।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं खोलना

7422. श्री शक्ति कुमार सरकार :

श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में खोली गई राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं और शाखा कार्यालयों के जिलावार नाम क्या है ; और

(ख) पश्चिम बंगाल में पांचवीं पंच वर्षीय योजना में वर्षवार खोले जाने वाली राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं और शाखा कार्यालयों की जिलावार संख्या क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) दिसम्बर, 1973 के अन्त में पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 877 कार्यालय थे। इन कार्यालयों का जिलावार ब्यौरा अनुबन्ध I में दिया गया है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6756/74]**

(ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेश के अनुसार वाणिज्यिक बैंक शाखा विस्तार के लिए तीन वर्षीय आवर्ती योजनाएं बनाते हैं। इस समय बैंक 1974–76 के तीन वर्षों के लिए योजना बनाने में व्यस्त

हैं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि जनवरी, 1974 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंको के पास पश्चिम बंगाल में कार्यालय खोलने के लिए 241 लाइसेन्स/आबन्टन थे। इन लाइसेन्सों/आबन्टनों का जिलावार ब्यौरा अनुबन्ध II में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। [देखिए संख्या एल० टी० 6756/74]**

कलकत्ता के निकट निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

7423. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के निकट निर्बाध व्यापार जोन स्थापित करने का प्रस्ताव त्याग दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव किस स्थिति से आरम्भ किया गया था, प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और अब तक महीने वार कार्य की कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या प्रस्तावों को तैयार करने की जिम्मेवारी किसी व्यक्ति को सौंपी गई है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) इस प्रस्थापनापर एक परियोजना प्रतिवेदन पश्चिम बंगाल सरकार से अप्रैल 1973 में प्राप्त हुआ था। इसका सम्बन्ध निर्यात हेतु अनेक उत्पाद जैसे कि स्टेनलेस स्टील के छुरी कांटे, दस्ती और छोटे औजार, मिल्डर्स, हार्डवेअर्स, परिष्कृत चमड़ा, सिले सिलाए परिधान, वैज्ञानिक तथा प्रयोगशाला उपस्कर आदि के विनिर्माण हेतु दमदम के निकट नमक झील क्षेत्र में 400 एकड़ के एक क्षेत्र में एक मुक्त व्यापार जोन स्थापित करने के प्रश्न पर एक अन्त: विभागीय कार्यकरण दल द्वारा अनेक क्रमबद्ध बैठकों में विचार किया जाता रहा है। कलकत्ता के निकट एक मुक्त व्यापार जोन की स्थापना करने के लिए परियोजना के ब्यौरे पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श करके तैयार किए जा रहे हैं।

थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

7425. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, 1973 से मार्च, 1974 तक 12 महीनों में आठ अंकों का मासिक औसत बताते हुए थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) अक्टूबर, 1973 से मार्च, 1974 तक वनस्पति, खाद्य तेल, दूध, मक्खन, घी (देशी) चावल, गेहूं, दाल, पैट्रोलियम उत्पाद, टैक्सी-स्कूटर किराया और कपड़े के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) क्या निर्वाह लागत सूचकांकों की गणना करते समय विवाह, बच्चों की शिक्षा पर व्यय जैसे पारस्परिक मदों पर होने वाले खर्च को ध्यान में नहीं रखा जाता ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) दो विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6757/74]**

(ग) तथा (घ) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करते समय केवल मौजूदा जीवन स्तर के आधार पर उपभोक्ता व्यय से सम्बन्धित वस्तुओं को ही ध्यान में रखा जाता है । इस प्रकार स्कूल फीस, लेखन सामग्री आदि जैसी मदों (जिनमें बच्चों की शिक्षा व्यय को शामिल किया जाता है) को शामिल किया गया है परन्तु विवाह आदि से सम्बन्धित उन वस्तुओं पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाता, जो इस समय उपभोक्ता व्यय के अन्तर्गत नहीं आते ।

Central Assistance to Madhya Pradesh for Flood Affected People

7426. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have asked for some assistance from the Central Government for the purpose of providing employment to the people in the areas which were affected by the floods in 1973-74 in that State;

(b) if so, the broad features thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) As against an expenditure of Rs. 15.30 crores estimated by the State Government on various flood relief measures including relief works, the Government of India have, on the basis of the Central team's recommendations, adopted a ceiling of expenditure of Rs. 2.44 crores including Rs. 0.55 crore for relief works, as qualifying for Central assistance. An amount of Rs. 1.52 crores has been released provisionally. Further assistance will be released on the basis of actual expenditure as verified by the Accountant General.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उड़ीसा में छोटे किसानों, छोटे आदिवासियों तथा छोटे उद्योगपतियों को दिया गया ऋण

7427. श्री बनमाली बाबू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उड़ीसा में छोटे किसानों, आदिवासियों तथा छोटे उद्योगपतियों को कितना ऋण दिया है ; और

(ख) इन क्षेत्रों में बैंक सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों और आदिवासियों को दिए जाने वाले अग्रिमों के सम्बन्ध में अलग से सूचना नहीं रखी जाती । फिर भी मार्च, 1973 के अन्त में उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को, जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि है, दिए गए कृषि अग्रिमों की रकम और बकाया रकम 31.25 लाख रुपये थी ।

सितम्बर, 1973 के अन्त में उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिमों की रकम 217.81* लाख रुपये थी ।

(ख) उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां बैंक कम है ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के विचार से बैंक ग्रामिण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में शाखाएं खोल रहे हैं, और अधिक तकनीकी क्षेत्रीय कर्मचारी भर्ती करके अपनी संगठनात्मक मशीनरी को सुदृढ़ कर रहे है, अपनी ऋण सम्बन्धी प्रकिया और ऋण आवेदन पत्र को सरल बना रहे हैं, प्रतिभूति अनुस्थापित ऋण को सोद्देश्य, उत्पादक और आय बढ़ाने वाले अनुस्थापित ऋण में बदलना तथा जोरदार वित्त पोषण के लिए कार्यक्रम चलाने के लिए "क्षेत्रिय दृष्टिकोण" अपना रहे हैं ।

*अनन्तिम

मारिशस में भारतीय माल की मांग

7428. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारिशस में भारतीय माल की मांग बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस देश के साथ व्यापार की शर्तों को अन्तिम रूप देने के उद्देश्य से सरकार का विचार वहां एक व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) हाल के वर्षों में भारत से मारिशस को होने वाले निर्यातों में वृद्धि का रूख रहा है ।

(ख) तथा (ग) भारत मारिशस व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर, जिनमें एक व्यापार दल का भेजा जाना भी शामिल है, सरकार ध्यान दे रही है ।

श्रीनगर-कारगील-लेह-श्रीनगर के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव

7429. **श्री सईद अहमद आगा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीनगर-कारगिल-लेह-श्रीनगर के बीच विमान सेवा आरंभ करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इण्डियन एयर लाइन्स का फिलहाल ऐसी कोई सेवा चलाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इण्डियन एयर लाइन्स ने जनवरी, 1974, में ऐसी सेवा के परिचालन के बारे में मार्गीय अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन किया और यह पाया कि यह सेवा अत्यन्त अलाभप्रद रहेगी । स्थिति हाल में हुई विमानन इंधन मूल्यों की अत्यधिक वृद्धि के कारण और अधिक बिकट हो गई है ।

श्रीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग में शामिल किये जाने का प्रस्ताव

7430. **श्री सईद अहमद आगा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को काश्मीर की यात्रा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार का विचार श्रीनगर को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग में शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा । और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) श्रीनगर के लिए दिल्ली से, जहां के लिए कि काफी अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं चल रही है आसानी से संयोजी विमान सेवाएं (एयर कनेक्शन) उपलब्ध हैं ।

भारत तथा श्रीलंका द्वारा चाय का संयुक्त विपणन

7431. श्री महेन्द्र सिंह गिल :
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपसी समझोते के अन्तर्गत भारत अब श्रीलंका से कुछ चाय खरीदेगा ; और

(ख) यदि हां, तो दो देशो के बीच हुए समझोते का ब्योरा क्या है तथा वर्ष 1974 में श्रीलंका से चाय के आयात का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1974 के दौरान हुए उपरोक्त समझोते के परिणामस्वरूप भारतीय चाय का निर्यात कितना बढ़ जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) फरवरी, 1974 में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा श्रीलंका के दौरे के दौरान भारत तथा श्रीलंका की चुनी हुई चायों के पैकटों के संयुक्त विपणन की संभाव्यता पर बातचीत हुई थी। उसके ब्योरे अभी तैयार किए जाने हैं।

परियोजना तथा उपकरण निगम की निर्यात आय में गिरावट

7432. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की समीक्षा के अनुसार परियोजना तथा उपकरण निगम की निर्यात आय में गत दो वर्षों के दौरान काफी गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं, तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पिछले दो वर्षों में परियोजना तथा उपस्कर निगम को निर्यात आय कम रही है क्योंकि भारत-पाक संघर्ष, पावर की कमी और श्रमिकों की गडबड आदि के कारण वैगनों के निर्यात सम्बन्ध दीर्घावधि संविदा के पूरा होने मे विलम्ब हो गया था। इस बीच तेल संकट के कारण लागत और जहां जी भाडो में वृद्धि हो गई जिसके फलस्वरूप संविदाओ के बारेमें पुन: वार्ता करने के लिए प्रयत्न किय जा रहे हैं।

निर्यात नीति तथा व्यूह मे समन्वय लाने के लिए सरकारी क्षेत्र की विपणन कम्पनियों का सम्मेलन

7433. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम ब्युरोने निर्यात नीति तथा व्यूह में समन्वय लाने के लिए सरकारी क्षेत्र की विपणन कम्पनियो का सम्मेलन बुलाया है :

(ख) क्या देश के बाजारो में मूल्य निर्धारित करने तथा लाभप्रदता में समन्वय लाने के तरीके भी निकाले गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्मेलन का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां। यह बैठक 14 मार्च, 1974 को आयोजित की गई थी।

(ख) आन्तरिक और आन्तर्राष्ट्रीय विपणन कीमतों के निर्धारण और लाभकारिता, कार्मिक नीति और जन सम्पर्क में तालमेल बिठाने के विभिन्न पहलुओ पर विचार-विमर्श करने के लिए सरकारी उपक्रमों

की यह पहली बैठक थी। इस बैठक में इन क्षेत्रों में अधिक तालमेल की गुंजाइश का पता लगाया गया इस प्रकार के तालमेल को बढ़ाने के लिए इस बैठक में कुछ सुझाव भी दिए गए, जिनकी जांच की जा रही है।

विदेशो में सूती वस्त्रों की लोकप्रियता

7434. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में सूती वस्त्र की मांग अन्य कपड़ों से बने वस्त्र की मांग से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो विदेश में अधिक मांग वाले बाजारों की मुख्य विशेषताएं क्या है तथा वर्ष 1973–74 में इस से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) क्या भारत वस्त्रों में टिकाऊपन न होने तथा उद्योग का यंत्रीकरण न होने के कारण वस्त्र के कुल विश्व व्यापार का एक प्रतिशत से भी कम निर्यात करता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विदेश में सूती परिधान की मांग परिधानों की कुल मांग के 30 प्रतिशत के आस पास है। मुक्त विदेशी मुद्रा क्षेत्र में हमारे सूती परिधानों के मुख्य आयातक उत्तरी अमरीका तथा पश्चिम यूरोप में स्थित देश हैं। सोवियत संघ भी रुपया अदायगी के आधार पर भारी मात्राओं में भारतीय परिधानों का आयात करता है। परिधानों के निर्यातों से 1973–74 के दौरान अर्जित कुल विदेशी मुद्रा 51.01 करोड़ रुपये थी।

(ग) यह ठीक है कि भारत के परिधान के निर्यात परिधानों के विश्व व्यापार के एक प्रतिशत से भी कम हैं। परन्तु ऐसा मुख्यत: उत्पादन नियंत्रणों के कारण है, न कि हमारी परिधानों की अनावश्यक बाजार ख्याति के कारण।

तम्बाकू के निर्यात में तेजी के साथ गिरावट

7435. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1973–74 के दौरान अपरिष्कृत तम्बाकू के निर्यात में तेजी के साथ गिरावट आई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वर्ष 1973–74 के दौरान किए गए अनिर्मित तम्बाकू के निर्यातों की मात्रा और मूल्य वर्ष 1972–73 को छोड़कर पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक रहा। 1972–73 में निर्यात की गई मात्रा के मुकाबले 1973–74 में कम मात्रा में निर्यात होने का अनुमान है परन्तु अनुमान है कि मूल्य की दृष्टि से 1973–74 के दौरान विदेशी मुद्रा की आय अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 64.28 करोड़ रुपये रहेगी जो पिछले पांच वर्षों में हासिल किए गए स्तरों में सब से ज्यादा है।

Number of Central Government Pensioners in the country

7436. Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Central Government pensioners, State-wise; and

(b) the number among them of those in receipt of pension equal to or below poverty line?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) According to the latest information available the total number of Central Government pensioners at present is 9,01,626. The information state-wise is not readily available.

(b) The information asked for is not available. However, the total number of Central Government pensioners as on 31-12-72 who were in receipt of minimum pension of Rs. 40/- per month (including those in receipt of family pension) was 4,13,789. These pensioners other than family pensioners, have been sanctioned *ad hoc* relief at the rate of Rs. 15/- per month with effect from 1-1-1973 raising their minimum pension to Rs. 55/- per month. They have also been granted relief at the rate of 5% of their pension subject to a minimum of Rs. 5/- per month. Relief at this rate is to be given as and when there is a 16 points rise in the 12 monthly average of the All India Working Class Consumer Price Index (1960 = 100).

Landless farmers and labourers benefited by Nationalised Banks

7437. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of landless farmers and labourers benefited by the nationalised banks during each of the last three years and the manner in which they were benefited;

(b) the amount of money given to them for setting up of industries during each of these years; and

(c) the names of the States which have been given and the maximum facilities in this regard respectively?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) to (c) Statistics in the manner asked for on advances made *exclusively* to landless farmers and labourers by the nationalised banks are not maintained. The banks are, however, assisting these categories of borrowers by providing loans for activities allied to agriculture such as dairy, poultry, piggery, bee-keeping, fisheries etc. According to data available for the period ending March 1973, the number of borrowal accounts in the nationalised banks for these activities was 1,67,906 with total outstanding of direct advances at Rs. 10.20 crores (inclusive of advances to landless farmers and labourers).

पंजाब सहकारी कताई संयंत्र की स्थापना करने के लिए लाइसेंस जारी करना

7438. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सहकारी कताई संयंत्र की स्थापना करने के लिए पंजाब राज्य सहकारी विपणन संघ को कोई लाइसेन्स जारी किया है ;

(ख) क्या निगम ने पंजाब में रुई के विपणन तथा परिष्करण के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भटिंडा (पंजाब) में एक नया सूती वस्त्र कताई एकक की स्थापना के लिए सरकार ने दिसम्बर, 1973 में पंजाब राज्य सहकारी पूर्ति तथा विपणन संघ लि०, चंडीगढ़ को एक औद्योगिक लाइसेन्स मंजूर किया था।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने यह कहा है कि इसने पांचवीं योजना के दौरान विभिन्न रुई उत्पादक राज्यों में अतिरिक्त रुई प्रोससिंग क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, यह सुझाव दिया है कि 10 जिनिंग तथा प्रेसिंग एककों की स्थापना होनी चाहिए जिनमें से प्रत्येक में 20 जिन और एक प्रेस हो।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पांचवीं योजना के दौरान पर्यटक केन्द्रों का विकास

7439. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटक केन्द्रों का विकास करने का है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार वे कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ; और

(ग) इस प्रस्ताव को मुख्य बातें क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) से (ग) स्कीमों की सूची को देने वाला एक विवरण, जिन्हें भारत पर्यटन विकास निगम का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथ में लेने का प्रस्ताव है, संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6758/74**] उन्हें, उनकी आर्थिक क्षमता को निर्धारित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के पश्चात्, और वित्तीय साधनों के उपलब्ध होने की अवस्था में, हाथ में लिया जाएगा।

दिल्ली के बाजारों में मूल्य उतार चढ़ाव

7440. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री पी० गंगा देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद् द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली के बाजारों में विभिन्न वस्तुओं के भिन्न-भिन्न दुकानों पर भिन्न-भिन्न मूल्य हैं तथा मूल्यों में हर घण्टे उतार-चढ़ाव बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात हुआ है कि अन्य स्थानों की तुलना में सुपर बाजार में वस्तुओं के मूल्य अधिक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) परिषद् ने सुपर बाजार के मूल्यों की उन मूल्यों की तुलना की है जिन पर थोक विक्रेताओं/उत्पादकों से वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं अगर उपभोक्ता अपने को संगठित करके उन से काफी मात्रा में खरीद करें। इस तुलना के अनुसार सुपर बाजार से परचून में खरीदी गई वस्तुओं के बदले बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीद करने से, लाभ होता है। इस के अलावा इस तुलना में किस्म में भिन्नता, मिलावट के पाए जाने और परचून की माल की पैकिंग आदि के कारण मूल्यों में होने वाली घटबढ़ को हिसाब में नहीं लिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस के प्रबन्ध में आमल परिवर्तन

7441. **श्री पी० वकटा सुब्बया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स में इष्टतम कार्यकुशलता लाने तथा इसकी लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए इसके उच्च प्रबन्धकों को बदल दिया गया है ; और

(ख) इससे एयर लाइन्स के प्रशासन तथा तकनीकी सेवा ों में कितना सुधार होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) उचित समन्वय कार्य एवं नियंत्रण का सुनिश्चित करने तथा उच्च प्रबन्धक वर्ग को बुनियादी नीतियों तथा दीर्घकालीन योजनाओं पर ध्यान केन्द्रीत करने देने के लिए मुख्यालय में कुछ पुनर्गठन कार्य किया गया है । इसके अलावा इस की कार्य कुशलता तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को आध्यक्षता में एक विशेष दल का गठन किया गया है जो इसके प्रत्येक विभाग का गहराई में अध्ययन करेगा तथा समस्याओं एवं समस्या-क्षेत्रों का निर्धारण करेगा और उनके समाधान की सिफारिशें करेगा ।

समाज के कमजोर वर्गों को ऋण दिये जाने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा किये गये परिवर्तन

7442. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के कमजोर वर्गों को ऋण दिए जाने के तरीकों में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं ।

(ख) इन परिवर्तनों के परिणामस्वरुप 1972-73 और 1973-74 के दौरान इन में बैंको से प्रत्येक ने कितनी राशि के ऋण दिए हैं ; और

(ग) उनमें से कितने प्रतिशत ऋणों की वसूली नहीं हुई, सामान्यतः मारे गए ऋणों (बेड डेट्स) की तुलना में आंकड़ कितने न्यूनाधिक है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक कृषि, लघु उद्योग सड़क और जल परिवहन आदि जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्ताओं को अधिक ऋण देने का प्रयत्न कर रहे हैं । ऋणकर्ताओं के इन वर्गों को ऋण देने में सुविधा करने के लिए बैंकों ने विशेष योजनाएं तैयार की हैं, उनके ऋण सम्बन्धी आवेदन पत्रों के फारमों और प्रक्रिया को सरल बनाया है, छोटे ऋणों के सम्बन्ध में प्रतिभूति और मार्जिन की आवश्यकताओं में ढील दे दी है, ऋण मंजूर करने की शक्ति शाखा प्रबन्धकों को दे दी गई है और ऋणों की वापसी की शर्तें उदार बना दी गई है । हकदार ऋणकर्ताओं को ब्याज की 4 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर ऋण देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक चुने हुए जिलों में ब्याज की विभेदी दर की योजना भी लागू कर रहे हैं । जून 1972 और जून 1973 के अन्त की स्थिति के अनुसार स्टेट बैंक आफ इण्डिया समूह और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से प्रत्येक के द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के आकडे अनुबन्ध में दिये गये है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6759/74**] इसी प्रकार दिसम्बर, 1973 के अन्त की स्थिति के अनुसार ब्याज की विभेदी दर योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा दिए गए ऋणों के आंकड़े अनुबन्ध ii में दिए गए हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6759/74**] लाभ और हानि लेखे के रूप और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी सूची के अन्तर्गत निर्धारित तलपट के अनुसार अशोध्य और संदि ऋणो के लिए की गयी वास्तविक व्यवस्था को प्रकट नहीं किया जा सकता ।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा यात्री कोच सेवा और जलपान तथा भोजन पर किया गया खर्च

7443. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा 1971–72 और 1972–73 के दौरान (i) यात्रियों को हवाई अड्डे तक लाने तथा वहां ले जाने के लिए यात्री कोच सेवाओं तथा (ii) यात्रियों को विमान में दिए गए जलपान तथा भोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान यात्री कोच सेवाओं पर किया गया व्यय क्रमशः 48.10 लाख रुपये तथा 49.65 लाख रुपए था ।

इण्डियन एयर लाइन्स के पास यात्रियों को दिए गए नाश्ते तथा मध्याहन भोजन (लंच) पर किए गए व्यय के पृथक पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 1971–72 तथा 1972–73 के दौरान उड़ान में दिए गए भोजनों पर कुल व्यय क्रमशः 75.29 लाख रुपए तथा 113.31 लाख रुपए था ।

इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया से त्यागपत्र देने वाले तथा सेवा मुक्त किये गये विमानचालक

7444. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स तथा एयर इण्डिया के उन विमान चालकों की संख्या कितनी है जिन्होंने अगस्त, 1973 के पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है, अथवा सेवा मुक्त अथवा बरखास्त कर दिया गया है ; और

(ख) अगस्त, 1973 के पश्चात् कितने भारतीय विमान चालकों ने विदेशों में सेवा स्वीकार कर ली है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क)

एयर लाइन्स का नाम	ऐसे विमानचालकों की संख्या जिन्होंने त्यागपत्र दिया	ऐसे विमानचालकों की संख्या जिनको सेवा मुक्त अथवा बरखास्त किया गया
इण्डियन एयरलाइन्स	2	3
एयर इण्डिया	3	..

(ख) किसी भी भारतीय विमानचालक ने विदेशों में नौकरी करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के माध्यम से आवेदन नहीं किया है ।

जाली मुद्रा का पता लगाया जाना

7445. श्री पी० गंगादेव :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में जाली मुद्रा का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो सौ रुपये के कुल कितने जाली नोट बरामद किए गए ; और

(ग) कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और क्या सभी मामलों की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) पुलिस ने सौ-सौ रुपये के 1485 जाली नोट छापे मार कर पकड़े थे और अन्य 36 नोट चलन समय पकड़े गए थे।

(ग) 17 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है तथा सभी मामलों की जांच की जा रही है।

भूटान के साथ व्यापार समझौता

7446. श्री पी० गंगा देव :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान के साथ 23 मार्च, 1974 को कोई व्यापार समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या समझोते में भूटान में "चूखा पनबोजली परियोजना" को क्रियान्विती के बारे में ब्योरा भी सम्मिलित है ; और

(ग) समझोते में उल्लिखित अन्य विषय क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) भारत तथा भूटान के बीच 23 मार्च, 1974 को किसी व्यापार समझोते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। परन्तु उपर्युक्त तारीख को दोनों सरकारों के बीच भूटान में चूखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से सम्बन्धित एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार की एक प्रति अतारांकित प्रश्न संख्या 6205 के साथ संलग्न है जिसका उत्तर सिचाई तथा विद्युत उपमंत्री द्वारा 9 अप्रैल, 1974 को सदन में दिया गया था।

ऐनकों के निर्यात में कमी

7448 : श्री रामवतार शास्त्री : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐनकों के निर्यात में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। इस मद के निर्यात के सम्बन्ध में जो समस्याएं आ रही हैं, हम उनकी गहराई से जांच कर रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि के रूप में सरकार के पास जमा धनराशि की कीमत में कमी के बदले में मुआवजा

7449. **श्री रामवतार शास्त्री : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रुपये की कीमत 1972 से 1973 तक के एक वर्ष में 19 प्रतिशत कम हो गई है ;

(ख) क्या वर्ष 1960 में जिस रुपये की कीमत 100 पैसे थी, वह दिसम्बर, 1972 में 47.6 पैसे तथा दिसम्बर, 1973 में घटकर 39.5 पैसे रह गई थी ;

(ग) क्या वर्ष 1972 के प्रारम्भ से जनवरी, 1974 के अन्त तक वनस्पति के थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में 46.4 प्रतिशत की, कोयले में 8.6 प्रतिशत की, मिट्टी के तेल में 42.5 प्रतिशत तथा वनस्पति के अतिरिक्त खाद्य तेलों में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो वर्ष 1960 से कर्मचारियों की भविष्य नीधि के रूप में सरकार के पास जमा राशि के मूल्य में कमी के बदले में सरकार किस प्रकार मुआवजा देगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सम्बद्ध सूचना 1 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1407 और 1473 के उत्तर में दी जा चुकी है।

(घ) सामान्य भविष्य निधि के रूप में की जाने वाली बचतें सामान्यतः लम्बी अवधियों के लिए होती हैं इसलिए उनके वास्तविक मूल्यों में घटबढ़ होने से बचा नहीं जा सकता। फिर भी सरकार ने अपने कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि के वास्तविक मूल्यों में कमी को, कई उपायों से, प्रतिसन्तुलित करने की कोशिश की है। इन उपायों में ये शामिल हैं —कई करों से छूटें देना, वेतनमानों में संशोधन करना, अतिरिक्त महंगाई भत्ता देना, भविष्य निधि की बकाया रकमों पर ऊंची दरों से ब्याज देना और उपदान और पैंशन संबंधी लाभों को उदार बनाना।

गलिचों का निर्यात

7450. **श्री रामवतार शास्त्री : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथ के बुने हुए गलीचों के उत्पादन के लिए, जिनकी विश्व बाजार में काफी मांग है कोई केन्द्रीय परियोजना बनाई जा रही है ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा के रूप में आय और इस परियोजना की लाभ कमाने की क्षमता आंकने की दृष्टि से इस परियोजना को आरम्भ किए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए और कार्यवाही के लिए आदेश दिया जाएगा और विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान क्या है ;

(ग) क्या मुख्यतः निर्यात किए जाने के उद्देश्य से केवल बढ़िया गलिचों का उत्पादन किया जाएगा अथवा सभी प्रकार के गलीचों का उत्पादन आरम्भ किया जाएगा ; और

(घ) परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी इसकी प्रारम्भिक लागत क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) हाथ के बुने हुए कालीनों के उत्पादन के लिए ऐसी किसी केन्द्रीय परियोजना का विचार नहीं है। तथापि, हस्त निर्मित कालीनों के निर्यात उत्पादन के आधार का शीघ्र तथा काफी विकास करने के लिए, कालीन बनाई के व्यापक प्रशिक्षण की एक योजना आरम्भ करने का विचार है।

कृत्रिम रेशे पर सांविधिक नियंत्रण

7451. श्री रामवतार शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृत्रिम रेशे पर सांविधिक नियंत्रण लगाने का है ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी०जार्ज) : (क) फिलहाल ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिए आंवटन

7452. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में पर्यटन स्थलों तथा पर्यटन के विकास के लिए कितना धन रखा गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : 5.41 लाख रुपये की लागत से पुरी में एक युवा होस्टल के पूरा किए जाने तथा कोणार्क और भुवनेश्वर के मन्दिरों के इर्द-गिर्द के स्थानों की शोभावृद्धि को पर्यटन विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है ।

इनके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम का भुवनेश्वर स्थित अपने यात्री लाज का विस्तार करने, तथा पुरी के रेलवे होटल को, जिसके कि लिए 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव है । उनका भुवनेश्वर में एक परिवहन यूनिट की स्थापना कर का भी प्रस्ताव है ।

उड़ीसा के अनुसूचित जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

7453. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के आदिवासी और कमजोर वर्गों को आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उड़ीसा के अनुसूचित जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अब तक खोली गई शाखाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में बैंकों को निकट भविष्य में कोरापुट जिले में शाखाएं खोलने के अनुदेश जारी किए हैं ; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के बावजूद उड़ीसा के पिछड़े जिलों में बैंकों की शाखाएं न खोलने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाएं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में छोटे ऋण कर्ताओं को ऋन देने का प्रयत्न करती है । उड़ीसा के पिछड़े हुए जिलों में दिसम्बर, 1973 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं वाले केन्द्रों के नाम अनुबन्ध में दिए गए है । [**ग्रंथालय में रखा गया । दखिए संख्या एल० टी० 6760/74**]

(ख) और (ग) वाणिज्यिक बैंक, शाखाओं के विस्तार के लिए तीन वर्षीय आवर्ती आयोजना तैयार करते है । रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि ये आयोजनाएं तयार करते समय, कम विकसित कम बैंक वाले क्षेत्रों राज्यों और विशेष रूप से ऐसे जिलों में अधिक शाखाएं खोलने की आवश्यकता का

ध्यान रखें जिनमें प्रति बैंक जनसंख्या के अनुपात में बैंक कार्यालय बहुत कम हों। रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि जनवरी, 1974 के अन्त में उड़ीसा के कोरापुट जिले में वाणिज्यिक बैंकों की 19 शाखाएं थी और बैंकों के पास उस जिले में दो और शाखाएं खोलने के लिए लाइसेन्स भी थे।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन-विकास के लिए आवंटन

7454. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र तथा राज्य सरकार ने उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए कितना आवंटन किया ; और

(ख) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की क्षेत्रीय आवंटन नीति के अनुरूप उनके मंत्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में चौथी योजना के दौरान उड़ीसा के ट्राइबल (जनजाति) क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया था ; और न पांचवीं योजना के दौरान सरकार की क्षेत्रीय आवंटन नीति के अनुसार ट्रायबल विकास की स्कीमों को ही हाथ में लेने की कोई योजना है। तथापि, वन्य जीव पर्यटन का प्रस्तावित विकास मुख्यतया उन क्षेत्रों में ही होगा जहां ट्रायबल लोग बसे हुए हैं।

गत दो वर्षों के दौरान काम पर लगाए गए बेरोजगार विमान-चालक

7455. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान ग्राउंड ड्यूटियों में तथा फसलों पर छिड़काव करने के लिए कृषि मंत्रालय में विभागवार कितने बेरोजगार विमान चालकों को रोजगार दिया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

1. नागर विमानन विभाग :

सहायक विमानक्षेत्र अधिकारियों के पद के लिए पिछले दो भर्ती अभियानों के दौरान, 75 बेरोजगार विमानचालकों का पहले दौर में चयन किया गया तथा 34 का दूसरे में। 48 को अब तक नौकरी में खपा लिया गया है।

2. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण :

तीन बेरोजगार विमान चालकों को विमानक्षेत्र प्रबन्धकों के रूप में नियुक्त किया जा चुका है।

3. कृषि मंत्रालय : कोई नहीं।

4. एयर इंडिया : कोई नहीं।

5. इंडियन एयरलाइंस : (i) जहां तक ग्राउंड ड्यूटी का सम्बन्ध है, कोई नहीं ; और

(ii) 1-2-73 से 28 विमान चालक फ्लाइंग ड्यूटी के लिए भर्ती किए गए हैं, तथा वे इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं।

अखबारी कागज के बारे में बंगला देश के साथ ठेका

7456. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के अखबारी कागज़ के आयात के लिये अधिक मूल्य दिये जाने के बारे में भारत ने बंगलादेश के साथ ठेके को पुनरीक्षित करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की पुनरीक्षित नीति की रुपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम ने बंगलादेश पेपर एंड बोर्ड कार्पोरेशन से 10,000 मे० टन अखबारी कागज के आयात से संबंधित संविदा पर जून, 1973 में हस्ताक्षर किए थे । बंगलादेश पेपर एंड बोर्ड कार्पोरेशन द्वारा 3,500 मे० टन अखबारी कागज सप्लाई किये जाने के बाद अखबारी कागज की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें चढ़ गई और उस कार्पोरेशन ने फरवरी 1974 में अखबारी कागज की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बराबर ऊंची कीमत की मांग की । काफी बातचीत के बाद और अखबारी कागज़ की विश्वव्यापी कमी को देखते हुए अखबारी कागज की 6,500 मे० टन बकाया मात्रा के लिए कीमतों में बढ़ौतरी मंजूर कर ली गई ।

Payment of Income Tax by salaried group

7457. **Shri Lambodar Baliyar:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether no other Section except wage earning employees pays the income tax in full?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): No, Sir.

स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष के कार्यालय का खोला जाना

7458. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया बिल्डिंग में स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष के उपयोग के लिए पूरी मंजिल में फर्नीचर लगाने और उसे सुसज्जित करने के लिए प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत की गई खर्च की राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) जिन ठेकेदारों ने फर्नीचर लगाने और सुजज्जित करने के लिए सामान सप्लाई किया था, उनके नाम, पते और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्तरिम सुसज्जा की योजना बनाने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम, पते तथा अन्य विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचित किया है कि बम्बई में बैंक की नयी प्रशासनिक इमारत की कोई भी मंजिल केवल बैंक के अध्यक्ष के उपयोग के लिए निर्धारित नहीं है । इस इमारत की 18 वीं मंजिल में कुल 19 कमरे हैं जिनमें एक कमरा अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय के लिए इस्तेमाल किया जाता है । स्टेट बैंक ने यह भी सूचित किया है कि जनवरी, 1972 में इस इमारत में भयंकर आग लगने से जो क्षति पहुंची थी इसके परिणामस्वरूप इस इमारत की कई मंजिलों की, जिनमें 18 वीं मंजिल भी शामिल है, आन्तरिक

सज्जा और फर्निशिंग दुबारा करनी पड़ी । बैंक द्वारा पूरी 18 वीं मंजिल को फिर से सजाने और फर्निश करने पर 6.90 लाख रुपया खर्च किया गया जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	राशि
(i) कालीन	2.57 लाख रुपये
(ii) फर्नीचर . .	3.57 " "
(iii) परदे	0.41 " "
(iv) कलात्मक वस्तुएं .	0.35 " "
जोड़ .	6.90 " "

(ख) जानकारी अनुबन्ध 1 में दी गई है ।

(ग) इमारत की 18 वीं मंजिल की आन्तरिक सज्जा का काम मैसर्स अरुविले डीजाइन 4, नैशनल हाउस, तुलोक रोड, बम्बई-1 को दिया गया था ।

विवरण

अनुबन्ध 1

क्रम संख्या	काम का स्वरूप	ठेकेदारों का नाम और पता	रकम (लाख रुपयों में)
1.	कालीन . .	मैसर्स वूलटाप कारपैट्स, रतन हाउस, 425, लैम्गिटन रोड़, बम्बई- 4	2.57
2.	फर्नीचर, मरम्मत सहित	मैसर्स जसानी कारपोरेशन जयन्ती महल, 'डो' रोड, चर्चगेट, बम्बई,-20	3.57
3.	परदे (क) कपड़ा .	मैसर्स ग्लोब फैब्रिक्स, मदन मैंशन, 67, ड्यूग रोड, बम्बई- 7	0.22
	(ख) पैनलिंग और फर्निचर पर कपड़ा चढ़ाना	मैसर्स जसानी कारपोरेशन जयन्त महल, 'डी' रोड, चर्चगेट, बम्बई-20	0.19
4.	कलात्मक वस्तुएं . .	मेसर्स समनबे ए-202, शिमला हाउस, नैपियन सी रोड़, बम्बई-6	0.35
		जोड़	6.90

हवाई अड्डे पर मंत्रियों/अधिकारियों की अगवानी के लिए सरकारी परिवहन पर होने वाले खर्च में कटौती किए जाने के बारे में आदेश जारी किए जाने का प्रस्ताव

7459. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि जब मंत्री तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि सचिव अथवा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बोर्डों के चेयरमन, विदेश जाते हैं अथवा विदेशों से लौटते हैं तब उन्हें विदा करने के लिय अथवा उनकी अगवानी के लिय बहुत से अधिकारी स्टाफ कारों और अन्य सरकारी वाहनों से हवाई अड्ड पर जाते हैं ;

(ख) क्या बहुत से मामलों में इस कार्य के लिये सरकारी खर्च पर टैक्सियां भी किराये पर ली जाती हैं ;

(ग) क्या कभी-कभी तथा कुछ मामलों में गुलदस्ते तथा फूलमालएं भी सरकारी खर्च से खरीदी जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान आर्थिक स्थिति के संदर्भ में ऐसे निरर्थक खर्च को समाप्त करने के लिय उनका क्या आदेश जारी करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, मंत्रियों के वयक्तिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों, सचिवों आदि के लिए कभी कभी सरकारी कार्यों के सम्बन्ध में हवाई अड्डे पर जाना आवश्यक होता है। कभी कभी सीमाशुल्क से आवश्यक निकासी आदि प्राप्त करने में सहायता देने के लिए वैयक्तिक कर्मचारियों को भजना पड़ता है। उपलब्ध सूचना से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि हवाई अड्डे पर अधिकारी किसी अन्य प्रयोजन से जाते ह।

(ख) और (ग) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से उपलब्ध सूचना के अनुसार एसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता है।

रेयन उद्योग के लिये लकड़ी की लुगदी का आयात

7460. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में रेयन उद्योग के लिए कुल कितने मूल्य की लकड़ी की लुगदी का आयात किया गया ;

(ख) क्या आयातित लकड़ी की लगदी का मूल्य 240 डालर प्रति टन से बढ़कर 567 डालर प्रति टन हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी कच्चे माल पर निर्भरता को कम करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित लकड़ी की लुगदी का कुल मूल्य निम्न प्रकार है :—

1971-72	575.68 लाख रु०
1972-73	1,279.50 लाख रु०
1973-74	887.75 लाख रु०

8—16 L.S.S.(ND)/74

(ख) जी नहीं, । लकड़ी की लुगदी की वर्तनमान कीमत 300 कैनेडियन डालर प्रति मे० टन के आस पास है ।

(ग) (i) मेसर्स साउथ इंडिया विस्कोस द्वारा लकड़ी की लुगदी का उत्पादन आगामी तीन वर्षों में दुगुना हो जाने की संभवना है ।

(ii) लकड़ी की रेयन ग्रेड लुगदी के उत्पादन के लिए अनेक पार्टियों को आशय पत्र जारी किये गए हैं ।

Gherao of Officers of Security Press, Dewas, Madhya Pradesh

7461. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the students attempted a gherao of the officers of the Security Press, Dewas (Madhya Pradesh) in March, 1974 and caused damage to the Press; and

(b) if so, the demands of the students over which they indulged in the above act and broad features in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) There was no gherao of the officers of the Bank Note Press, Dewas nor any damage was caused to the Press in the project area. However there was unauthorised entry by a group of students into the Sagar Mahal Office (Administrative offices outside the project area) and a few items of furniture, a Government mini bus and a scooter were damaged, involving a loss of Rs. 1200 to Rs. 1500.

(b) The demand of the students was for recruitment of local persons in the Bank Note Press, Dewas. About 40 students entered the Sagar Mahal office and asked the Chief Administrative and Accounts Officer to come out and speak to all of them. After considerable persuasion 4 students agreed to discuss their demand. Their contention was that the Bank Note Press was mainly intended to create local employment. The students appeared to be totally misinformed about various matters, and the picture presented by them was not in accordance with facts. It was explained to the students that it was the intention of the Government to utilise available local talents to man the various posts in the Press and it was only in the case of skilled and other posts where local men were not available that advertisement was resorted to and that too in the Hindi newspapers at Indore and Bhopal besides English newspapers. It was also mentioned to the students that in so far as the issue of non-availability certificate is concerned, the Collector had agreed to scrutinise the same before it was forwarded to the Bank Note Press authorities and that this should satisfy the point which the students had in view. Thereafter the students dispersed.

Commercial agreement with other countries

7462. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the extent to which India is expected to save foreign exchange on the basis of commercial agreements entered into with other countries during the last three months; and

(b) which of the above agreements has been found by Government to be the most favourable and which one of the most unfavourable?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) and (b) During the period from January, 1974, Trade Protocols/Agreements have been concluded with USSR, Democratic People's Republic of Korea, Bulgaria,

Tanzania and Kuwait. Agreements have also been concluded during the period with the Council of European Communities for Jute, Coir and for commercial cooperation.

The objective of these agreements is to increase our export earnings and secure imports of important requirements of our economy. These agreements help in expansion and diversification of our trade, and all of them are favourable. It is, however, not possible to quantify the achievements.

Economy in Administrative expenditure during Fourth Five Year Plan

7464. Shri Chandulal Chandrakar: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the target fixed for the Central Government for effecting economy in the administrative expenditure during the Fourth Five Year Plan, year-wise, separately;

(b) whether the Central Government have drawn up a scheme for providing incentives for the future to those States which have effected economy in the administrative expenditure;

(c) whether the Central Government have given certain directions to the States in this regard; and

(d) the action proposed to be taken against those Ministries of the Central Government which have shown negligence in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) No targets for effecting economy in administrative expenditure during the Fourth Five Year Plan were contemplated or fixed at any stage. However, during the last few years a number of economy measures were taken by Government with the object of reducing administrative expenditure. The more important of these measures are:—

(i) A ban on revision of pay scales;

(ii) A partial ban on recruitment to certain categories of posts;

(iii) Restrictions on purchase of imported cars;

(iv) Curtailment of travelling allowances; and

(v) Intensification of staff inspection studies.

Apart from the above, the following economy measures were initiated during 1971-72 in the context of the financial strain as a result of the influx of refugees from Bangla Desh and the unsettled conditions on our borders and were continued in 1972-73:—

(1) a ban on creation of posts on non-Plan side;

(2) reduction in the budget provision made for Contingencies, Travelling Allowances, Entertainment, etc.;

(3) non-filling of vacant posts in certain circumstances;

(4) restrictions on the purchase of furniture, decorative articles and so on; and

(5) stricter control on foreign deputations.

Adoption of the foregoing measures helped, in a significant measure, in containing growth of administrative expenditure. However, economy achieved thereby was, to some extent, offset by increases in expenditure due to normal expansion in governmental activities, payment of additional interim relief to staff and impact of increase in railway fares, postal rates, etc. In the circumstances, it is not possible to isolate and identify in precise terms the savings during 1972-73 arising out of the various economy measures mentioned above.

2. In 1973-74 a series of further economy measures were introduced in the non-Plan expenditure of Government with a view to restricting the extent of deficit financing. These were:

Economy in contingencies and travelling allowances; deferment of construction of non-functional buildings which have not proceeded beyond the plinth level; deferment of annual repairs and maintenance of Government buildings except a few prestigious buildings; ban on creation of new posts which have remained vacant for more than six months; deferment of rotational transfer of officers in various branches of Government to save on transfer allowances; savings in petrol consumption by departmental vehicles and on telephone calls; economies in expenditure on entertainment and foreign travel; economy in expenses involved in holding of conferences, seminars and meetings; keeping to a minimum invitations for holding international gatherings; directing the public sector undertakings to minimise their cash losses by generating more internal resources through efficient functioning; etc.

3. In addition, it was found necessary to effect economies in Plan expenditure as well. This was done in such a manner that progress of key projects and programmes which are essential and are in an advanced stage of completion was not affected while projects and schemes which are not essential and will require a relatively long period to mature were slowed down. A saving of Rs. 100 crores was also proposed in Central assistance to State Plans.

4. It was expected that there would be an agreegate saving of about Rs. 400 crores as a result of these measures. These economy measures have been implemented, by and large, by the different Ministries/Departments. The assessment of savings made in 1973-74 in the different Ministries/Departments is given in the Annexure to this Statement. These savings do not, nor were they intended to, take into account the additional liabilities devolving on Government on account of revision of pay and allowances of Government servants, food subsidy, additional assistance to States on account of natural calamities, etc. and certain additional funds allowed to several Ministries/Departments on account of key projects and schemes.

(b) No. However, to the extent the States are able to keep down their administrative expenditure, their own resources available for their Plans are larger and this is taken into account by the Planning Commission in fixing the size of the States' Plans.

(c) Government of India have been impressing upon the State Governments from time to time the need to effect maximum possible economy in non-Plan expenditure so that adequate resources may be available for their Plan schemes. Last year the State Governments were advised not to incur expenditure in anticipation of additional Plan or non-Plan assistance from the Centre and to review their budgetary position so as to make necessary adjustments wherever required and to ensure a balance between their resources and expenditure.

(d) Does not arise in view of what has been stated in para 4 of (a) above.

Statement

Annexure

S. No.	Ministry/Department	Total Savings Reported
		(Rs. in crores)
1.	Agriculture	13.84
2.	Food	4.47
3.	Community Development	5.40

S. No.	Ministry/Department	Total Savings Reported
		(Rs. in crores)
4.	Co-operation	10.13
5.	Indian Council of Agricultural Research	3.87
6.	Commerce	0.34
7	Communication and OCS	0.02
8.	Posts and Telegraphs	3.29
9.	Education	11.76
10.	Social Welfare	2.48
11.	Economic Affairs (Finance)	2.93
12.	Banking (Finance)	7.50
13.	Expenditure (Finance)	158.45*
14.	Revenue & Insurance (Finance)	3.13
15.	Health	4.60
16.	Family Planning	6.25
17.	Heavy Industry	8.54
18.	Home Affairs	1.40
19.	Industrial Development	8.76
20.	Information and Broadcasting	3.68
21.	Irrigation and Power	23.98
22.	Labour and Employment	0.32
23.	Rehabilitation	2.52
24.	Petroleum and Chemicals	15.62
25.	Shipping and Transport	24.41
26.	Steel	31.72
27.	Mines	9.71
28.	Tourism and Civil Aviation	4.69
29.	Works and Housing	5.30
30.	Science and Technology	2.25
31.	Prime Minister's Secretariat	0.02
32.	President's Secretariat	0.02
33.	Supreme Court	0.01
34	Planning Commission	0.06
	TOTAL	381.47

* Includes Rs. 93.98 crores savings in Central assistance to State Plan, Rs. 34 crores savings in Employment Schemes and Rs. 30 crores savings in Advance action for Fifth Five Year Plan.

Provision of facilities to Weavers

7465. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of weavers in Varanasi, Mirzapur and Allahabad Districts, separately;

(b) the countries to which they export the finished articles made from Silk, Rayon and brocate and the amount of foreign exchange earned therefrom;

(c) whether Government propose to provide certain facilities to these weavers keeping in view their utility; and

(d) if so, the particulars thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Information is being collected from the State Governments.

(b) Export Statistics are not maintained on district-basis. The total exports of art silk fabrics of the country during 1972-73 and 1973-74 are given below :—

1972-73	Rs. 9·82 crores.
1973-74 (April-February)	Rs. 25·52 crores.

(c) and (d) According to the general policy replenishment of yarn is provided against export of these fabrics in accordance with Import Trade Control Policy Vol. II.

फिजी को विमान सेवा

7466. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिजी द्वीपों में एयर इंडिया की सेवाए बंद करने पर विचार कर रही है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस द्वीप को कुछ सहायक विमान सेवा चालु करने का भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या सरकार को द्वीप के निवासियों की ओर से विमान सेवाओं को चालू रखने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां । एयर इण्डिया ने अपनी सिडनी की साप्ताहिक सेवा को आगे बढ़ा कर अगस्त 1964 में फिजी के लिए परिचालन प्रारम्भ कर दिये थ । क्योंकि यातायात तथा वित्तीय परिणामों ने घाटे की ओर प्रवृत्ति दिखाना जारी रखा, अत: एयर इंडिया द्वारा सिडने तथा फिजी के बीच परिचालनों की लाभप्रदता को निर्धारित करने के लिए एक मार्केट सर्वेक्षण किया गया । सर्वेक्षण के परिणामस्वरुप एयर इण्डिया के पास फिलहाल नांदी से अपनी सेवाए हटाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह गया है ।

यद्पि एयर इण्डिया ने फिजी के लिए परिचालन बंद कर दिया है, वह फिजी में अपने कार्यालय बनाए हूए है ताकि वह विश्व-भर में एयर इण्डिया की सेवाओं

पर परिवहन का विक्रय कर सके तथा यथासंभव अधिकतम राजस्व अर्जित कर सके। जब स्थिति में सुधार हो जाएगा और यदि यह महसूस किया जायगा कि एयर इण्डिया के लिए फिजी के लिए सेवाओं का परिचालन करना वाणिज्यिक दृष्टि से उचित होगा तो इस सेवा को पुनः आरम्भ किया जा सकता है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार को ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है तथापि नांदी से सिडनी के लिए, जहां से कि एयर इण्डिया की उड़ाने उपलब्ध हैं अन्य एयरलाइनों द्वारा अनेक सुविधाजनक उड़ानें परिचालित की जा रही हैं।

पूर्वी यूरोपीय देशों में निर्यात फर्मों के कार्यालय स्थापित करना

7467. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु भारतीय निर्यात फर्मों को पूर्वी यूरोपीय देशों में कार्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा इन देशों को कुछ प्रतिनिधी मंडल भी भेजे गए थे ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बाते क्या है और उन वस्तुओं के ब्यौरे क्या हैं जो इन देशो को निर्यात की जाएंगी; और

(घ) इससे कितना लाभ अर्जित होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ख्यातिप्राप्त निर्यात सदरों तथा अन्य निर्यातकर्ता फर्मो को पूर्व यूरोपीय देशों में अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तथापि उन्हें संबंधित देशों की सरकारों से अनुमति प्राप्त करनी होती है जिसके लिए उन सरकारो द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठतें।

ईराक के साथ समझौता

7468. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इराक की सरकारों के बीच हाल में एक आर्थिक समझोते पर हस्ताक्षर हुए है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते के परिणामस्वरूप भारत को विशेषकर तेल आयात के संदर्भ में, किस सीमा तक लाभ होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) हाल ही में कच्चे तेल की सप्लाई के सम्बन्ध में ईराक के साथ एक ऋण करार किया गया है। इस करार के अन्तर्गत ईराक की सरकार

1974 के दौरान भारत को सप्लाई किये जाने वाले कच्चे तेल के आंशिक मूल्य को पूरा करने के लिए 11 करोड़ अमरीकी डालर की रकम ऋण के रुप में देगी।

चांदी का निर्यात

7469. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊंचे मूल्यों पर भारतीय चांदी के निर्यात का अच्छा बाजार है ;

(ख) यदि हां, तो देश में लगभग कितने मूल्यों की निर्यात योग्य चांदी उपलब्ध हैं और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार इसकी कीमत कितनी है;

(ग) क्या भारत से बाहर काफी मात्रा में चांदी की तस्करी की जा रही है; और

(घ) ऐसी तस्करी रोकने और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इसका निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात-योग्य चांदी की मात्रा और कीमत का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) इससे पहले चांदी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन हाल में यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है और चांदी के निर्यात के लिए खुले रूप से लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

(घ) चांदी का निर्यात सरकारी एजेंसियों की मार्फत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चांदी की तस्करी को रोकने के लिए सीमा-शुल्क अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं उन्होंने कारगर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासनिक और विधानीय उपाय किये हैं; विनियमों में सीमाशुल्क विभाग को परिसरों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने, चांदी की ढुलाई वाउचरों के अन्तर्गत करने, निर्धारित लेखे रखने, और कल्पित व्यक्तियों के नाम बिक्री करने के रोकने के लिए उपयुक्त उपायों की व्यवस्था है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है।

मोटर स्पिरिट पर उत्पादन शुल्क से राजस्व

7470. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटर स्पिरिट पर नवम्बर, 1973 में लगाये गये एक रुपया प्रति लिटर उत्पादन शुल्क से 31 मार्च, 1974 तक कितनी राशि वसूल की गई;

(ख) क्या इस राशि का कोई अंश नगरिय परिवहन के सुधार के लिये, विशेषकर कलकत्ता में, विशिष्ट रूप से आबंटित किया गया है अथवा किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो उक्त आबंटन किन एजेंसियों को किया गया है अथवा किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मोटर स्पिरिट पर उत्पादन शुल्क में 1 रु० के प्रति लिटर की वृद्धि के कारण, 3 नवम्बर, 1973 से 28 फरवरी, 1974 तक की अवधि (जब तक के आंकडे तत्काल उपलब्ध है) के दौरान वसूल किया गया उत्पादन शुल्क राजस्व अनन्तिम तौर पर 57.84 करोड रु० आंका गया है।

(ख) और (ग) इस विषय पर, लोक सभा में 11 मार्च, 1974 को अतारांकित प्रश्न सं० 2420 के उत्तर में जहाजरानी और परिवहन मंत्री ने विस्तृत रूप रेखा निर्दिष्ट की थी। तथापि अतिरिक्त राजस्व के अन्तिम नियतन संबंधी विवरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

जीवन बीमा निगम की व्यपगत पालिसियां

7471. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की लगभग 14 लाख पालिसियां एक वर्ष में व्यपगत हुई हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) 'बेनामी' जीवन बीमा एजेन्सियों के कदाचारों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1972-73 में 5.38 लाख पालिसियां व्यपगत हुई।

(ख) पालिसियां प्राय: निम्नलिखित में से किसी कारण/कारणों से व्यपगत होती है :-

(i) पालिसधारी की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन।

(ii) गलत तथा उदासीन भाव से जीवन बीमा करना/कराना।

(iii) पालिसीधारी के साथ एजेन्ट का अपर्याप्त सम्पर्क।

(iv) बीमा – किस्तों को जमा कराने की अपर्याप्त सुविधाएं।

(ग) बेनामी जीवन बीमा एजेंसियों को समाप्त करने की आवश्यकता के प्रति जीवन बीमा निगम सजग है। इस सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम ने जो उपाय किये गये है उनमें से कुछ ये है :-

(i) जीवन बीमा एजेन्सी की दरख्वास्त का फार्म आवेदक खुद भरेगा।

(ii) शाखा का प्रभारी अधिकारी आवेदक का साक्षात्कार करके स्वयं की तसल्ली करेगा कि आवेदक स्वतंत्ररूप से एजेन्ट का काम करने योग्य है।

(iii) 1 मई 1972 से लागू किये गये कानूनी एजेन्ट विनियमन में यह व्यवस्था है कि नए एजेन्टों को प्रशिक्षण प्राप्त करना ही होता है, और मुस्तकलिक होने के लिए परीक्षा पास करनी होती है।

राष्ट्रीयकृत व वाणिज्यिक बैंकों की "मारे गये" ऋणों के विरुद्ध विशेष सतर्कता

7472. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने हाल में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को 'मारे गये' ऋणों के विरुद्ध विशेष सतर्कता बर्तने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये ऋण मुख्यतया 'वरीयता क्षेत्र' से संबंधित है; और

(ग) क्या ऋण चुकाने की क्षमता परखने के परम्परावादी तरीकों पर अधिक निर्भरता से लघु स्तर के ऋण लेने वालों की आवश्यकताओं पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चुंकि बैंकिंग व्यवसाय में ऋणों का कारबार किया जाता है इसलिए विशेष कर ऐसी स्थिति में जब कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कई नये क्षेत्रों में ऋण देने का काम हाथ में लिया जा रहा है यदि जनता की उपयुक्त सेवा करनी है तो प्रत्येक बैंक को अनिवार्यतः थोड़ा बहुत ऋण सम्बन्धी जोखिम उठाना ही पड़ेगा। फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऐसे ऋणों का पता लगाने के लिए जिन्हे वसूल करना कठिन साबित हो तथा इस प्रकार के ऋणों की वसूली के लिए समय पर आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से समय समय पर ऋणों की जांच करने के लिए उचित तरीके अपनाये है । सरकार तथा भारतीय रिजर्व बेंक भी समय समय पर राष्ट्रीयकृत बेंकों के कार्य परिणामों की जांच करते है और उन्हें आवश्यक सलाह देते है ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि बेंकों को होने वाले लाभों में से वार्षिक विनियोजन करके अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए तथा अन्य आकस्मिक खर्च के लिए व्यवस्था की जा सके और बेंक अपनी आन्तरिक प्रारक्षित निधियों को बड़ा सके और अपने पुंजीगत ढांचे का विस्तार कर सकें।

(ख) और (ग) प्राथमिकता वाले तथा अप्राथमिकता वाले दोनों क्षेत्रों में अशोध्य और संदिग्ध ऋण हो सकते है। लघु उद्योगों, छोटे कारबार, आत्मनियोजित व्यावसायिकों आदि के दिये जाने ऋणों के मामले में इस बात पर जोर दिया जाता है कि सामाजिक दृष्टि से वांछित प्रयोजनों के लिए ही ऋण दिये जायं, बशर्ते कि योजनाएं आर्थिक दृष्टि से सक्षम हों और ऋणकर्ताओं में आवश्यक कार्यक्षमता तथा कुशलता हो। इसके अलावा भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, जिस पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय रिजर्व बेंक का संयुक्त रूप से स्वामित्व है, और जिसने पहली एप्रैल 1971 से काम करना शुरू किया था, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के किसी एक पार्टी को दिये जाने वाले ऋण की 75 प्रतिशत तक की रकम के नुकसान के सम्बन्ध में बीमे की व्यवस्था करता है । सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों समेत पचहत्तर वाणिज्यिक बेंक इस योजना में भाग ले रहे है। ऋण गारंटी निगम की योजना के अन्तर्गत 31 दिसंबर 1972 तक दी गयी ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी वित्तीय संस्था नें इस निगम से गारंटी की मांग नहीं की थी। 1973 की पहली छमाही में 5 बेंकों ने 51 ऋणकर्ताओं के सम्बन्ध में केवल 2 लाख रुपये के अग्रिम की रकम के बारे में दावा किया था । इसलिए यह सवाल पैदा ही नहीं होता कि राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बेंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने में हिचकिचाते हैं।

पटसन निर्यातकर्ताओं द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाना

7473. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री सी० के० चन्द्रपन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन निर्यात कर्ता कम मूल्य के बीजक बनाते है जिससे देश बहुमूल्य विदेशी मुद्रा से वंचित रह जाता है,

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों को पकड़ने के लिये सरकार ने नए विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उपयोग किया है, और

(ग) कम मल्य के बीजक बनाने के आरोप में अब तक गिरफ्तार किये गये पटसन निर्यातकर्ताओं के नाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कम मूल्य के बीजक बनाने के किसी विशिष्ट मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है ?

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशी प्रेषणों का अधिस्थगन

7474. श्री सतपाल कपुर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को दूर करने हेतु वित्तीय वर्ष 1974–75 में सभी विदेशी प्रेषणों को अधिस्थगित करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

सरकार की यह नीति है कि विदेशियों द्वारा भारत में लगायी गयी पुंजी पर उनके द्वारा कमाये गये लाभों तथा लाभांशों की रकमों को बाहर भेजने की पूरी छूट दी जाए बशर्ते कि उन पर भारतीय करों की अदायगी कर दी गयी हो ।

रायल्टियों तथा तकनीकी जानकारी संबंधी फीस की अदायगियां विदेशी सहयोगियों के साथ किये जाने वाले करारों के परिणाम स्वरूप की जाती है और ऐसी रकमों के बाहर भेजे जाने पर कोई रोक लगाना संभव नहीं होगा ।

लाभों तथा लाभांशों की रकमें बाहर भेजे जाने के बारे में अनिवासियों पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न की बात की गयी थी और यह समझा गया था कि ऐसे किसी भी उपाय से या तो मुक्त प्रारक्षित निधियां संकित हो जायगी जो बोनस शेयर जारी करके पुंजीकरण के लिए उपलब्ध होगी अथवा विकल्प के रूप में जैसे और जब कभी अनिवासी अपने शेयरों की रकम वापस लेना चाहेंगे शयरों के उचित मूल्य में बृद्धि हो जायगी । इसलिए यह निर्णय किया गया था कि आम प्रतिबन्ध न लगाये जाए। किन्तु शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों द्वारा लाभों की घोषणा के लिए प्रारक्षित निधियों के प्रयोग के संबंध में कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये है ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेश पैसा भेजना

7475. श्री सतपल कपुर :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **वित्त** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में काम कर रही विभिन्न विदेशी कम्पनियों ने वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान वर्षवार, विभिन्न पदों के अन्तर्गत कुल कितना धन स्वदेश भेजा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : शोधन शेष के आंकड़ों के आधार पर, भारत स्थित विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वदेशी भेजी गयी कुल रकम के सम्बन्ध में सबसे हाल की सूचना 1972–73 की पहली छमाही के बारे में उपलब्ध है और वह नीचे दी गयी है :–

स्वदेश भेजी गयी रकम	(करोड़ रुपये में)
1. विदेशी कम्पनियों की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ .	8.49
2. विदेशों से नियंत्रित की जाने वाली कम्पनियों द्वारा दिया गया लाभांश	18.49
जोड़ .	26.98

इसका सम्बन्ध इन कम्पनियों से है : विदेशी कम्पनियों की सहायक कंपनियां का वे कम्पनियां जिनकी 40 प्रतिशत या इससे अधिक शेयर पुंजी भारत के बाहर किसी एक देश में हो या वे कम्पनियां, जिनकी 25 प्रतिशत या इससे अधिक शेयर पुंजी किसी विदेशी कम्पनी या उसकी नामजद कम्पनी के पास हों।

सेण्ट्रल बक की शाखाओं में गणक पद्धति (टेलर सिस्टम)

7476. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री सेण्ट्रल बैंक की शाखाओं में गणक पद्धति के बारे में 16 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 901 के उत्तर में के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की दिल्ली और नई दिल्ली की अन्य शाखाओं में जहां कि गणक पद्धति चालू की जानी थी यह पद्धति चालू कर दी गयी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है, और

(ग) क्या सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की गोल मार्किट स्थित शाखा भी उन शाखाओं में से एक है जहां कि गणक पद्धति चालू करने की योजना है और यदि हां, तो कब तक गणक पद्धति उसमे चालू की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि उन्होने इस बीच एक और शाखा अर्थात् लाजपत नगर शाखा में टेलर प्रणाली शुरू की है और उक्त प्रणाली को ग्यारह और शाखाओं में जिनमे गोल मार्केट शाखा भी शामिल है, शुरु करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । इन शाखाओं में टेलर प्रणाली शुरु करने की ठीक ठीक तारीख, इस प्रणाली को चालू करने के लिए आवश्यक तैयारियों और प्रबन्ध के पूरा होने पर निर्भर होगी।

भारतीय सहायता सार्थ की बैठक

7477. श्री तरुण गोगोई :

श्री आर० वी० स्वामिनाथन् :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सहायता सार्थ के सदस्यों की एक बैठक पैरिस में 9 से 11 अप्रैल को हुई ?

ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई, और

(ग) क्या उसमें निर्णय लिए गए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत सहायता संघ के सदस्यों के कार्य कारी दल की बैठक 9 और 10 अप्रैल, 1974 को भारत की विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में विश्व बैंक द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर तथा बैंक के उस सुझाव पर विचार करने के लिए पेरिस में हुई थी, जिसमें कहा गया था कि सहायता संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता का बडा भाग ऐसा होना चाहिए जिसे स्वेच्छा से इस्तेमाल किया जा सके। इस वर्ष जून में होने वाली बैठक में इस मामले पर और विचार किया जायगा ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के संबंध में निर्णय

7478. श्री **प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवम्बर 1973 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी वेतन वृद्धि जिस महीने से देय हो, उसकी पहली तारीख से देने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को नए ग्रेडों के लागू किए जाने वाली तिथि से अर्थात जनवरी, 1973 से लागू न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) तृतीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केवल वेतनमानों और पेंशन संबंधी लाभों के संबंध में आयोग की सिफारिशों को 1 मार्च 1973 से लागू किया जाय; सरकार ने संशोधन करके यह तारीख 1 जनवरी 1973 कर दी है। अन्य मामलों के संबंध में जिन में वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख संबंधी सिफारिश भी शामिल है वेतन आयोग ने, सिफारिश को लागू करने की तारीख के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। इस संबंध में सामान्य कार्यविधि यह है कि सरकारी कर्मचारियों के लाभों से संबंधित आदेशों के संशोधक आदेश आगे की तारीख से अथवा आदेश में निर्दिष्ट तारीख से लागू किये जाते है। एतदनुसार आयोग की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से संबंधित सिफारिश सरकार ने 1 नवम्बर, 1973 से लागू किया है अर्थात् यह तारीख वही है जिसको सरकार ने श्रेणी ii, iii और iv के कर्मचारीयों के संबंध में आयोग के सिफारिशों पर अपने निर्णय को औपचारिक तौर से उसी तारीख के भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित किया था।

इण्डियन एयरलाइंस के प्रबंधकों द्वारा पाइलटों के साथ किया गया समझौता

7479. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइस के प्रबंधकों द्वारा 21 फरवरी, 1974 को पाइलटों के साथ किये गये समझोते की रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : इण्डियन एयरलाइंस के प्रबंधक वर्ग तथा भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संघ के बीच 21 फरवरी, 1974 को हुए समझोते में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित की व्यवस्था है :—

(i) पर्यवेक्षण, कर्मचारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करना, पदोन्नति तथा स्थानांतरण विमानचालकों का प्रशिक्षण तथा रोस्टरिंग, सुरक्षा के अनुरूप उडान तथा ड्यूटी समय की परिसीमाएं परिचालनों में कार्य कुलशलता तथा मितव्ययिता, अपव्ययी कार्य प्रणालियों का समाप्त किया जाना, आदि के बारे में प्रबंधक वर्ग के कर्तव्य।

(ii) प्रबंधक वर्ग तथा विमानचालकों के बीच निकटतर समन्वयन।

पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अमरीका द्वारा की जाने वाली खरीद

7480. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने उन 30 वस्तुओं की एक सूची भेजी थी जिन्हें वह पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत खरीदना चाहेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी फ्लाइंग क्लबों के प्रबंध एवं नियंत्रण का सरकारीकरण करने का प्रस्ताव

7481. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के गैर-सरकारी फ्लाइंग क्लबों के प्रबंध एवं नियंत्रण का सरकारीकरण करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य रूपरेखा क्या है और उस के क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बिहार फ्लाइंग क्लब, पटना, को हाल ही में बिहार सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है तथा अमृतसर एवियेशन क्लब, पटियाला एवियेशन क्लब तथा को-आपरेटिव्ह हिंद फ्लाइंग क्लब, लखनउ, के प्रबंध को भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संबंधित निदेशक मंडलों की प्रबंध समितियों का अधिक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया गया है।

विशाखापत्तनम् हवाई अड्डे पर यात्रियों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

7482. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में विशाखापटनम् वाणिज्य मंडल की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है कि हाल ही में घोषित किए गए इंडियन एयरलांइस की विमान सेवाओं के नये समय और विशाखापत्तनम् हवाई अड्डे पर कैंटीन के अभाव से विमान यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाईंस को, 18 मार्च, 1974 से प्रभावी सेवाओं को नई अनुसूची लागू होने से पहले, विशाखापतनम् के लिए तथा विमान सेवाओं की धारिता की अपर्याप्तता के बारे में विशाखापतनम् वाणिज्य मंडल से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। नई अनुसूची की घोषणा करते समय मंडल के कुछ सुझावों को विधिवत ध्यान में रखा गया था। अब पृथक पृथक विमान विशाखापतनम् को जोडने वाली हैदराबाद-विशाखापतनम्-हैदराबाद तथा कलकत्ता-भुवनेश्वर विशाखापतनम्-भुवनेश्वर-कलकत्ता सेवाओं का परिचालन करते है।

जहां तक विशाखापतनम् में कटीन सुविधाओं की व्यवस्था का संबंध है, नागर विमानन का महानिदेशक उक्त विमानक्षेत्र पर यथाशीघ्र इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का हर संभव प्रयत्न कर रहा है।

इण्डियन एयरलाइंस की हैदराबाद जाने वाली कैरेवल विमान उड़ान को मद्रास हवाई अड्डे पर रोकना

7483. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाईस की कैरेवल उड़ान को, जिसे हैदराबाद जाना था, फ्युज-लज में आग लग जाने के कारण हाल ही में मद्रास हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया था;

(ख) क्या आग लगने के कारणों के संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 24 मार्च, 1974 को हैदराबाद के मार्ग से मद्रास दिल्ली सेवा का परिचालन करने वाले कारवेल विमान बी०टी० डी० वी० जे० को, इंजनों को चालू करने के समय विद्युत दोष के कारण यात्री केबिन के पीछे से धुंआं निकलने की वजह से मद्रास में भूमिस्थ कर दिया गया था।

(ख) और (ग) उक्त घटना के कारण की जांच की जा रही है।

Payment of overtime allowance in Public Sector Undertakings

7484. Dr. Laxminarayan Pandeya :

Shri Biswanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of overtime allowance paid to the employees in the various public sector undertakings during the last three years; and

(b) whether due to revision of pay scales of Central Government employees the quantum of overtime allowance is likely to be inflated further and also what economics are proposed during 1974 and 1975?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The decisions of Government on the recommendations of the Third Pay Commission do not apply to public enterprises.

आसाम म राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

7485. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में आसाम में राष्ट्रीयकृत बेंकों की कितनी शाखाएं खोली गयीं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : आसम में बैंक कार्यालयों की संख्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय 74 थी जो बढ़कर दिसम्बर 1973 के अन्त में

179 हो गयी। बेंकों के समूहों के अनुसार इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

बैंक समूह	19 जुलाई 1969 को बैंक कार्यालयों की संख्या	31 दिसम्बर 1973 को बैंक कार्यालयों की संख्या
स्टेट बैंक आफ इंडिया .	37	54
14 राष्ट्रीयकृत बैंक	30	113
अन्य .	7	12
	74	179

Foreign exchange earnings from exports

7486. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange earned from the exports made in 1973-74;

(b) the estimated foreign exchange earnings in 1974-75;

(c) the amount out of it proposed to be spent on the execution of the Fifth Five Year Plan; and

(d) how the entire amount of foreign exchange received through exports and foreign assistance is proposed to be spent for various works?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) On the basis of available Customs data, exports during the first 10 months of 1973-74 amounted to Rs. 1921 crores approximately.

(b) It is difficult to give reliable estimates of export earnings during 1974-75 because of the current uncertainties in international economic situation, particularly because of the wide fluctuations in prices.

(c) and (d) After allowing for payments on account of interest and repayments on foreign loans, which constitute the first charge on the foreign exchange resources of the country, the balance of foreign exchange earnings and external assistance will be utilised for meeting the maintenance needs of the economy and for approved projects and programmes.

विमान खरीदने के लिए बिहार को विदेशी मुद्रा का नियतन

7487. श्री विभूति मिश्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विमान खरीदने के लिए 21 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा नियत करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) यह 1972 की बात है कि बिहार सरकार ने एक दो इंजनों वाले तथा एक-एक इंजन वाले विमान का आयात करने के लिए 20.00 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के विमोचन के लिए आवेदन किया था। एक दो-इंजन वाले विमान के आयात के लिये 8,70,400/- रुपये की राशि की विदेशी मुद्रा का विमोचन किया गया।

पटसन का निर्यात

7488. श्री के० मालन्ना : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कच्चे पटसन का निर्यात करने की अनुमति के लिये 'बेलेड जूट एसोसिएशन' से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या पटसन निगम निर्यात को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगा रहा है लेकिन मंत्रालय इस बारे में अपना निर्णय घोषित करने की स्थिति में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति संबंधी रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) सरकार ने पहले ही भारतीय पटसन निगम को सलाह दी है कि वह भरपूर फसल को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता लाने के उपाय के तौर पर इस वर्ष भारी मात्रा में कच्चे पटसन का निर्यात करे। इसकी ठीक ठीक मात्रा बाजार-दशा पर निर्भर करेगी।

भारत पर्यटन विकास निगम में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी बनाना

7489. श्री इसहाक संभली : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम में काम करने वाले कुल कर्मचारियों में से यूनिट/विभागवार कितने कर्मचारी अस्थायी और कितने स्थायी हैं;

(ख) क्या सभी कर्मचारियों को उनके द्वारा अपने परिवीक्षा काल पुरे कर लिए जाने के पश्चात स्थायी बनाने संबंधी पत्र मिल गए है जैसा कि उनके नियुक्ति पत्रों में निर्दिष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय तथा इसकी विभिन्न यूनिटों में (प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षणार्थियों अथवा विशिष्ट रूप से ठेके के आधार पर लगाए गए व्यक्तियों अथवा विशुद्ध रूप से अस्थायी / सामायिक/अंशा-कालिक आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को छोड कर) कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी को स्वत: ही एक "स्थायी कर्मचारी" मान लिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के मुख्यालय तथा इसकी विभिन्न यूनिटों के कर्मचारियों की संख्या को दर्शानें वाला विवरण

यूनिट	कुल संख्या
भा० प० वि० नि० (मुख्यालय)	370
परिवहन प्रभाग	425
होटल :—	
अशोक होटल नई दिल्ली	1563

होटल रणजीत, नई दिल्ली	306
होटल जनपथ, नई दिल्ली	665
लोधी होटल, नई दिल्ली	317
अकबर होटल, नई दिल्ली	385
होटल अशोक, बंगलोर	232
कुतुब होटल, नई दिल्ली	100
वाराणसी होटल वाराणसी	57
कोवालय पैलेस होटल, और ग्रोव	82
लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	31
औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद	29
खजुराहो होटल	32
यात्री लॉंजे	146
जम्मू होटल, जम्मू	43
हस्सन मोटल	32
कोसी रेस्टारंट, कोसी	12
ताज रेस्टारंट, आगरा	16
सागर रेस्टारंट	5
अजन्ता रेस्टारंट	3
एलीफंटा रेस्टारंट	7
कोवाल प्रोजेक्ट	55
दमदम, कलकत्ता	7
फरीदाबाद सेट अप, फरीदाबाद	17
शुल्क मुक्त दुकानें	29
योग	4966

दिल्ली के होटलों, रेस्तरों और क्लबों में शराब सर्व किये जाने के बारे में नीति

7490. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के होटलों/रेस्तरों और क्लबो में शराब सर्व किये जाने संबंधी नीति में हाल ही में परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी तथा यदि समय में कोई परिवर्तन किया गया है तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या भारतीय तथा विदेशीयों को अब इन स्थानों पर बिना भेदभाव के शराब पीने की अनुमति होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, परन्तु दिल्ली प्रशासन द्वारा लाइसेंस फीस, कर निर्धारण फीस, सेवा के घंटों के अधिक तर्कसंगत करने का कार्य किया गया है।

(ख) लाइसेंस फीस तथा कर निर्धारण फीस में वृद्धि की गयी है, तथा होटलों के साथ सम्बन्ध बारों में शराब की बिक्री के घंटे बढा दिए गए हैं ।

(ग) भारतीयों तथा विदेशीयों को बीच के भेद को केवल होटल के निवासियों के लाइसेंस प्राप्त स्थानों में उनके कमरों में शराब देने के संबंध में दूर कर दिया गया है।

भारत में सिविल हवाई अड्डे

7492. **डॉ० कर्णी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में राज्य वार कितने हवाई अड्डे है तथा उनके नाम क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) । अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6761/74]** इसके अतिरिक्त सिविल विमान सेवाएं निजी, राज्य सरकारों एवं रक्षा मंत्रालय के विमान क्षेत्रों (एयर फील्डस्) के लिये परिचालन कर सकती है।

मूल्य प्रवृत्ति के बारे में भारतीय उपभोक्ता परिषद् द्वारा किया गया सर्वेक्षण

7493. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एम० एम० जोजफ :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय उपभोक्ता परिषद द्वारा बजट पेश होने के बाद किये गये राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण के परिणामों की और दिलाया गया है;

(ख) क्या उन्होनें कहा है कि नये करों को घोषित किए जाने के बाद पूरे भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों के में अत्यधिक वृद्धी हुई है;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रीया है; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उत्पादकों और व्यापारियों की यह प्रवृत्ति रही है कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का बहाना लगा कर कीमतों को बढाया जाय। फिर भी यह कहना गलत होगा कि 1974-75 के बजट में घोषित नये कर प्रस्तावों के फलस्वरूप भारत भर में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अन्तर्गत जन साधारण के व्यापक उपयोग कि वस्तुएं नहि आती है और इस प्रकार वह कीमतों के बढने का आधार नहीं हो सकते है। सरकार अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीतिकारी दबावों से भलीभांती परिचित है और उसने मुद्रा स्फीतिकारी दबावों में वृद्धि को रोकने के लिये कई वित्तीय, मुद्रा सम्बन्धी और प्रशासनिक उपाय किये है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रत्यावर्तन

7494. **श्री नवल किशोरसिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) किसी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के शाखा के रूप में कार्य करने अथवा पूर्ण स्वामित्व की सहायक कम्पनी के रूप में कार्य करने के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की दृष्टि से क्या पेचीदगियां है; और

(ख) "मुख्यालय व्यय" के लिए धन के प्रत्यावर्तन किस आधार पर उचित है और इसकी संगणना किस आधार पर की जाती है और सरकार का इस पर क्या नियन्त्रण है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यदि विदेशी कम्पनी भारत में शाखा के रूप में काम कर रही हो तो प्रेषित राशि का संबंध लाभ और मुख्य कार्यालय से होता है किन्तु यदि वह सहायक कम्पनी के रूप में कार्य कर रही हो तो प्रेषित विदेशी मुद्रा का संबंध आमतौर से लाभांशो और रायल्टी तथा तकनीकी जानकारी से होता है। एक तकनीकी सहयोग करार हुआ है। उपर्युक्त मदों के अलावा शाखाएं और सहायक कंपनियां लाइसेंसो यदि उनके पास हो, के अधीन किये जाने वाले आयात के लिये भी विदेशी मुद्रा प्रेषित कर सकती है।

जहां तक कंपनियों की विदेशी मुद्रा की आय का संबंध है, यह उनके द्वारा निर्यात से प्राप्त हुई राशियों के रूप में होगी।

(ख) मुख्य कार्यालय के व्यय के सम्बन्ध में प्रेषित की जाने वाली राशियां विदेशी उद्यमों द्वारा निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक कारण मांगी जाती है :—

(1) ऐसे व्यय जो मुख्य कार्यालय द्वारा किये गये हो और भारतीय शाखा के माने गये हों;

(2) ऐसे व्ययों जो मुख्य कार्यालय द्वारा कई शाखाओं के लिये किये गये हों और जिनकी आनुपातिक राशि भारतीय शाखा के नाम नियत की गयी हो।

(3) मुख्य कार्यालय द्वारा किये गये ऐसे व्यय जो किसी एक या अधिक शाखाओं से सम्बन्ध न किये जा सकते हों और जो भारतीय शाखा सहित सभी शाखाओं के नाम आनुपातिक रूप से नियत किये जाते हों।

मुख्य कार्यालय की कर योग्य आय का हिसाब लगाने में कटौती के लिए मान्य मुख्य कार्यालय के व्यय के लिए सामान्य मापदण्ड वही है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) में निर्धारित है, अर्थात् व्यय पूर्णतः कारोबार के लिए निर्धारित या खर्च किया गया है और वह पुंजीगत ढंग का व्यय नहीं है।

पोर्ट ब्लेयर जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें

7495. **श्री बी० बी० नायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की उडाने फिर से शुरू हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन उडानो को कब से दोबारा शुरू किया जाएगा?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइंस ने फिलहाल अस्थायी आधार पर 26 मार्च, 1974 से पोर्ट ब्लेयर के लिए विमान सेवाए पुनः प्रारम्भ कर दी हैं।

पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिये अनुग्रहपूर्वक क्षतिपूर्ति

7496. **श्री समर गुह** : क्या वाणिज्य मंत्री दिनांक 31 अगस्त 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5221 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेगें कि :

(क) क्या (i) गणेश फ्लौर मिल्ज एण्ड कम्पनी, दिल्ली (ii) दिल्ली क्लाथ जनरल मिल्ज एण्ड कम्पनी, दिल्ली (iii) सतलुज काटन मिल्स, अमृतसर (iv) ओकाडा फ्लोर मिल्स, अमृतसर (v) फोर्बज काम्पल एण्ड कम्पनी, बम्बई (vi) प्रापर्टी एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता (vii) टाइड वाटर आयल एण्ड कम्पनी (viii) इंडिया ट्रेड एण्ड जनरल इश्योरेंस कम्पनी (ix) एफ० एब० डिन्से लिमिटेड और (x) नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को पाकिस्तान में छोडी गई अपनी सम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी मात्रा में अनुग्रहपुर्वक धनराशि मिली है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान में इन कम्पनियों के बारे मे तथा (क) ऊनके भुतपुर्व निदेश कों (ख) स्थान (ग) इन कम्पनियों के भारत में स्थानांतर कि तिथियों और (घ) यें संस्थायें किस प्रकार कि थी और 1965 में ये कहां कहां पर स्थित थी सम्बधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा पाकिस्तान में छोडी गई निष्कान्त सम्पत्ति के अनुसार उन्ह मिली क्षतिपूर्ती सम्बन्धी राशियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुग्रपूर्वक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर्ताओं के नाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जॉर्ज) : (क) सरकार ने इन कम्पनियों को जो राशि दी है वह क्षतिपूर्ति नहीं है बल्कि वह भारत की संचित निधि से अनुग्रहपूर्व अनुदान के रूप में तदर्थ अंतरिम सहायता है।

(ख) तथा (ग) इन सभी कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालय और निदेशक भारत में हैं, पाकिस्तान में नहीं। ये कम्पनियां सितम्बर, 1965 संघर्ष के छिडने पर पाकिस्तान के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक द्वारा अपने नियंत्रण में ले ली गई थीं। निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं था।

(घ) अनुग्रहपूर्वक अनुदान उपर्युक्त (क) में सुचीबद्ध कम्पनयिों के नामों से दिए गय थे, व्यक्तियों को नहीं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं का पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में कार्यकरण

7497. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं स्टेट बैंक आफ इंडिया की कितनी शाखाएं काम कर रही थी;

(ख) इन राज्यों में गत दो वर्षों में, जिला वार इन बैंकों में कितने व्यक्ति नियुक्त थे; और

(ग) इन राज्यों में 1974–75 में कितनी शाखाएं खोली जानी है और इस अवधि में वर्ग वार कितने व्यक्तियों को नोकरी दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमत्री (श्रीमति सूशिला रोहतगी) : (क) दिसम्बर, 1971–72 और 1973 के अन्त में असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यो में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंकों और उसके सहायक बैंकों के कार्यालयों की संख्या विवरण में दी गयी है ।

(ख) आंकडे इकट्ठे करने की वर्तमान प्रणाली में, इन बैंकों द्वारा नियुक्त किये' व्यक्तियों की जिलावार सूचना संकलन करने की व्यवस्था नहीं है।

(ग) अब सभी वाणिज्यिक बैंक शाखा विस्तार के सम्बन्ध में तीन वर्षीय 'रोलिंग, योजनाएं तैयार करते है। पहले वर्ष की योजना का ब्योरा विस्तार से तैयार किया जाता है लेकिन अगले दो वर्षों की योजना स्थूल रूप से तैयार की जाती है। बैंक आज कल 1974–76 की तीन वर्षो की अवधि की रोलिंग योजना को अन्तिम रूप दे रहे ।

विवरण

निम्न तिथी को कार्यालयों की संख्या

	31–12–1971		
राज्य का नाम	राष्ट्रीयकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक
असम .	92	50	1
त्रिपुरा .	9	3	..
कर्नाटक . .	585	62	199
महाराष्ट्र . .	1080	235	73
गुजरात . .	893	168	125

	31-12-1972		
राज्य का नाम	राष्ट्रीयकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक के सहायक वक
असम .	96	52	1
त्रिपुरा . .	11	3	..
कर्नाटक .	674	73	249
महाराष्ट्र . .	1221	256	83
गुजरात . .	971	183	136

राज्य का नाम	31-12-1973 राष्ट्रीयकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक
असम . .	113	53	1
त्रिपुरा . .	14	3	. .
कर्नाटक . .	732	85	270
महाराष्ट्र . .	1339	267	93
गुजरात . .	1050	200	149

वर्ष 1974–75 के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाएं खोलना

7498. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल राज्य मे वे स्थान कौन-कौन से है जहां वर्ष 1974–75 में जिलावार, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया के नये कार्यालयों तथा शाखाओं को खोला जायेगा और इन शाखाओं में विभिन्न वर्गों के कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : भारतीय रिजर्व बैंक की हिदायत के अनुसार वाणिज्यिक बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार करने के लिए तीन वर्षीय आवर्तक आयोजनाएं तैयार करते है । यद्यपि पहले वर्ष की योजना विस्तृत है, किन्तु अगले व दो वर्षों की योजनाएं सामुहिक है। बैंक इस समय 1974–76 के तीन वर्षो की अवधि के लिए शाखा विस्तार की अपनी आयोजना तैयार करने में लगे हुए हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास जनवरी, 1974 के अन्त तक पश्चिम बंगाल में 241 शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस/नियतन पत्र थे। कार्य क्षेत्र, विकास की संभावनाओं कारोबार का आकार आदि के आधार पर प्रत्येक बैंक तथा प्रत्येक शाखा के कर्मचारीयोंकी संख्या अलग अलग होती है ।

बैंक अपनी जन शक्ति सम्बन्धी योजनाएं तैयार करने का काम तभी हाथ में लेते हैं जब शाखा विस्तार की उनकी योजनाओं के ब्यौरें को अन्तिम रूप दे दिया जाय।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों को हुआ घाटा

7499. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :**

श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 और वर्ष 1973–74 में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक कारखाने को कुल कितनी राशि का शुद्ध घाटा हुआ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के कारखानों को लाभप्रद बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस बारे में अब तक क्या परिणाम है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1972-73 में सरकारी उद्यमों ने सामूहिक रूप से, कर देने के बाद 19.85 करोड रुपयों का शुद्ध लाभ कमाया था (पहले की अवधि के समायोजन के पश्चात) जबकि 1971-72 में उनको 16.74 करोड रुपयों की शुद्ध हानि हुई थी। 1972-73 में 29 उद्यमों को होने वाली शुद्ध हानि और 68 उद्यमों द्वारा कमाये गये शुद्ध लाभ के विवरण अनुबन्ध में दिये गये है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6762/74**] 1973-74 के लेखापरीक्षात लेखे अभी तैयार होने है।

(ख) सरकारी उद्यमों के कार्यचालन परिणामों में सुधार लाने के लिये उठाये गये कदम इस प्रकार है :—

(1) अनुरक्षण की बेहतर व्यवस्था और मशीनों के खाली रहने के समय को कम करना,

(2) उत्पादन के आयोजन और नियंत्रण, कार्मिक प्रबन्ध, वस्तु प्रबन्ध और औद्योगिक इंजीनियरी मे सुधार,

(3) अभिप्रेरण के लिये प्रोत्साहन योजनाओं को शुरू करना,

(4) अच्छे प्रबन्ध कार्य और उत्पादन में वृद्धि के लिये सभी स्तरों पर प्रशिक्षण देना,

(5) जहां कहीं मांग अपर्याप्त हो विविधीकरण और निर्यात के अपेक्षाकृत अधिक प्रयास करना,

(6) जहां आवश्यक हो कच्चे माल और संघटकों का आयात।

इन कलमों का प्रभाव 1972-73 के कार्य परिणामों से प्रकट हो गया है जिस से पता चलता है कि कुछ वर्षों के पश्चात, सरकारी प्रतिष्ठानों ने समूह के रूप में शुद्ध लाभ कमाया है। फिर भी, सरकार उन उद्यमों के कार्यों पर नजर रखे हुए है जो अब भी घाटे पर जा रहे है।

गुजरात में भीड के आक्रमणों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालयों एवं इमारतों को हुई हानि का अनुमान

7500. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-मार्च 1974 के तीन महीनों में गुजरात में सार्वजनिक रोष एवं भीड के आक्रमणों का लक्ष्य विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालय एवं इमारते थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस कारण हुई हानि के अनुमान सहित मुख्य बाते क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में जनवरी 1974 से जो दंगे फसाद हुए उनमें अहमदाबाद तथा अन्य शहरों/नगरों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाओं की इमारतों और अन्य सम्पत्ति को पत्थर मारने तथा आग लगाने के परिणाम स्वरूप क्षति पहुंची। 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिली सूचना से पता चलता है कि इससे 7 लाख रुपये की हानि हुई थी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा व्यक्तियों एवं उद्योगों को ऋण देनें संबंधी नीति

7501. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा व्यक्तियों और उद्योगों को ऋण देने सम्बन्धी नीति क्या है; और

(ख) क्या उक्त नीति का कार्यकरण सन्तोषजनक है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं अपने उपलब्ध साधनों के भीतर तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र ऋण नीति की शर्तों के अधीन सामान और सेवाओं के उत्पादन और वितरण सहित विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण प्रदान करते हैं । वे कृषि लघु उद्योग, सडक और जल परिवहन आदि जैसे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्ताओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की और अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दे रहे है। सीमित साधनों, सीमित जलशक्ति, पूरक आधारभूत सुविधाओं आदि के अभाव की सीमाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण नीति के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों की प्रगति संतोषजनक है। जून, 1969 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों की जो रकम 441 करोड रुपये थी, बढ कर जून 1973 के अन्त में 1295 करोड रुपये हो गयी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों के अनुपात में ये अग्रिम इन तारीखों को क्रमशः 14.9 प्रतिशत और 24.3 प्रतिशत थे। इसी प्रकार, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के ऋण खातों/एककों की संख्या जो जून, 1969 के अन्त में 2.6 लाख थी, बढ कर जून 1973 के अन्त में 19.22 लाख हो गयी।

Trade agreement for Mica between India and USSR

7502. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India and the USSR signed an agreement in March, 1974 on mica trade; and

(b) if so, the facts thereof and the time by which the mica contracted for will be exported?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) The MMTC has concluded a contract for export to the USSR of about 313 tonnes of processed mica valued at Rs. 5.44 crores. Delivery of mica against the contract will be completed by October, 1974.

58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद सिण्डीकेट बैंक में कार्य करने वाले अधिकारियों के बारे में 5 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5678 के उत्तर म शुद्धि

Correction of Answer to Unstarred Question No. 5678, dated 5th April 1974, regarding Officers working in Syndicate Bank after completion of Age of 58 years

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद सिण्डीकेट बैंक में कार्य करने वाले अधिकारियों के बारे में 5 अप्रैल, 1974 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5678 का उत्तर देते हुए मैने कहा था कि सिण्डिकेट बैंक ने सूचना दी है कि राष्ट्रीयकरण के समय से केवल एक अधिकारी को उसकी 58 वर्ष की आयु पूरी हो जाने

पर सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा (कन्ट्रेक्ट) के आधार पर पुन-नियुक्त किया गया है। सिण्डीकेट बैंक द्वारा तथ्यों की सूचना में एक भूल रह गयी है। जैसा कि सिण्डीकेट बैंक ने सूचित किया है, सही स्थिति यह है कि है कि राष्ट्रीयकरण के बाद 13 अधिकारी 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद 2 वर्ष तक की विभिन्न अवधियों के लिए बैंक में संविदा आधार पर काम करते रहे। इस समय इस प्रकार के केवल एक अधिकारी श्री एन० बी० हरिबल काम कर रहे है, जिनकी सेवा अवधि में 13-7-73 से एक वर्ष की वृद्धि प्रदान की गयी है। पिछले उत्तर में जो भूल रह गयी थी उसका मुझे खेद है ।

भारत में 75 सर्वाधिक समृद्ध परिवारों की सम्पत्ति का मूल्यांकन करने के बारे में 9 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2724 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to U. S. Q. No. 2724, dated 9-3-1973 regarding assessment of Wealth of top 75 Families in India

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 2724 के संदर्भ में 9 मार्च, 1973 को दिये गये उत्तर में चोटी के 75 धन कर निर्धारितियों के नाम और कर निर्धारण वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में से प्रत्येक वर्ष में उनकी विवरणी दिखाए गए अथवा निर्धारित शुद्ध धन के ब्यौरे पेश किये गये थे ।

(2) श्री पी० के० अग्रवाल का नाम निर्धारण वर्ष 1970–71 की सूची में क्रम सं० 65 पर दिखाया गया था जिसमें 41,80,323 रु० धन दर्शाया गया था। अब यह ठीक ठीक पता लगाया गया है कि निर्धारण वर्ष 1970–71 के लिए श्री पी० के० अग्रवाल का धन केवल 4,80,323 रु० था और 41,80,323 रु० का धन टाइप करने में भूल के कारण दिखाया गया था। इसलिए यह नाम हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह चोटी के 75 धन कर निर्धारितियों की सूची के अन्तर्गत नहीं आता। एतदनुसार, परवर्ती क्रम संख्याएं भी बदल जाएंगी और क्रम सं० 75 पर श्री मनोजकुमार जैन का नाम जोड दिया जाये जिसके सामने, निर्धारण वर्ष 1970–71 के लिए 38.19,000 रु० का धन दर्शाया जाये। महारानी जैन, चायबासा का नाम कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए 42,22,428 रु० धन के साथ क्रम सं० 63 पर और कर निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए 46,30,228 रु० धन के साथ क्रम सं० 43 पर दर्शाया गया था। अब पता चला है कि इसमें टाइप की भूल हुई थी और यह कि वस्तुत: निर्धारिती का नाम मिश्री लाल जैन चायबासा पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए क्रम सं० 63 पर और निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए क्रम सं० 43 पर दिये गये नाम को मिश्री लाल जैन चायबासा पढ़ा जाये।

(4) भूल के लिए खेद प्रकट किया जाता है। इनका पता अभी हाल ही में चला। तथापि उत्तर में संशोधन पहले ही नहीं किये जा सकने से संबंधित कारण संक्षेपत: संलग्न विवरण पत्र में दिये गये है ।

विवरण

(1) लोक सभा में 9 मार्च, 1973 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 2724 का उत्तर, आयकर विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त उस सूचना के आधार पर दिया गया था जो लोक सभा में 23-2-1973 को उत्तर के लिए रखे गये अनन्तिम अतारांकित प्रश्न डी० सं० 1958 के संबंध में दी गई थी, किन्तु जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था ।

(2) बाद में लोक सभा में दो अतारांकित प्रश्न रखे गये थे (i) डायरी सं० 3868 जिसका उत्तर 4-5-1973 को और (ii) सं० 6386 जिसका उत्तर 6-4-1973 को दिया जाना था। इन दोनों मे लोक सभा में 9 मार्च, 1973 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न सं० 2724 का हवाला दिया गया था और उन व्यक्तियों के संबंध में अतिरिक्त ब्यौरे मांगे गये थे जिनका उल्लेख लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2724 में किया गया था।

(3) डायरी सं० 3868 वाला प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया था। लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 6386 के संबंध में एक आश्वासन दिया गया था जिसकी अभी पूर्ति की जानी है। इस उत्तर के संशोधन मे दिये गये विवरण पत्र में उल्लिखित भूलों के बारे में, लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 6386 में दिए गए आश्वासनों की पूर्ति के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों से हाल ही में पता चला। इन भूलों को, डायरी सं० 3868 वाले प्रश्न के संबंभ में क्षेत्रीय-कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों में पहले ही सुधार कर दिया गया था। किन्तु चुंकि इस प्रश्न को स्वीकार नहीं किया गया इसलिए इन रिपोर्टों पर ध्यान देने का कोई अवसर नहीं था।

(4) इस प्रकार विवरण-पत्र में सुधार लाने में हुआ विलम्ब अनभिप्रेत और अपरिहार्य था।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

मंत्री महोदय द्वारा जानबूझकर दी गई कथित गुमराह करने वाली सूचना

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने कल जिस विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना दी थी उस पर मैंने विचार किया है और उस मामले से सम्बन्धित सभा की कार्यवाही की मैंने जांच की है। मुझे ऐसा लगा कि तथ्यों के बारे में विवाद है। श्री ज्योतिर्मय बसु का कहना है कि "देखते ही गोली चला दो" का आदेश था। गृह मंत्री ने कहा है कि ऐसा आदेश नहीं दिया गया था और जो भी कार्यवाही की गई वह मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार की गई। तथ्यों के बारे में विवाद है। चुंकी बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है इसलिए श्री ज्योतिर्मय बसु उसमें भाग लेते समय इस बारे में उल्लेख कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं इस बात को सभा में स्पष्ट करना चाहता था कि गृह मंत्री ने जानबूझकर गुमराह किया और सभा में गलतबयानी की जो सभा के अवमान का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह विनिर्णय दिया है कि इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो सम्बन्धी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के बारे में एक वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 349 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6747/74]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कतिपय थोक औषधियों आदि के लागत ढांचे के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनाये गये कायकारी दल के प्रतिवेदन सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6748/74]**

वक्फ जांच समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन, 1973

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं वक्फ जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन 1973 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6748/74]**

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) (एक) श्रम पुनर्वास तथा पूर्ति विभागों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) पर 117 वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश।

(2) (एक) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) पर 124वां प्रतिवेदन।

(दो) उपयुक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE ON PRIVILEGE

आठवां प्रतिवेदन

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं विशेषाधिकार समिति का 8 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा
DISCUSSION RE. SITUATION IN BIHAR

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बिहार की स्थिति के बारे में गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर चर्चा करेंगे। श्री एस० एम० बनर्जी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैं नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करता हूं और सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ध्यान दे। मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि इस विषय पर मेरे स्थान पर श्री भोगेन्द्र झा को बोलने का अवसर दिया जाये क्योंकि उनके पास सभी तथ्य और आंकड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री भोगेन्द्र झा।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): First of all I would like to pay homage to those who were killed in firing by the Border Security Force and the Police. In 1971-72, the ruling party made certain promises of removing poverty etc. but those promises were not fulfilled. Recently big landlords, capitalists and black-marketeers have again joined the ranks of the Congress Party and they have brought about a change in the policies of the ruling party. The policy of taking over whole-sale trade in wheat has been given up this year and thus Government have surrendered to the black-marketeers and big landlords. It was decided in Kalyani Session that the land-ceiling laws will be enforced by 1973 but it has not been done so far. Now, the ruling party is overpowered by the capitalists and big landlords and that is why the price of cloth was increased by 30 per cent. Not only this, the price of wheat supplied by fair price shops has been increased, there has also been increased in railway fares for 3rd class. I mean to say that the change in the policies of Government has hit hard the common people and benefitted the rich people. All has led to create discontent among the people. In Bihar the discontent of the people has found expression in a peaceful agitation. There was Bihar Bandh in the State on 31st January, 1974 and college as well as school teachers and workers all participated in it. It entirely remained peaceful and there was not even a single incident of arson or looting. But the reactionary elements outside the congress aided by certain elements inside the Congress tried to make the situation explosive.

The capitalists and others who till recently talked of parliamentary democracy began to say that parliamentary democracy is not fit for the country. They have raised the bogey of abolishing the elections and parliamentary institutions. Even a person like Jaya Prakash Narayan, who was rejected by the voters in 1952, has lost his faith, in elections and now he talks of a no-party system of Government. I am of the opinion that peaceful revolution will take place in our country but the capitalists are going to oppose it and they are not prepared to accept it. This is why the capitalists have raised a slogan of abolishing the elections and parliamentary democracy. On the other hand workers and farmers want to preserve democracy and they are not in favour of violence. They want to usher in socialism through peaceful means.

As regards the trouble in Bihar, it is engineered in the State in a planned manner. Anand Marg has issued a circular to its followers to observe Hartal on April 1, 9 and 24 and to gherao the offices throughout the state on these days. I want to make it clear that Anand Marg played a significant role in creating trouble in Bihar. (*Interruptions*) Shri Vajpayee went to see some Anand Margis in jail. It appears to me that Shri Vajpayee has developed friendship with the Anand Marg. (*Interruptions*).

About 51 M.Ps. have expressed their faith in Babu Jaya Prakash Narayan. But, no M.P., I think, will support his political ideology of 'guided democracy' of Ayub's type. I would like to know whether the system of partyless democracy will be brought by forcing legislators to resign from duly elected legislatures.

Here I would like to mention that in Bihar the police did not arrest the miscreants but they held innocent people. Shri Baijnath Chaudhary, the Secretary of Mithila University Union and the Secretary of C. M. College Union who were restraining people from indulging in arson and looting were detained by the police. One Communist Party member, who protected trains from being destroyed by thousands of students was also put behind the bars. About 600 communists are still in

[Shri Bhogendra Jha]

jail. Only innocent people were killed in police firing. Even A.I.R. and leading newspapers are not giving the correct picture of the situation in Bihar. The Anand Marg and the R. S. S. followers have been killing innocent people in Bihar. This is a danger and challenge for democracy in India. But I have full faith in Indian people, farmers and workers and they will overthrow the capitalists one day and will bring socialism in the country through peaceful means. Facist forces want to achieve their goal first in Bihar and thereafter will come to U.P. and M.P. for this purpose. Those officers should be taken to task who are helping the facist elements. Government should start dehoarding compaign on a large scale so that the traders, black-marketeers and capitalists are checked to earn too much profit. Land ceiling laws should be enforced immediately. B.S.F. should be removed from the State and police should be asked not to resort to firing. Only then the workers, farmers and middle-class people of Bihar will save the country and democracy from the danger they are facing now at the hands of facist forces.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नवल किशोर सिंह। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी कांग्रेसी सदस्य निर्धारित समय में से सात मिनट से अधिक न ले ताकि अधिक से अधिक कांग्रेसी सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

Shri Nawal Kishore Sinha (Muzaffarpur): Sir, today we are discussing a serious matter and while doing so we need not be overpowered by emotions. Here I differ from Shri Bhogendra Jha that all those who suffered in Bihar are innocent. In this context I would like to point out that the agitation in Bihar is being guided by the slogan 'paralyse the Government'. Whatever has happened in Gaya is in line with the pursuit of this objective. I am of the opinion that no right thinking person whether he belongs to the ruling party or to the opposition, will support this movement.

Those who want to use students for political purposes and to paralyse Government in Bihar are saying that a large number of students have been killed in the State and thereby they are inciting them to join the agitation. But on the contrary, no student has been injured in firing and sent to jail. Among those killed, there are only two students. In this way these anti-social elements are doing great dis-service to the nation only to serve their own ends.

This agitation in Bihar is directed to abolish parliamentary democracy. I think that opposition parties who have lost the recent elections are out to take revenge. But I want to say that the nefarious method they have adopted for the purpose will lead to the destruction of democracy and in this process they themselves will also be destroyed.

There is no doubt that the role of Shri Jaya Prakash Narayan has been prominent in checking violence. Now he wants to put his philosophy of partyless Government into practice. It is for him to think whether there are suitable and competent persons in the opposition parties to serve this purpose. There is not even a single person in the opposition who is able to translate his philosophy or idealogy into action.

Bihar is a deficit State from the food point of view. Though the foodgrains production has increased from 50 lakh tonnes to 90 lakh tonnes, yet Bihar still suffers a deficit of 7 lakh tonnes. Government should take steps to make up this deficiency. Government should pay attention to the development of Bihar State as the per capita outlay in Bihar comes to only Rs. 99, probably the lowest in the country.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, we all are unhappy over the situation in Bihar. The trouble in Bihar started from certain demands put forward by the students and their demands for solving their academic

problems are justified too. If they demand healthy administration there is nothing wrong in it. But it is wrong to say that students have a hand in the acts of looting and arson. Students and their leaders have several times clarified that they had no hand in acts of looting and arson and that they were not interested in violence. But certain political parties are misusing the name of students for furthering their own interests. The disturbances in Bihar are being caused not by students but by the reactionary forces, which have been routed in the recent elections. The elements who are indulging in such activities are the enemies of democracy. It is a fact that democracy allows peaceful demonstrations and gheraos etc. by the affected persons in support of their demands, but it has no place for violent agitations and lawlessness. So, it is the duty of Government to deal with such situations firmly and for this purpose they can take the help of Border Security Force or Central Reserve Police, if it becomes imparative.

I want that a thorough enquiry should be made to find out as to who indulges in arson and looting; who puts telephone exchanges to loss and who sets the 'Searchlight' Press to fire and whosoever are found guilty should be punished. Similarly; the excesses, if any, committed by B.S.F. and Police personnel should be enquired into and the guilty persons should be punished.

The agitation in Bihar is directed at abolishing the democracy and parliamentary institutions. The dissolution of Bihar Assembly is being sought through this agitation. But it is a matter of principle. Though we support the reasonable demands of students and others, yet we disapprove of the methods and tactics adopted by opposition parties for dissolution of the Assembly and seeking elections again. Supposing that the opposition parties will in the proposed reelection, in that case, we being in the opposition will ask for dissolution of the Assembly. In this way democracy will not exist.

The ruling party in Bihar has taken certain steps at the political level. The strength of the Ministry in the State has been reduced from 46 to 14 so as to make a compact Ministry. It is hoped that the new Government will take steps to tone up the administration. Here I would like to suggest that corrupt officers should be weeded out. Student leaders should be released and Government should enter into direct negotiations with students. Hoarders and profiteers should be brought to book and the economic crimes should be codified for the purpose. Currency notes of more than ten-rupee denomination should be demonetised. Production should be increased and prices should be reduced. If it is done, there will then be no problem of law and order. I hope Bihar Government will try to take these steps.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : श्रीमान् श्री ज्योतिर्मय बसुने कलयागा की घटना का उल्लेख किया था और यह कहा था कि वहां सीमा सुरक्षा दल के जवानों ने ज्यादती की है। इसमें शक नहीं है कि बिहार की स्थिति विस्फोटक है। परन्तु इस सन्दर्भ में श्री जय प्रकाश नारायण की आलोचना सुनकर मुझे दुख हुआ है। मेरा विचार है कि यदि वह बिहार में न होते तो वहां आन्दोलन और भी अधिक उग्र और हिंसापूर्ण होता। वस्तुत: 16 मार्च को बेतिया में और 17 मार्च को पटना में जो कुछ हुआ उसमें छात्रों का हाथ बिल्कुल नही था। छात्र समिति तो 18 मार्च को मैदान में आई। यह समिति गैर-राजनीतिक है और उसने आगजनी और लूटमार की घटनाओ की निन्दा की है। गया में 12 अप्रैल को जो कुछ हुआ उसके बारे में गृह मंत्री ने गलतबयानी की है। उन्होंने बताया है कि तीन स्थानों पर गोली चलाई गई और आठ व्यक्ति मारे गये और दस घायल हुए। उन्होंने यह भी कहा कि टेलीफोन एक्चेंज के पास गोली चलाई गई किन्तु यह सब बातें गलत हैं। इस कांड में मरने वालों की संख्या 50 है। और उनमे से 17 व्यक्तियोंकी सूची मेरे पास है। यह झगडा 11 अप्रैल के उस समय शुरू हुआ जबकि सारजैंट लाल ने चार औरतो को गिरफ्तार किया और उन्हें वह ले जाना चाहता था। लोगो ने उसे घेर लिया और जिला मजीस्ट्रेट भी मौके पर पहुंच गया। उसने सारजेंट लाल को पुलिस लाइन में भेजा और मामला शांत हो गया? किन्तु 12 अप्रैल को

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा]

फिर मनोज कुमार बसु को दो औरतो के साथ गिरफ्तार कर लिया गया? उसकी मां तथा अन्य लोगो ने उनकी गिरफ्तार का विरोध किया जिनमें से कुछ औरतो को पुलिस ने बुरी तरह से घसीटा इससे वहां उपस्थित जनता भड़क उठी और भीड़ ने पाथराव शुरु कर दिया जब पुलिस स्थिति पर काबू न पा सकी तो उन्होंने सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की मदद मांगी। ऐसा बताया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने लोगों के साथ दुर्व्यहार किया और उन्हें निर्दयता से पीटा। पुलिस ने जनता पर जो ज्यादतियों की उनकी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। मंत्री महोदय को न्यायिक जांच के लिए तुरंत आदेश देने चाहिए अथवा इस मामले की छानबीन के लिए सभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इसकी जांच के लिए समय निर्धारित कर देना चाहिए मैंने आरम्भ में ही कहा था कि छात्रों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये किन्तु इस पर सरकार ने उस समय कोई ध्यान नही दिया अब उनकी मांगे बढ़ती जा रही है और उनमें निराशा पैदा हो गई है जिससे आन्दोलन का रूप ले लिया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए।

Shri R. P. Yadav (Madhepura): Recent happenings of Bihar are very shameful and grave.

[श्री बसन्त साठे पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

It is a fact that there is shortage of foodgrains not only in Bihar or India but throughout the world. Even after this situation when the Congress Party won the recent elections it has unnerved the opposition parties and these parties have adopted nefarious methods of creating troubles. Investigations into the happenings of 16th and 18th March have shown who has instigated all this.

It has been said that it is a students agitation but out of the eight casualties only one could be identified as a student, while six were non-students and the identity of one is still in doubt. Similarly out of 88 arrests, there is not even a single student. It is clear from this that students are not behind this agitation.

The demands of students are justified but the students are being used by certain political parties for creating trouble. This is not good. This is a dangerous strategy and hence political parties should not resort to this. This is harmful for the country.

The people are facing difficulties due to shortage of foodgrains. Hence steps should be taken to provide adequate foodgrains.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब मेरा नम्बर है।

सभापति महोदय : अब आप का नम्बर नही है। मै अपने सन्मुख रखी सूची के अनुसार चल रहा हूं। इसमे व्यवस्था का कोई प्रश्न नही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि आप कार्यवाही वृतान्त देखे तो पता चलेगा कि मेरा बोलने का नम्बर था उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा को अवसर देने की अनुमति चाहीये तब मैंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : स्थिति स्पष्ट करने के लिये मुझे कुछ कहना है मेरे विचार से हम इस बात को सहमत हुए थे और उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की थी कि अध्यक्ष

पीठ द्वारा दो कांग्रेसी सदस्यों को और उनके पश्चात विपक्ष के एक सदस्य को अवसर दिया जायेगा। विपक्ष में से किस को पहले अवसर देना है यह निर्णय आप करें।

सभापति महोदय : श्री ईश्वर चौधरी उसी क्षेत्र से हैं इस कारण मैं उन्हें अवसर दना चाहता था परन्तु यदि आप को आपत्ति है तो आप पहले बोल सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस चर्चा में बहुत अनियमितताएं हुई हैं। श्री एस० एम० बनर्जी ने चर्चा प्रारंभ की वह केवल एक मीनट के लगभग बोले उनके पश्चात श्री भोगेन्द्र झा को अवसर दिया गया। मैंने आपति नहीं की तत्पश्चात उपाध्यक्ष महोदय ने श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा को अवसर दिया तब भी मैंने आपत्ति नहीं की। अब तीसरी बार यह हो रहा है।

सभापति महोदय : नियम 350 के अनुसार एक से अधिक सदस्य के खडा होने की स्थिति में अध्यक्ष पीठ द्वारा जिसका नाम लिया जाये वह सदस्य बोलेगा। मैं नियम का पालन कर रहा हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : According to number, his party should get a chance. But now when Shri Ishwar Chowdhary has got up he may be allowed to speak.

श्री ज्योतिर्मय बसु : * *

सभापति महोदय : आप इन शब्द को वापस लें। आप अध्यक्षपीठ का अवमान नहीं कर सकते। चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्य की सूची के अनुसार चलना आवश्यक नहीं है। किसी भी सदस्य को बोलने का अवसर दिया जा सकता है। **(अन्तर्बाधाएं)** यदि हम सभा में नियमो के अनुसार चले तभी हम शांति बनाए रख सकते हैं। यदि कोइ काम नियम-बाह्य किया जाये तो आप आपत्ति उठा सकते हैं। परन्तु नियमानुसार किए जाने वाले कार्यों में तो आप को मुझे अपना सहयोग देना ही होगा। इसको देखते हुए सभा को यह निर्णय करना है कि क्या श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रयोग किये गये शब्दको कार्यवाही-वृत्तान्त में रहने दिया जा सकता है।

श्री भोगेन्द्र झा : जहां तक नियम की बात है आप की बात ठीक है। परन्तु श्री बसु का कहना भी ठीक है कि विपक्ष का सब से बडा दल होने के नाते उन्हें बोलने का पहले अवसर दिया जाये। परन्तु चुंकि आपने श्री इश्वर चौधरी से बोलने के लिए कह दिया है, इसलिए उन्हें बोलने दिया जाना चाहिए। जहां तक उनके द्वारा प्रयोग किये गये शब्दो की बात है उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जा सकता है।

सभापति महोदय : क्या आप अपने शब्द वापस लेंगे ? मैं समझता हूं कि उन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकालना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। किन नियमों के अन्तर्गत उक्त शब्दो को कार्यवाही वृतान्त से निकाला जा रहा है ?

सभापति महोदय : आप के शब्द अपमानजनक हैं। यह नियम 380 के अधिन है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिये गये।

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या वे शब्द असंसदीय अपमानजनक थे ?

सभापति महोदय : वे शब्द अशोभनीय थे इस कारण कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिय गये है **(अन्तर्बाधाएं)** । जब तक अध्यक्षपीठ को सहयोग नही दिया जाये तब तक सभा का काम नहीं चल सकता । इसके बिना ससंदीय पद्धति के अनुसार सभा की कार्यवाही भी नहीं चलाई जा सकती ।

Shri Ishwar Chowdhary (Gaya): Sir, the people of the country have a right to lead peaceful demonstrations. In exercise of this right, the Student's Action Committee launched a peaceful agitation against corruption, graft, price-rise, etc. Peaceful demonstrations and "dharnas" were staged in front of offices and other Government establishments at Gaya on 8th. It remained peaceful on 9th and 10th but on 11th provocation by Police caused public resentment. On 12 the S.D.O. also reached the spot. At that time, two police tried to arrest one student which was resisted by all the students and women. Ultimately the S.D.O. ordered lathi-charge on the crowd. There was a heavy lathi-charge on women, children, students and other citizens. As a result thereof, there were stone-throwing incidents. At about 4 p.m. the D. M. ordered to open fire. About 200 rounds were fired on innocent women and children. As a result thereof about 70 persons were killed and about 200 demonstrators were injured. The police chased the demonstrators in every direction and fired at them. It is now being claimed that only 8 persons died as a result of firing. I challenge this statement and request that a judicial enquiry should be held into this.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम आज पुलिस-राज मे रह रहे हैं । "फ्रिप्रेस जर्नल" जैसे सरकारी समर्थक पत्न ने भी कहा है कि पुलिस की गोलियों से जितने व्यक्ति विदेशी शासन कों दो शताब्दियें में भी नही मरे थे उससे अधिक व्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 26 वर्षों में मरे हैं । कांग्रेस के लोकतंत्र और समाजवाद में पुलिस पर व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है । वर्ष 1950 में केन्द्रीय पुलिस बजट 3 करोड़ रु० था जबकि 1973 में यह बढ़ कर 166 करोड़ हो गया है । 1950 में सभी राज्य में पुलिस बजट कुल मिलाकर 51.78 करोड़ रुपये थी जबकि 1973 में यह बढ़ कर 312.93 करोड़ रुपये हो गया है । जनता जीवन ज्ञापन की न्युनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग करती है परन्तु उन पर पुलिस छोड़ी जाती है ।

गुजरात में लगभग 140 व्यक्ति पुलिस की गोलियों के शिकार हुए । बिहार में भी निर्दयता बरती जा रही है और युद्धक्षेत्र बना दिया गया है । एक ओर हाथियारों से लैस पुलिस है और दूसरी ओर भुखमरी से त्रस्त जनता है । यह सरकार का गरीबी हटाने का अजीब तरीका है । सरकार ने "गरीबी हटाओ" नारे पर चुनाव जीते थे । आज जनता बढ़ते मुल्य, काला बाजारी, जमाखोरी व भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रही है । परन्तु उसके जवाब में जनता को गोलियों का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री जयप्रकाश नारायण के साथ हमारा कई बातों पर मतभेद है । परन्तु फिर भी मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होने सरकार के विरुद्ध जन आन्दोलन का सफलता-पूर्वक आयोजन किया है । सरकार बिहार के संघर्ष को विपक्षी दलों के साथ युद्ध का आखाड़ा बना रही है । इसे एक समस्या के रुप में नहीं देखा जा रहा है । परन्तु सरकार बिहार की समस्या का इस प्रकार समाधान नहीं कर पायेगी इस का एकमात्र उपाय यह है कि जनता की मांग को पूरा किया जाये ।

सरकार ने जन आन्दोलन को दबाने के लिये "देखते ही गोली मार देने" का आदेश जारी किया है । उस बारे में गृह मंत्री ने संसद को सूचित किया कि गया में "देखते ही गोली मारने" का आदेश जारी नहीं किया गया अपीतु तीनो, बार गोलियां मजिस्ट्रेट के आदेश पर चलाई गई । गृह मंत्री ने जानबूझकर सभी को गलत जानकारी देने का प्रयास किया है । "टाइम्स आफ इंडिया" के 14 अप्रैल के अंक

में प्रकाशित हुआ था कि गलियों में गश्त करने वाली सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों को कर्फ्यु के उल्लंघन करने वालों को 'देखते ही गोली मारने' का आदेश दिया गया था। इसी पत्र के 16 अप्रैल के अंक के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात की पुष्टि की थी कि उसने कर्फ्यु का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 14 अप्रैल को "देखते ही गोली मारने" का आदेश जारी किया है। इस बात की जांच की जाये कि गृह मंत्री द्वारा गलत जानकारी दी गई अथवा समाचार पत्रों ने इस बारे में गलत समाचार प्रकाशित किये।

गया में यह सब घटनाएं एक पुलिस कर्मचारी द्वारा एक महिला का सतीत्व लूटने के कारण हुई। इन घटनाओं के परिणामस्वरुप प्रोफेसरों को गिरफ्तार किया गया है। अखिल भारतीय छात्र संघ से संबंधित छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। गया में 12 अप्रैल को 1 से 3 बजे के बीच पांच स्थानों पर गोलियां चलाई गई। अनेक लोग मारे गये जिनकी लाशों को एक साथ जला दिया गया। 8 वर्ष से 12 वर्ष के बालकों को इस में मृत पाया गया और कहा गया है कि वे लूटपीट कर रहे थे। पुलिस ने स्वयं जैन मंदिर क्षेत्र में जाकर खिड़कियों के शीशे तोड़े जिससे कहा जा सके कि हिंसा के परिणाम स्वरुप गोलियां चलानी पड़ी।

बिहार में सरकार का सारा कार्य ठप है। सरकार का मुखिया दिल्ली में बैठा है। अनेक कांग्रेसियों ने भी इस गोलीकांड की निन्दा की है।

मैं मांग करता हूं कि इस स्थिति में वहां की विधान सभा को तत्काल भंग किया जाये और फिर से चुनाव कराये जायें।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): So far as the question of corruption is concerned our beloved Prime Minister has many a time called upon the youth to raise a voice against corruption. At a number of places the youth raised its voice against corruption. But it is most unfair on the part of opposition parties to mislead the youth to resort to violence and to exploit their discontent.

Incident of violence and killings that took place in Gaya on 12th April have pained everybody. So far as these incidents are concerned there are some officials and police officers who are responsible for them. It has therefore been demanded that a judicial probe be immediately ordered into the whole affair. This probe would also make it clear as to who has been behind this kind of trouble.

Further, I would suggest that the Home Minister should himself visit Gaya for on-the-spot-study of the situation. Judicial probe may be ordered into the whole matter. Action should be taken against those found guilty. Shortage of foodgrains and other essential commodities should be removed immediately. Corrupt officers should be suspended or transfered to remote places. Lastly, direct negotiations should be held with the student leaders with a view to find out a solution of their problems.

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada): It is need of the hour that we should consider seriously the situation that exists in Bihar. It is also necessary to know whether it is an agitation by students or by reactionary elements.

So far as demands of students are concerned, I also support their just demands. I also want to put an end to poverty, unemployment and corruption in the country. But we should adopt fair means to this regard. The agitation and demonstrations by students and women remained peaceful upto 10th. But it should be investigated how it turned violent with effect from the 11th. It is said that a large number of persons were injured but if it is so, it is not known where these injured were treated. Shri Ishwar Chowdhory said that deaths numbered between 70 to 100. Similarly Swatantra Party has said that there were more deaths than mere 8, as claimed by the Government. If we have to accept this figure, we would have to accept that all the persons bayonated were killed and none was injured. This aspect should, therefore, be enquired into. In fact no body should try to mislead the country and the public by uttering such falsehood.

[Shri Sukhdeo Prasad Verma]

One thing more. It is a fact that B.S.F. and C.R.P. personnel have committed atro cities. They entered houses and beat up innocent people. Such acts should be enquired into and guilty persons should be punished.

Immediate steps should be taken to meet the demands of students. We should also hold negotiations with leaders of the students. Then, prompt measures should be taken to improve the availability of foodgrains and other essential commodities. Lastly, stern action should be taken against officials who are corrupt or negligent in the discharge of their duties .

श्री वी० मायावन (चिदम्दर) : यह ठीक ही कहा गया है कि बिहार में जनता आज पुलिस राज में रह रही है। कांग्रेसी सदस्य भलेही इसे स्वीकार न करें परन्तु इतिहास अवश्य तथ्यों को स्वीकार करेगा।

बिहार में आज जो क्रान्ति अथवा अशांति है उसका कारण बिहार का आर्थिक रुप से पिछड़ापन है। जहां तक प्रति व्यक्ति आय का संबंध है बिहार का स्थान नीचे से दूसरा है। सरकार ने बिहार में करोड़ों रुपये व्यय किये हैं। यहां पर अनेक भारी उद्योग हैं परन्तु इसके बावजूद बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ ही है, बिहार जातिवाद से ग्रस्त है। विवेकहीन राजनैतिक नेता जातीयों में वैमनस्य का अपने स्वार्थ साधन के लिय उपयोग कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार मूक दर्शक के समान सब कुछ देख रही है। केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप नई सरकार का बिहार में गढ़न हुआ। परन्तु इस नई सरकार को नई बोतल में पुरानी शराब की संज्ञा दी गई है।

बिहार में छात्र असन्तोष निरन्तर बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि वहां पर खाद्य स्थिति बहुत ही खराब है। चावल वहां पर 11 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। समझ में नहीं आता कि सरकार क्या कर रही है? क्या अपने लोगों के लिये पर्याप्त खाद्यान्न की सप्लाई करना राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है? अत: सत्ताधारी दल को इस सारी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना होगा और कोई हल निकालना होगा। यह बात गृह मंत्री को सुनिश्चित करनी होगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के एक ही महान नेता है—श्री जयप्रकाश नारायण—किन्तु प्रधान मंत्री उनपर भी गम्भीर आरोप लगाती हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का यह रवैया उसके लिये घातक है। बिहार में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद को बहुत बढ़ावा दिया है तथा वहां की विभिन्न जातियों के लोगों में पारस्पारिक विरोध की भावना उत्पन्न कर दी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के साथ अत्याचार किये जा रहे हैं। यदि सरकार का प्रजातंत्र और जातिहीन समाज में विश्वास है तो इन सभी बुराइयों को दूर किया जाना चाहिये।

मैं सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि यदि बिहार में हमारे नेता श्री जगजीवन राम की उपेक्षा की गई तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इसे कभी सहन नहीं करेंगे। गया में उत्पन्न स्थिति के बारे में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): Mr. Chairman, Sir, I am greatly disappointed at the present situation created in the country of Kapila, Kanad, Gautam, Mahabir Janak and Janaki. I want to condemn the political parties involved in these activities. There is no doubt that there is discontentment amongst students in Bihar. But our party will not hesitate to accede to their genuine demands. At the same time, I would like to tell the opposition parties that they should not remain under the impression that the students have faith in them.

Actually, the students and the people of the country have full faith in Congress Party and the Government. One of the main causes of frustration among the opposition parties is that their candidates have been badly defeated in bye-elections, especially in Madhubani Constituency. (*Interruption*) I would like to suggest that Shri Vajpayee should not keep his eyes closed from realities. He should seriously think over the present situation in Bihar in the context of existing price rise.

I would also like to point out that the Government have been acting with great restraints, ohterwise the situation in Bihar would have been much more serious. All the political parties should have supported the Government and their attitude. As has been stated by the hon. Minister, Government had to resort to firing when no alternative was left to them in Bihar. I hope Government will certainly bring the situation under their control.

I would like to know from the opposition parties as to who has resorted to violence, threats and social disorder, whether they would ever be able to evolve any democratic method to solve the problems? May I know whether they are aware of the bitter fact that opposition parties are equally responsible for the corruption prevailing in the country?

In these circumstances I request that the opposition parties should co-operate with the Government in bringing about normalcy in Bihar.

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैंने माननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुने है। वास्तव में बिहार में उत्पन्न समस्या का मूल स्वरूप यह है कि विपक्षी दल बिहार तथा देश के अन्य भागों में युवकों को उत्तेजित कर रहे हैं। इस आन्दोलन का उद्देश्य चुने हुये विधायकों से त्यागपत्र दिलाना तथा विधान सभा और संसद को भंग कराना है । **(व्यवधान)**

यह सच है कि पावन स्थान गया में, जहां बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था, हुई घटन अत्यंत दुःखद है मैं विपक्षी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे स्थिति की गम्भीरता पर पुन: विचार करें। यदि जनता को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में बाधा डाली जायेगी तो सरकार का बल प्रयोग करना उचित ही है । आठ व्यक्तियों के मारे जाने पर मुझे अत्यंत दुःख है। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है उनमें से अधिकतर विद्यार्थी नहीं थे । मैं श्री वाजपेयी से यह जानना चाहूंगा कि इस आन्दोलन का क्या उद्देश्य था क्योंकि इस के पिछे विद्यार्थी परिषद का मुख्य हाथ था । हम जानते हैं विपक्षी दल विधान सभा को भंग कराने तथा लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को समाप्त कराने में लग हुए हैं । मेरा अनुरोध है कि उन्हें प्रजातांत्रिक प्रणाली की आधार शिला पर ही कुठाराघात नहीं करना चाहिये ।

बिहार की स्थिति के सन्दर्भ में मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात की जांच करें कि क्या गया में जिन व्यक्तियों को खाद्य तेलों में मिलावट करने के अपराध में पकड़ा गया है वे इस आन्दोलन के लिये वित्तीय सहायता दे रहे हैं या नहीं ।

बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत विषम है । मुझे इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि वहां छोटे किसानों को तीन रुपया प्रति लिटर के भाव पर डीजल तथा 2.50 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव पर यूरिया खाद खरीदनी पड रही है। अभाव की यह कृत्रिम स्थिति जमाखोरों द्वारा उत्पन्न की गई है । सरकार को इस मामले में तुरन्त कोई ठोस कदम उठाने चाहियें जिससे वहां विद्यमान निहित स्वार्थ इस परिस्थिति का नाजायज फायदा न उठा सके ।

मैं छात्रों को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उनमें से अधिकतर युवक विपक्षी दलों के हाथों की कठपुतली नहीं बने । मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने दूषित शिक्षा पद्धति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । यह हमें स्वीकार करना होगा कि गत 27 वर्षों से इस क्षेत्र में कोई सुधार नहीं किया गया । शिक्षा पद्धति को रोजगार प्रधान तथा लाभप्रद बनाया जाना चाहिये ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The state of Bihar is facing an unprecedented crisis to-day. The evils of price like, black-marketing, unemployment and corruption have swallowed the economic life of Bihar. In these circumstances all categories of people including farmers, workers and students had decided to launch an agitation against these evils. In support of their demand, a movement was organised by Students and Youth Front including All India Students' Federation, Students' Federation of India and Students' Association. Peaceful demonstrations were conducted on 16th March in all parts of the state. Unfortunately, the police opened fire on these peaceful demonstrators at Batea killing 11 or 12 persons including 4 students. The reactionary forces exploited the situation and in the guise of students and youth they indulged in killing and arson. But the police left the innocent people at the mercy of these anti-social elements and did not take any action against them. On the contrary, the police perpetrated atrocities upon the students. At one place in my constituency, one student was shot dead by the police.

Similarly, the office of 'Searchlight' was set on fire but the police did not take any action against anyone. There was no disturbance in the General Post Office area situated by the side of the 'Search light' office but the police opened fire there and killed one employee. Besides, the police opened fire unnecessarily at Lakhi Sarai Station, Monghyr and Deoghar. I demand that judicial enquiry should be conducted into all these incidences. I also suggest that compensation should be given to the families of the innocent persons killed in these firing incident.

In conclusion I would like to refer to a letter written by Shri Jagannath Sarkar to the Prime Minister wherein he has indicated the way in which some persons belonging to Anand Marg and R.S.S. have infiltrated into the administration.

सभापति महोदय : पत्र की आड़ में आप किसी तीसरे व्यक्ति का उल्लेख नहीं करेंगे।

Shri Ramavatar Shastri: Shri Bhogendra Jha has just laid a letter on the Table. I would like to read it out.

> "A. R. Sarangi, Under Secretary, River Valley Project Department, received a printed circular letter issued by Anand Marg to its members exhorting them to step up their agitation in the month of April."

Shri Jha has laid this letter on the Table of the House. I suggest that strong action should be taken against such officers. I would also appeal to Shri Jai Prakash Narayan that he should not support the persons or the parties who have no faith in democracy.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): At the out set I would like to express my gratitude to Shri Jay Prakash Narayan who has given a direction to the increasing violence in Bihar. We will have to admit that we could not stop black-marketing and corruption.

The activities leading to the happenings in Bihar were started in Betia by the party of Shri Bhogendra Jha. (*Interruptions*) In the beginning Communist Party was also involved in this movement (*Interruptions*).

Actually this movement is mainly based on political grounds rather than economic grounds. The Government of Bihar have already acceded to 90 per cent of the demands of the students. In these circumstances, students withdrew their support from the agitating political parties. I think those who have been killed in this movement certainly belong to certain political parties because of the fact that their dead bodies were removed by the concerned parties as is done by the decoits (*Interruptions*).

The incidence of firing by police on peaceful procession organised by the students in Chapra is the weak point of the Government. There was no need of opening fire on the students at all. I demand that Government should inquire into the matter.

I may also point out that Government have failed in their duty to check black-marketing. The hon. Minister should take appropriate action against the black-marketeers and hoarders. Economic condition of the people of Bihar is pitiable. If poverty is not removed from Bihar these kinds of activities will continue there.

Mr. Chairman: We have got only half an hour for this discussion.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa): I would like to unveil the activities of Jan Sangh. They have been defeated in elections. They are frustrated and now want to eradicate democratic system from the country. They are trying to strengthen fascism in India.

Agitations by the people against corruption, scarcity and price-rise are justified. But it can not be tolerated by the Government that these agitations are converted into violence and destruction of public property. In these circumstances, Government are bound to deal with anti-social elements with a strong hand. It is my personal experience that the members of Jan Sangh and Socialist party are involved in these activities (*Interruptions*).

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए
SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

Sir, I was gheraoed by the workers of Jan Sangh and Socialist Party in Saharsa. They demanded my resignation. When I did not accept their demand they tore my clothes and snatched away my wrist watch (*Interruptions*).

If students agitate against certain defects in present educational system and the price-rise, Government will certainly attend to their grievances. But R.S.S. workers want (*Interruptions*) Sir, in the present situation it is the duty of the Government to remove the difficulties faced by the people. I also appeal to the members of the opposition that they should discourage anti-social elements.

Our students are the future nation builders and we have full sympathy with them. Their difficulties should be removed as soon as possible by Government. I suggest that the hon. Minister should have direct contact with the leaders of the students.

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior): During this discussion repeated criticism has been hurled on me and my party. What has happened in Saharsa is really disgraceful. I don't claim that we cannot do any wrong. I would like to assure the House that if anybody belonging to my party is found having been involved in that case strong action would be taken against him on party level. But at the same time I would urge upon my hon. friends of Congress Party that they should not try to conceal the failures of Government. They should realise their mistakes. It is not possible for any political party to do what has happened in Gujarat and what is happening in Bihar. It has been done by the people against the prevalent evils of price rise, scarcity and corruption etc.

The agitation in Bihar has started recently, I can prove that even the Congress-men were not satisfied with the working of the State Government in 1973. Shri Jai Narayan, a Congress M.L.A. stated on 11th September, 1973 that the State Congress was full of corrupt and discredited leaders. He charged the Government with functioning as a private concern of the Ministers and the officials.

The position of our party is not very good in Gujarat yet Gujarat Government had to resign. The State of Bihar is backward both economically and socially while it is rich in natural resources. It is a quite strange that people of Bihar could remain unaffected so far. I would like to refer to the statement of the Governor of Bihar made on 21st September, 1973, in reply to a question put by the correspondent of the

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

'Hindu' regarding crash programme in Bihar, he had said that there was no crash programme in Bihar. There was only one programme in the State, and that was crush programme. This was the situation long before the agitation started.

The hon. Members of the ruling party are considering the demands of the students as just now. Why were their demands not treated as genuine before and why were the students forced to take recourse to direct action? The hon. Members from the Congress Party have said that education system is defective. May I know, then, who will make changes in this system? Is it not the duty of the Government to improve it?

Actually, people have realised that any genuine demand is not acceded by this Government unless people do not come on the roads in support to their demands. Shri L. N. Mishra came forward to negotiate with the Railway employees only when they threatened him of strike . . .

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra): I am always prepared to hold discussions.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I don't find any objective difference between the statement of the Minister of Home Affairs and the statement of the students in Bihar. The hon. Minister has sought cooperation from the students to maintain peace and harmony and to uphold the basic values of our democratic system. Similarly, it has been claimed by the students that they are fighting against the present dismal economic, social and political situation and for the restoration of democratic power in the hands of the people. In this context, I would like to suggest that Government should seriously think over the measures to bring about basic changes in the social structure.

I would like to refer to the statement made by the Prime Minister on the 29th December, 1970 in Chandigarh. She had said that if poverty and disparity increased, people would certainly take recourse to violence. Same thing is happening now-a-days. Now a situation has arrived when people suffering from scarcity, poverty, injustice and atrocities would not remain quiet, inactive and indifferent.

I would also like to refer to the statement of the Editor of the 'Searchlight'. He had said that the burning down of the offices and press of the 'Searchlight' was a deep-rooted consp:racy against an outspoken newspaper. According to him the State Government was also involved in this conspiracy. He emphatically stated that miscreants were not among the students, Anand Margis and Jan Sanghis. He had said that the Bihar C.P.I. was particularly unhappy because of the criticism published therein (*Interruption*).

May I know the reasons for which Government are not prepared to appoint an enquiry commision to look into these matters?

So far as the incident of Gaya is concerned I would like to refer to the statement of Shree Mudrika Prasad Singh, ex-M.P. of Congress Party. He told that about 40 to 50 persons were killed in indiscriminate police-firing at Gaya on April 12, according to a general public belief. According to him the blood on several roads had spread over a distance of 20 ft. 'He had said that the body of a 12-year boy was found abandoned in the river Phalgu, that the students agitation was most peaceful. He had also said that atrocities were committed only to teach a lesson to the students and the people of Gaya.

I demand a judicial inquiry into all these incidents. The hon. Minister should not rely upon the statements of the Government of Bihar state.

I am sorry to observe that even those who are not even entitled to sit in the feet of Shri Jay Prakash Narayan are trying to tarnish his image.

We can differ with Shri Jayprakashji but his patriotism can not be called in question. He had full right to say that the present structure of democracy needed radical changes. Today Bihar is drenched in blood and atrocities are being perpetrated on the masses. Instead of suppression, Government should try to establish rapport with students and opposition parties. We should hear the warning otherwise the present agitation and discontent will bring doom for us.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): The economic condition of Bihar is very pitiable. Due to poverty, the students are smouldering with discontentment. After finishing their education, they find no employment. The Centre should come forward to solve this problem. A long time has passed but there is no improvement. The hon. Home Minister should call students and teachers for talks and try to solve the problem. Shri Vajpayee has equated Mao and Gandhiji. I want to know how this has been done. The Bihar agitation involves the whole country. The Government should not neglect this warning, otherwise the situation might go out of hands. After holding talks with students and teachers, the imprisoned students should be released and the problem may be expeditiously solved.

Regarding spiralling prices in Bihar, I got information that 'salt' is being sold at Rs. 2/- per kilo there. I want that Government should deal with the black-marketeers strictly. Government should not waste bullets on innocent people. In one incident one S.P. shot down a boy who had hurled a stone at him. This matter should be investigated. The Government should have courage to get the whole matter investigated. The incident regarding burning of 'Searchlight' should also be investigated.

There should be Ladies' Force for women satyagrahis only they can we give a reply to Shri Vajpayee. We should concede that the situation in Bihar is a result of our own doings. Gandhiji also admitted his mistake in Chora-chori agitation when it turned violent. We are pained that many persons have died due to firing. The Home Minister should be cautious of opposition and should have confidence in his own capability. If there is any weakness, it should be removed.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur): Regarding the situation in Bihar, firstly I want to pay my tribute to those innocent people who were misled by these people and got killed in the police firing. The incident was pre-planned. On 27th February, they observed 'Samastipur Bandh'. People did not want to repeat the history of 1967 in Samastipur so they disregarded it. Shri Atal Bihari Vajpayee has given up the path of non-violence. What talks he held with Anand Murtiji in jail? They should take it for granted that by stopping the publication of newspapers, they cannot suppress the wishes of the people. An important leader of Congress(O) had played a shady role in this whole incident. I do agree that Bihar is a poor country. The Government should fulfill their assurance to eliminate poverty from the State. Lastly, I want to say that there is a bill is respect of castelessness in my name. The hon. Home Minister should go through it seriously and try to remove casteism.

श्री समर गुह (कन्टाई): आज कांग्रेस दल पर राजनीतिक उन्माद छाया हुआ है तभी वह गुजरात अथवा बिहार में होने वाली घटनाओं के लिए भिन्न-भिन्न कारणों को जिम्मेदार ठहराती है। गुजरात अथवा बिहार में जो कुछ हो रहा है वह केवल आन्दोलन ही नहीं है बल्कि उनका अपना महत्व है। निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति इसका वास्तविक अर्थ समझने में असफल रहे हैं। गुजरात की घटनाओं ने आधुनिक क्रांति का मार्ग दिखाया है। देश में व्याप्त सभी तरह के भ्रष्टाचारों के विरुद्ध यह झंडा उठाया गया है। गुजराथ से बिहार में जो आंदोलन आया है, वह राजनितिक ढांचा, सभी प्रकार की राजनीति, वामपंथी तथा दक्षिणपंथी विचारधापा आदि में जनता के अविश्वास का परिचायक है। इस क्रांति का झंडा श्री जयप्रकाश नारायण

(श्री समर गुह)

के हाथों में है, उनके विरुद्ध तथाकथित प्रगतिशील कांग्रेस जन हर प्रकार की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव श्री चंद्रजित यादव के 'जुगान्तर' में प्रकाशित वक्तव्य में जयप्रकाश नारायण और सर्वोदय के लोगों पर प्रतिक्रियावादी तत्वों के साथ मिलने का आरोप लगाया गया है। मैं पूछता हूं कि क्या श्री जयप्रकाश नारायण के अलावा अन्य कोई ईमानदार व्यक्ति भी है ? श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने आदर्शों और गांधीवाद के आधार पर समाज के पुनर्निमाण के कार्य में अपने आपको समर्पित कर दिया है। मैं जानता हूँ कि अनेक अशोभनीय घटनाएं भी घटी हैं। ये सब बातें प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती है, मैंने तभी अपना समर्थन दिया है जब लक्ष्य स्पष्ट हों तथा साधन क्रांतिकारी हों। मैंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय, 'गरीबी हटाओ' नारे के समय कुछ नहीं कहा था क्योंकि मैंने प्रत्येक प्रगतिवादी कदम का समर्थन करने का निश्चय कर लिया था। परन्तु इन वर्षों में न केवल साधन ही बल्कि लक्ष्य भी भ्रष्टाचार की लपेट में आकर धूल मिल हो गए हैं। आज देश में न राजनीतिक मूल्य रहा और न आर्थिक मूल्य ही रहा है। देश में सभी प्रकार के मूल्य नष्ट हो गए हैं। बिहार में जो जन आक्रोश फैला है उसके लिये वहां का सत्तारूढ़ दल जिम्मेंदार है जिसने अपने आचरण से लोकतंत्र की अवहेलना करके और राजनैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके जनता में असंतोष फैलाया है। इस स्वतःस्फूर्त आन्दोलन के लिये जनता के आर्थिक जीवन का कष्टपूर्ण बन जाना भी उत्तरदायी है। 42.6 प्रतिशत जनता गरीबी के स्तर से नीचे है। रुपए की कीमत गिर गई है। आप जानते हैं कि लोग कितनी जबरदस्त आर्थिक तंगी में रह रहे हैं। अंत में मैं इतना कहूंगा कि ये जो नई क्रांति आई है वही देश के लोकतांत्रीय मूल्यों को बचा सकेगी।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): Shri Vajpayee has assured that he will take action against his men for what has happened in Saharsa. But what about Gaya? The Jan Sangh ruled in Bihar with other opposition parties, then how far they were able to remove corruptions? At Gaya the Police had to resort to firings when repeated warnings went unheeded. It is wrong that the Police fired on fleeing mob. These opposition parties send young boys forward and they themselves run away from the scene. With the result that the innocent boys are killed in Police firing. It is wrong to say that the Jan Sangh men sustained injuries Shri Jayaprakash Narayan has tried to bring peace. The Press distorts his statements. In a desperate move, the opposition parties are indulging in such acts. They should not atleast create troubles. If you want the dissolution of the Assembly, you should not bring it about by provoking the masses.

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera): The grave situation in Bihar is the result of poverty, spiralling prices starvation etc. Our Prime Minister is leaving no stone unturned to remove all those ills but the opposition parties are adding fuel to the fire. The defeated and frustrated politicians resort to such agitations. The prestige of Shri Jayaprakash Narayan would have increased if he had gone to the poor and helped in bringing socialism in the country. We are trying to bring socialism but its benefits are being pocketed by a few persons. We will have to take positive steps to remove poverty, unemployment and starvation. We talk of land ceiling but are not trying to implement it. It is my submission that surplus land should be distributed among the landless and poor people. Small-scale industries should be given preference and new posts should be created by reducing fat salaries. The Government should take positive steps to solve these problems.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : गुजरात की घटना के बारे में हमने सरकार को आगाह कर दिया था परन्तु उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया उन्होंने सोचा कि गुजरात में जो कुछ हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति और कहीं भी नहीं होगी, यह सुस्पष्ट है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए प्रत्यक्षतः सरकार ही जिम्मेदार है। क्या कोई यह सोच सकता है कि देश में व्याप्त इन बुराइयों के लिये सरकार भी जिम्मेदार हो सकती है ? मुझे आश्चर्य है कि बिहार के

बारे में वाद-विवाद में मुख्य व्यक्ति श्री एल० एन० मिश्र का नाम क्यों नहीं लिया गया है। बिहार में कठपुतली सरकार है जिसे केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री ने स्थापित किया है। इसने अपनी इच्छा से वहां मंत्रियों को नियुक्त किया है। गुजरात में आन्दोलन खाने के खर्च के बिल पर आरम्भ हुआ था। विद्यार्थियों के लिये इतने बढ़े हुए बिल का भुगतान करना संभव नहीं था और इसलिये देखते ही देखते सारे गुजरात में नवनिर्माण समिति की यूनिटें स्थापित हो गई। मैंने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था। कि यदि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें दूर नहीं करती तो इससे उसके दल और सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा।

बिहार में जो कुछ हुआ है, उसके लिये भिन्न भिन्न कारण प्रस्तुत किये जाते हैं। वास्तविकता यह है कि जनता को कठिनाइयां झेलनी पड़ी है और इसके अलावा उनके साथ सरकार भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। सरकार समझती है कि जिस प्रकार का प्रशासन वह चला रही है उससे जनता नाराज नहीं होगी परन्तु जनता का क्रोध निरन्तर बढ़ता जा रहा है, एक समय था जब जनता को न्यायालय से न्याय पाने की आशा थी। संसद में किसी विपक्षी सदस्य की बात सुनी जाती थी, प्रदर्शन का प्रभाव भी सरकार पर पड़ता था। परन्तु अब सरकार प्रदर्शन को दमन के जरिए दबाती है और कोई बहाना मिलने पर खून-खराबी करने से भी नहीं चूकती है। अब जब सरकार के पास जब कोई बहाना नहीं रहा है तो उसने जयप्रकाश नारायण पर दोषारोपण करना आरम्भ कर दिया है। मेरा जयप्रकाश नारायण के साथ कोई विशेष संबंध नहीं है परन्तु मैं इतना कहूंगा कि वह एक अच्छे, ईमानदार तथा शिष्ट व्यक्ति हैं। हमने स्वस्थ्य मूल्यों के प्रति आस्था खो दी है। यहां तक कि आज एक अच्छे तथा ईमानदार व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं रही है। सरकार को आगे आकर अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिये तभी देश खुशहाल हो सकता है।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi): The Communist Party organised a peaceful demonstration in Bihar on 16th. The leaders of the Jan Sangh, particularly Shri Vajpayee, visited Gaya before 16th and called upon the people to follow the path of Gujarat. On 18th, Shri Atalji and Shri Guha visted Patna Jail to see Anand margis and hatched a plot to create chaos in Bihar. With the result that on 18th the Jansanghis, Anandmargis and R.S.S. held a demonstration and burnt down houses and "Searchlight' office. The Communists have no hand in the demonstration held on 18th . These people maligned the students of Bihar by their acts. The students have also no hand in these acts of arson. I request the hon. Home Minister to accept the demands of the students.

It is true that Shri Jayprakash Narayan took part in August Revolution of 1942. But after 1952 he got setbacks in politics and then he joined Vinobaji. But this was a temporary phase because he had temptations for politics. When his man Shri Krishna Vallabh Sahai was not taken by the then Chief Minister Shri Srikishan Singhji of Bihar in his Ministry he wrote letter to the Chief Minister expressing his displeasure. When violent demonstration were held on 18th, Shri Jayaprakashji, in a bid to hide his failure, took out a silent procession. Shri Jayprakashji has lost his senses due to his old age and he is doing absured things. Once upon a time Atalji used to criticize him but now he has changed his tone.

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहानपुर) : मैं गंभीरतापूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि आप इस बारे में अपने दिल को टटोलें। गुजरात में जो कुछ हुआ वह तो शुरुआत है जोकि बिहार में फैल गई है। स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष डा० शंकर दयाल शर्मा ने कहा है कि यदि असमानता तथा अराजकता को दूर नहीं किया जाता है तो कोई भी देश में हिंसात्मक आन्दोलन को आने से रोक नहीं सकता है। बिहार की स्थिति असाधारण हो गई है जहां कि हमारे द्वारा चुनी हुई सांविधिक सरकार है। बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने एक छोटी सरकार गठित की है। आपके अपने ही दल के लोगों ने आरोप लगाया है कि जो यह छोटी

[श्री त्रिदिब चौधरी]

सरकार बनी है, यह नई दिल्ली में बैठे एक व्यक्ति के इशारे पर बनी है। मैं किसी व्यक्ति का चरित्र हनन नहीं करना चाहता हूं परन्तु कुछ व्यक्तियों तथा कुछ परिवारों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं जिन्होंने बिहार सरकार पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है।

कांग्रेस दल को इस बारे में अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिये। उसे यह स्मरण रखना चाहिये कि वह पूर्णतया बहुमत से शक्ति में आया है। सरकार को गुजरात में घटी दुःखद घटनाओं और बिहार में घटनेवाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करनी चाहिये यदि वह ऐसा नही करती तो "देश का भगवान ही मालिक है"।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मुझे यह देखकर दुःख हो रहा है कि सदस्य आपत्तिजनक बातों में उलझ रहे हैं। इस समय न केवल बिहार में बल्कि समस्त देश में गम्भीर स्थिति विद्यमान है। सरकार इसके लिये हमेशा विपक्षी दलों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। सरकार विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग नहीं कर रही है। उन्होंने अपना भविष्य खराब कर लिया है। सरकार को जनता की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये। मूल्यों में वृद्धि से मध्यम वर्ग के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। प्रथम बार सामान्य जनता मूल्य वृद्धि से प्रभावित हुई है। आज सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग राजनीतिज्ञों से नफरत करने लगे हैं। इस समय संसदीय लोकतंत्र खतरे में है। संसदीय लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी सब की है और इसके लिये सब दलों को मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहिये। सरकार जब तक ऐसा नहीं करेगी गरीब जनता को संतुष्ट करना संभव नहीं होगा।

बिहार में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का समाचार प्राप्त हुआ है। लेकिन यह पता लगा है कि कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों को पुनः मंत्री बनाया जा रहा है। इसका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लोग संतुष्ट नहीं होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं बिहार विधान सभा को भंग करके वहा राष्ट्रपति शासन लागू करने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन सरकार को मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना चाहिये जो ईमानदार हों और जनता की भलाई के लिये कार्यवाही कर सकें।

श्री जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति के लिये विद्यार्थियों से आन्दोलन करने का आग्रह करना उचित नहीं है। यह बहुत खतरनाक मामला है। लेकिन यह कहना कि वह बेईमान है और धनी लोगों से धन लेते हैं बहुत खतरनाक बात है। उनकी ईमानदारी के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। अतः जो लोग इस आधार पर उनकी आलोचना कर रहे हैं वे ऐसा कार्य ही कर रहे हैं। कांग्रस दल में कुछ ऐसे लोग हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री जयप्रकाश नारायण के बीच टकराव करवाना चाहते हैं। गृह मंत्री को इस मामले का समाधान करना चाहिये।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): हमें देश में व्याप्त स्थिति का मुकाबला करने के लिये गम्भीरता से कार्यवाही करनी होगी। हमने जमाखोरी और कालाबाजार को रोकने के लिए केवल एक ही राज्य में 5,000 छापे मारे हैं और हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और कुछ लोगों का बाजरों में जलूस निकाला गया है। अतः ऐसा कहना उचित नहीं है कि सरकार तस्करों और कालाबाजार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है।

यह आवश्यक नहीं है कि हम श्री जयप्रकाश नारायण के विचारों से सहमत हों। उन्होंने समय समय पर अपनी अन्तरात्मा के अनुरूप कुछ विचार व्यक्त किये हैं। यदि कोई उनके बारे में सस्ता रवैया अपनाता है तो वह गलती करता है। इस बारे में कांग्रेस दल को गलत

नहीं समझा जाना चाहिये। उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जाना चाहिये जो उनके जैसे व्यक्ति की अन्तरात्मा थी आवाज को सुनने वाले व्यक्ति को क्षुब्ध करें।

मैंने बिहार में घटी घटनाओं का स्पष्ट विवरण दिया है। उन्हें विपक्षी दल के एक उत्तरदायी सदस्य की भांति सब तथ्यों को स्वीकार करना चाहिये।

यह कहा गया है कि बिहार में 100 से अधिक व्यक्ति मारे गये हैं तथा 200 से अधिक व्यक्ति घायल हुए हैं। यह कहना सर्वथा असत्य है कि वहां सैकड़ों व्यक्ति मारे गये हैं और उन्हें चुपचाप गाड़ दिया गया है अथवा जला दिया गया है। अश्रु गैस अथवा लाठी चार्ज करने से पूर्व पुलिस ने भीड़ को बार बार चेतावनी दी लेकिन उनकी चेतावनी नहीं सुनी गई। अतः मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि सैकड़ों लोगों के मरने तथा घायल होने संबंधी आरोप की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिय।

इस बारे में मुख्य चर्चा का विषय यह है कि क्या इस मामले में पुलिस ने ज्यादती से काम लिया और क्या इस मामले में अधिक लोग मारे गये और क्या इस संबंध में कार्यवाही करने में कोई देरी हुई और क्या सरकार ने अधिकतम पूर्वोपाय किये?

Shri Ishwar Chaudhry (Gaya) : I want to know what was the reason for putting off the lights on 13th and carrying all the dead bodies in Military Hospital? All the facts will come to light only when a proper judicial enquiry is conducted in this matter.

Shri Uma Shankar Dikshit : All your facts are altogether wrong. There is no truth in the Statement that the dead bodies have been either burnt or burried. You must first believe the facts and then make a statement. (*Interruptions.*)

Shri Ishwar Chaudhry : I am not going to believe you in this respect.

श्री उमाशंकर दीक्षित : पुलिस ने लोगों को रोकने के अन्य उपाय जैसे अश्रु गैस का उपयोग लाठी चार्ज का उपयोग कर हर नियम का पालन किया। अन्त में मजबूर हो कर एस० डी० ओ० को गोली चलाने का आदेश देना पड़ा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मंत्री महोदय सरकारी आंकड़ों के आधार पर विवरण दे रहे हैं **(अन्तर्बाधाएं)** हम इन पर कैसे विश्वास करें? क्या हमें सरकारी विवरण स्वीकार करना होगा? क्या हमें बिहार में समाचार पत्रों द्वारा दिये गये विवरण के लिये प्रेस पर मुकदमा चलाना होगा **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री उमाशंकर दीक्षित : यदि आप समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों पर विश्वास करते हैं तो आपको उनकी पुष्टि के लिये हमारे पास नहीं आना चाहिये मैंने इन तथ्यों के बारे में पूर्णतया जांच की है और फिर मैंने उक्त तथ्य सभा पटल रपर रखे हैं **(अन्तर्बाधाएं)**

यह कहा गया है कि पुलिस सीमा सुरक्षा दल अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा भीड़ का पीछा किया गया और लोगों को बिना किसी औचित्य के मारा गया। भीड़ टेलीफोन एक्सचेंज की और-बढ़ रही थी। चेतावनी देने पर भी जब किसी को भी आने से मना कर दिया गया, तो उनम से कुछ लोगों को रास्ता देने के लिये कहा गया। अन्दर काम कर रहे कर्मचारियों ने डर के मारे बाहर आने से मना कर दिया। ऐसा 9, 10 और 11 को चलता रहा। 11 तारीख तक धरना अथवा घेराव शान्तिपूर्ण था। भीड़ में टेलीफोन केन्द्र का कार्य ठप्प कर दिया था। बिहार सरकार के मुख्य सचिव द्वारा यह सूचित किये जाने पर ही और पुलिस दल भेजा गया कि यदि और पुलिस दल नहीं भेजा गया तो कठानाई उत्पन्न हो जायेगी। अतः रात में पुलिस की तीन या चार कम्पनियां वहां पहुंच गई।

[श्री उमाशंकर दीक्षित]

श्री ए० के० सिन्हा, मजिस्ट्रेट और श्री बी० पी० राय, सीमा सुरक्षा दल के डिप्टी कमांडेंट का जिनके दल ने तीन गोलियां चलाईं थीं, कहना है कि गोलाबारूद और गोलियों के खाली खोलों की जांच करने के बाद पता चला है कि केवल तीन गोलियां चलाई गई थीं ।

जी० बी० रोड, के० पी० रोड तथा अन्य जगह पर भीड़ के पथराव से 52 पुलिस वाले 3 सीमा सुरक्षा दल कर्मचारी और 4 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लोग जख्मी हुए । जिनमें तीन गम्भीर रूप से जखमी हुए ।

भीड़ को तित्तर बित्तर करने के लिये 27 अश्रु गैस के गोले छोड़े गए । 17 गोले टेलीफोन एक्सचेंज और जी० बी० रोड पर कोतवाली के बीच छोड़े गए और 10 गोले के० पी० रोड़ पर छोड़े गए । मैं उक्त तथ्य घटना स्थल पर गये अधिकारियों और हस्ताक्षर किये गये साक्ष्यों के आधार पर दे रहा हूं ।

12 तारीख की घटनाओं में और व्यक्तियों के मारे जाने के बारे में पता लगाने के लिये गहरी जांच की गई । लेकिन सभी प्रयत्नों के बावजूद और कोई सूचना नहीं मिली । इस बारे में जांच जारी है ।

जहां तक दुर्घटनाओं में हुई मौतों का संबंध है, मौतें बहुत अधिक संख्या में नहीं हुई हैं । हम इस संबंध में किसी भी सूचना का स्वागत करेंगे । पुलिस द्वारा 2 घंटे में केवल 8 गोलियां चलाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस ने बहुत आत्मविश्वास तथा आत्मनियंत्रण से काम किया ।

यह भी नोट करना आवश्यक है कि अब तक चलाई गई 16 गोलियों से केवल तीन कमर के ऊपर के भाग भी लगीं । अतः यह सिद्ध होता है कि गोलीबारी नियंत्रित थी और निशाना नीचे की ओर लगाया गया था ।

Shri Ishwar Chaudhry: I want to know whether the peaceful agitators looted the Governmental buildings and whether the District Magistrate ordered 'to shoot at sight'? In case it is correct why an enquiry has not made in this regard?

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : बिहार सरकार को न्यायिक जांच करने की सलाह देने पर क्या आपत्ति है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ दलों द्वारा विधान सभा को भंग करने तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) :- सरकार को बिहार राज्य में घटी घटनाओं की न्यायिक जांच करवाने पर क्या आपत्ति है ? न्यायिक जांच द्वारा पुलिस की ज्यादतियां सिद्ध होने पर ही मृतकों के परिवारों को मुआवजा मिल सकता है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि नये मंत्रियों के बारे में आपका क्या विचार है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, यह उचित दिशा में एक कदम है ।

देश में आज जो स्थिति पैदा हुई है वह प्राकृतिक कारणों अशोधित तेल तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य में असाधारण बृद्धि जैसे हमारे नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई है ।

श्री भोगेन्द्र झा : आपके दल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है । क्या आपका ऐसा करने का विचार है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह प्रश्न ही नहीं उठता । लोगों को शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है । जब तक प्रदर्शनकारी शान्त रहे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध तब ही कार्यवाही की गई जब उन्होंने किसी भी व्यक्ति को अन्दर जाने से रोका और टेलीफोन केंद्र का काम ठप्प कर दिया। जहां तक "देखते ही गोली मार देने" का प्रश्न है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था ।

ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले को देखते ही गोली मार दी जायेगी । 12 तारीख को कर्फ्यू नहीं था । वह बाद में लगाया गया । इस बात की चेतावनी दी गई थी कि लूट अथवा आगजनी करने वाले व्यक्तियों को गोली मार दी जायेगी। आकाशवाणी, पटना से "देखते ही गोली मारने" संबंधी कोई घोषणा नहीं की गई ।

सेवा निवृत्त थल सैनिकों का पुनर्नियोजन विधेयक
RETIRED ARMY SOLDIERS RE-EMPLOYMENT BILL, 1973

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फूलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा गठित तथा पोषित विभिन्न बलों में सेवानिवृत्त थल सनिकों के पुनर्नियोजन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि "केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा गठित तथा पोषित विभिन्न बलों में सेवानिवृत्त थल सैनिकों के पुनर्नियोजन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974
PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMANT) BILL, 1974

(नई धारा 4क, 4ख आदि का अन्तःस्थापन)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, 1974
ALL INDIA SERVICES (AMENMENT) BILL, 1974
(नई धारा 2ख, 2ग आदि का अन्तःस्थापन)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

होमियोपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974
HOMEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 1974
(धारा 2 का संशोधन)

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि होम्योपथि केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि होम्योपथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री हरी सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974
HOMEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENTMENT) BILL 1974
(धारा 2, 5 आदि का संशोधन)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि होम्योपथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि होम्योपथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

श्री मूलचन्द डागा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1974
HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL 1974
(द्वितीय अनुसूची का संशोधन)

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

श्री मूलचन्द डागा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL
(धारा 80 का संशोधन तथा धारा 80क का अन्तःस्थापन)

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

श्री डी० के० पंडा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मातृ वंश परम्परा विधेयक
MOTHER'S LINEAGE BILL

सभापति महोदय : अब हम श्री मधु लिमये द्वारा 5 अप्रैल, 1974 को प्रस्तुत निम्नलिखित विधेयक पर आगे विचार करेंगे :

"कि किसी की वंशपरंपरा का उसके मातृपक्ष से पता लगाने के अधिकार का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री डागा को इस संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत करना है । क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे 3 अगस्त, 1974 तक परिचालित किया जाना चाहिये ।"

सभापति महोदय : चूंकि श्री मधु लिमये आज सदन में उपस्थित नहीं है, मैंने श्री मूल चन्द डागा को अपना संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है ।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : मैं श्री मधु लिमये के विधेयक का समर्थन करता हूं । यह विधेयक इस श्रेष्ठ आदर्श के आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि एक बच्चे के लिये अपनी शिनाख्त के मामलों में अपने पिता के नाम से ऐसा करना अनिवार्य नहीं होना चाहिये । माता का ही नाम ही पर्याप्त होना चाहिये और उसे मान्यता मिलनी चाहिये ।

हमारे देश में अभी भी अवैध नवजात शिशु को सम्मान नहीं दिया जाता है । एक नवजात शिशु को उचित सम्मान दिया जाना चाहिये, भले ही उसके पिता की जानकारी हो अथवा नहीं । मैं विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

Shri M. C. Daga: I have never read any decision of the Supreme Court or the High Court in which it has been mentioned that registration of an illegal child was refused. Nobody has so far-stated that he did not know the name of his father. (*Interruptions*) With the passing of this Bill illegitimacy will be encouraged and the sacred marriage institution will be finished. It is true that illegitimate Children should be given appropriate respect. In the Bill there is a provision that it is not necessary for a woman to tell her husband's name.

In case an illegitimate child is born the duty of its taking care should be either on the Government or the society. An illegitimate child has the same rights that of other citizens. I want to know the benefits of implementing this law in India. The illegitimate children are born mostly in the countries where family lives are not happy.

सभापति महोदय : अभी आप और कितना समय लेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : 15 मिनट ।

सभापति महोदय : हमें 6 बजे कार्य स्थगित करना है । क्या सदस्य उससे अधिक समय तक बैठना चाहेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैय्या) : हमें कार्य स्थगित कर देना चाहिये ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 22 अप्रैल, 1974/2 वैशाख, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, April 22, 1974/Vaisakha 2, 1896 (Saka)

भा०स०मु०ना०—वि० 7—16 लोकसभा एन०डी०/74—27-8-1974. 490

N.75.98

P.L.S. 48.XXXVIII.40.(74)(N)
490

©1974 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचलन संबंधी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक 422 006 द्वारा मुद्रीत ।

©1974 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422 006.